


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	1
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.3	2
राजकोषीय संतुलन : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	6
लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया	1.5	9
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2018-19 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	11
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	12
राज्य के संसाधन	2.3	13
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.1	14
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.2	24
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.3	25
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	25
राजस्व व्यय	2.4.1	27
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	29
पूँजीगत व्यय	2.4.3	32
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	33
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	35
अधूरी परियोजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	2.4.6	36
लोक लेखों में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	37
उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) का कार्यान्वयन	2.4.8	38
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.9	39
व्यय की प्राथमिकता	2.4.10	40
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.11	41
लोक लेखा	2.5	41

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	41
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	43
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	45
ऋण प्रबंधन	2.5.4	46
ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान	2.6	50
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	53
निष्कर्ष	2.8	55
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	57
भारित एवं दत्तमत संवितरण	3.2	58
विनियोग लेखे	3.3	59
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	67
व्यय का वेग	3.5	70
अनुदान संख्या 56 के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.6	71
अनुदान संख्या 29 के अंतर्गत खनन और भूविज्ञान विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.7	84
निष्कर्ष	3.8	94
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
श्रम उपकर	4.1	95
गैर-बजट उधार	4.2	97
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.3	97
स्थानीय निधि जमा	4.4	99
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.5	99
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	102
डी.सी. विपत्रों के प्रस्तुति में विलम्ब	4.7	104
व्यक्तिगत बही खाता	4.8	105
व्यक्तिगत जमा खाता	4.9	107
लघु शीर्ष 800 का निरंतर उपयोग	4.10	107
प्रमुख उचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष	4.11	108
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.12	109

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
नकद शेष का समाशोधन	4.13	110
लेखा मानकों का अनुपालन	4.14	111
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.15	112
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.16	115
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.17	115
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	116
निष्कर्ष	4.19	116

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	119
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	120
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	120
परिशिष्ट 1.2	वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	121
परिशिष्ट 2.1	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	124
परिशिष्ट 2.2	31 मार्च 2020 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	128
परिशिष्ट 3.1	बजट प्रावधान के बिना खर्च वाले योजनाओं का अनुदान-वार सार	129
परिशिष्ट 3.2	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	130
परिशिष्ट 3.3	अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग	132
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	133
परिशिष्ट 3.5	मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	135
परिशिष्ट 3.6	2019-20 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण	137
परिशिष्ट 3.7	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	142
परिशिष्ट 3.8	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	143
परिशिष्ट 3.9	व्यय का वेग	151
परिशिष्ट 3.10	विभाग को बजट प्रेषित करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का ब्यौरा	151
परिशिष्ट 3.11	बजट प्रावधान एवं इसकी उपयोगिता की विवरणी	152
परिशिष्ट 3.12	कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता का ब्यौरा	153
परिशिष्ट 3.13	व्यय के वेग को दर्शाती विवरणी	154
परिशिष्ट 3.14	वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन में अभ्यर्पण	155

परिशिष्ट 3.15	आदिवासी विकास समिति की संख्या तथा निधि अंतरण को दर्शाती विवरणी	156
परिशिष्ट 3.16	आठ जिलों में आदिवासी विकास समिति की आवंटन-व्यय को दर्शाती विवरणी	157
परिशिष्ट 3.17	चौदहवें वित्त आयोग के बेसिक अनुदान के अंतर्गत जारी निधि	158
परिशिष्ट 3.18	अवरूद्ध निधि को दर्शाती विवरणी	159
परिशिष्ट 3.19	सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग एवं अभ्यर्पण	160
परिशिष्ट 3.20	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण	161
परिशिष्ट 3.21	व्यय का वेग	162
परिशिष्ट 3.22	विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा	162
परिशिष्ट 4.1	खनन एवं भूतत्व विभाग के बकाये डी.सी.विपत्र का ब्यौरा	163
परिशिष्ट 4.2	“800 अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों के ब्योरे को दर्शाती विवरणी	164
परिशिष्ट 4.3	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	165
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		167

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अध्याय- 1 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/ घाटा, राजकोषीय आधिक्य/ घाटा इत्यादि राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

अध्याय- 2 एवं 3 क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से भी जानकारियाँ प्राप्त की गयी हैं।

अध्याय- 4 लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार का अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के संकलन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1- अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन और अंतर्निहित डेटा का आधार और दृष्टिकोण, सरकारी लेखों की संरचना का अवलोकन, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समष्टि वृहत वित्तीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2- राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण की रूपरेखा और लोक लेखाओं के लेन-देन को राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3- बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर आधारित है।

अध्याय-4- लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार : यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य की वित्तीय स्थिति को तीन प्रमुख वित्तीय मानकों राजस्व घाटा/ अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के अनुपात में बकाया ऋण के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2009-10 और 2014-15 को छोड़कर वर्ष 2006-07 से राज्य राजस्व अधिशेष राज्य था। 2019-20 के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 1,960 करोड़ था। हालांकि, इस अधिशेष को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कारणों में योगदान न करने और पूंजी श्रेणी के तहत राजस्व मदों के गलत वर्गीकरण के आलोक में देखा जाना चाहिए। इन्हें शामिल करने से राज्य को 2019-20 के दौरान ₹ 440.16 करोड़ का राजस्व अधिशेष होता।

पंचवर्षीय अवधि 2015-20 के दौरान, राज्य का बकाया ऋण स.रा.घ.उ. के 27.36 और 28.73 प्रतिशत के बीच रहा, जो झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं

बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के तहत तैयार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

(अध्याय-1 एवं 2)

राज्य के वित्त

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। एफ.आर.बी.एम लक्ष्य और एफ.एफ.सी. मानदण्ड तीन प्रतिशत के विरुद्ध राज्य का राजकोषीय घाटा मार्च, 2020 के अंत तक स.रा.घ.उ. का 2.45 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है, जबकि, आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया। 2015-20 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय का हिस्सा 31 से 35 प्रतिशत के बीच दोलित था।

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 प्रतिशत था, जिसका 42.74 प्रतिशत वेतन, सब्सिडी, ब्याज और पेंशन भुगतान पर खर्च किया गया।

सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 13 प्रतिशत के कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 833 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च, 2020 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखा के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से ₹ 447.95 करोड़ का निवेश सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2019-20 के दौरान "शून्य" था जबकि सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान उधार पर 6.34 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि मार्च, 2020 (₹ 20,846 करोड़) के अंत तक बकाया है।

कुल मिलाकर वित्तीय देनदारियाँ 2018-19 में ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गईं। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 28.73 प्रतिशत के विरुद्ध 27.10 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन भी अब तक नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन से कोई ब्याज नहीं दिया था, जो 2011-20 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों पर ₹ 681.76 करोड़ का होता है। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने उस वर्ष के दौरान

हास निधि में ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया, फिर भी इसका अंतरण नहीं किया गया।

(अध्याय 2)

बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल बचत ₹ 23,984.71 करोड़ (कुल बजट का 25.31 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का द्योतक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 6,184.28 करोड़ की सतत बचत हुई।

वर्ष के दौरान 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 9,272.22 करोड़ (99.37 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक के अनुदान/विनियोग पर ₹ 3,015.37 करोड़ की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान एक अनुदान एवं एक विनियोग में ₹ 313.32 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(अध्याय 3)

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2020 तक एकत्रित ₹ 550.18 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर, 2020) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे राजस्व अधिशेष बढ़ा और राजकोषीय घाटे में कमी हुई और यह राज्य की अलेखित दायित्वों को दर्शाता है।

झारखण्ड राज्य विधुत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) द्वारा एकत्र की गई फीस, लोक लेखा से बाहर जे.एस.ई.आर.सी. के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी गई थी। जैसे 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य के लोक लेखा के बाहर ₹ 32.90 करोड़ की प्राप्तियाँ रखी गई। राज्य में 31 मार्च, 2020 तक ₹ 69,702.99 करोड़ राशि के 29,358 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2019-20 तक विभिन्न विभागों द्वारा बकाया थे।

आकस्मिक विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर विस्तृत विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2020 तक, 2019-20 तक निकालें गए आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में विस्तृत विपत्र (18,219) की राशि ₹ 6,444.44 करोड़ जमा नहीं की गई थी।

(अध्याय 4)

अध्याय-1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 29.62 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राज्य में 24 जिले हैं, जिनमें से नौ जिले अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30 से 56 प्रतिशत तक वनक्षेत्र से आच्छादित हैं।

झारखण्ड की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण हैं। प्रमुख खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम है। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है। 31 मार्च, 2020 तक राज्य में प्रमुख खनिजों के 373 खादानें, लघु खनिजों के 3,572 खादानें तथा प्रमुख एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खादानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 10 वर्षों में 14.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2020 में 3.82 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2019-20 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,28,598 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर 2019-20 के दौरान राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय ₹ 90,475 थी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोषागारों द्वारा प्रेषित अभिश्रव, चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार कार्यालयों से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित

अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े,
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विश्लेषण 14^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में किया गया था। राज्य वित्त विभाग के साथ एक बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया और ड्राफ्ट रिपोर्ट को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था। सरकार के जवाब, जो भी प्राप्त हुए, इस प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर शामिल किए गए।

1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))
2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))
3. राज्य के लोक लेखे (संविधान के अनुच्छेद 266 (2))

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।


पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.1 : सरकारी लेखे की संरचना



वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

तालिका: 1.1 : सरकारी लेखे की वर्गीकरण प्रणाली

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि, (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन

भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु, इत्यादि है। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ लक्ष्य (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्य शीर्ष “वेतन” राजस्व व्यय एवं लक्ष्य शीर्ष “निर्माण” पूँजीगत व्यय है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख** में दिये गए हैं।

बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/ विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत है।

1.3.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप है।


तालिका 1.2: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56


स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)



स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.3: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



1.3.2 वित्त का आशुचित्र

निम्न तालिका वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका: 1.3 बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट आकलन)	2019-20 (वास्तविक)	ब.आ. से . वास्तविक की प्रतिशतता (2019-20)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2019-20)
1	कर राजस्व	14,752	24,319	16,771	68.96	5.10
2	गैर-कर राजस्व	8,258	11,771	8,750	74.34	2.67
3	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	23,903	21,399	20,593	96.23	6.27
4	सहायता अनुदान तथा अंशदान	9,236	15,370	12,303	80.05	3.74
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	56,152	72,859	58,417	80.18	17.78
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47	55	49	89.09	0.02
7	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0.00
8	लोक ऋण	7,803	12,000	9,593	79.94	2.92
9	पूँजी प्राप्तियाँ (6+7+8)	7,850	12,055	9,642	79.98	2.93
10	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	64,002	84,914	68,059	80.15	20.71
11	राजस्व व्यय	50,631	66,317	56,457	85.13	17.18
12	ब्याज भुगतान	4,852	5,187	5,308	102.33	1.62
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान	8,447	8,169	7,079	86.66	2.15
14	पूँजी व्यय	12,197	14,419	10,044	69.66	3.06
15	पूँजी परिव्यय	10,712	12,864	9,879	76.80	3.01
16	ऋण एवं अग्रिम	1,485	1,555	165	10.61	0.05
17	कुल व्यय (11+14)	62,828	80,736	66,501	82.37	20.24
18	राजस्व आधिक्य (5-11)	5,521	6,542	1,960	29.96	0.60
19	प्रभावित राजस्व घाटा (18-13)	-2,926	-1,627	-5,119	314.63	-1.56
20	राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}	6,629	7,822	8,035	102.72	2.45
21	प्राथमिक घाटा (20-12)	1,777	2,635	2,727	103.49	0.83

1.4 राजकोषीय संतुलन : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

राज्य सरकार ने मध्यम अवधि ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र सतर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय प्रबंधन में विवेक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया

है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

तालिका 1.4: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य के एम.टी.एफ.पी. में प्रावधानों का अनुपालन


राजकोषीय पैरामीटर	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष	4,085 ✓	1,965 ✓	1,804 ✓	5,521 ✓	1,960 ✓
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत	11,523 ¹ (5.58) ✓	10,193 (4.31) X	11,933 (4.42) X	6,629 (2.23) ✓	8,035 (2.45) ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	27.1 से 28.3 प्रतिशत के बीच	27.4	28.3	27.9	27.2	27.1
	वास्तविक	27.36 ✓	28.29 ✓	28.57 X	28.19 X	28.73 X

तालिका 1.5: वर्ष 2019-20 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता


क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2019-20)	प्रवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	20,850	16,771	(-)19.56
2	गैर-कर राजस्व	10,674	8,750	(-)18.03
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	29,000	20,593	(-)28.99
4	भा.सरकार द्वारा सहायता अनुदान	13,834	12,303	(-)11.07
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	74,358	58,417	(-)21.44
6	राजस्व व्यय	65,803	56,457	(-)14.20
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(+)8,555	(+)1,960	(-)77.09
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(-)7,155.63	(-)8,035	12.29
9	ऋण - स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.10	28.73	1.63
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. विकास दर (प्रतिशत)	7.20	10.56	3.36

¹ उदय बाण्ड पर ऋण/उधार के कारण बढ़ोतरी


चार्ट 1.4: घाटा पैरामीटर में रुझान



चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष घाटे में रुझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.उ.घ.रा. में रुझान



1.5 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, सिंकिंग एवं मोचन निधि इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को प्रतिकूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति(+)/अत्योक्ति (-) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	संदर्भ कंडिका
लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	550.18	550.18	4.1
समेकित सिंकिंग निधि में योगदान नहीं	280.16	280.16	2.5.3
पूँजी के बजाय राजस्व अनुभाग के अधीन बजट किए गए/इंद्राज किए गए मुख्य कार्य	0.40	0.00	3.3.3
एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	689.61	689.61	2.5.2
कुल	1,520.35	1,519.95	

स्रोत : वित्त लेखा तथा लेखापरीक्षा विश्लेषण

यह देखा जा सकता है कि राजस्व आधिक्य में ₹ 1,520.35 करोड़ की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटा में ₹ 1,519.95 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 1,960.91 करोड़ और ₹ 8,034.44 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 440.16 करोड़ और ₹ 9,554.39 करोड़ रहा। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के दायित्वों को ₹ 1,519.95 करोड़ तक कम दर्शाया गया।

तालिका 1.7: वर्ष 2019-20 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2019-20				लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	घनात्मक	(+)2.49	(+) 1.91	(+)0.60	(+)0.13
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.25	2.09	2.28	2.45	2.70
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.80	27.10	-	28.73	28.98

राज्य ने वर्ष 2014-15² को छोड़कर, राजस्व घाटे को राजस्व अधिशेष में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2007 में दिए गए लक्ष्यों को हासिल किया, लेकिन स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के संदर्भ में, यह बजट अनुमान और एम.टी.एफ.पी. अनुमान से कम था। हालांकि, तालिका 1.7 में दिखाए गए अविभाजित दायित्व को लेखे में लेने के बाद 0.47 प्रतिशत का परिवर्तन देखा गया।

2019-20 के दौरान, जी.एस.डी.पी. अनुपात के सापेक्ष राजकोषीय घाटा एफ.एफ.सी. द्वारा अनुशंसित सीमा 3.25 प्रतिशत के भीतर था, जबकि, यह एम.टी.एफ.पी. में दिए गए लक्ष्य से अधिक था। राज्य का ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.एफ.सी. प्रक्षेपण और एम.टी.एफ.पी. अनुमान से अधिक था।

लोक ऋण और लोक लेखा सहित राज्य के कुल ऋण/दायित्वों की व्याख्या इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में की गई है। इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ, निगमों, एस.पी.वी. इत्यादि द्वारा कोई गैर-बजट उधार नहीं लिया गया।

² राजस्व अधिशेष ₹ 230 करोड़

अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

2.1 वर्ष 2018-19 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

यह अध्याय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का एक विहंगम दृष्टि एवं लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

तालिका 2.1 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 4.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की की स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 13.86 प्रतिशत की कमी हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में 33.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 11.51 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.99 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.84 प्रतिशत तक वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 7.80 प्रतिशत की कमी हुई।✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 56.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 11.46 प्रतिशत की कमी आई है।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.20 प्रतिशत की कमी आई है।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 88.89 प्रतिशत की कमी हुई।✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 3.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में 22.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सार्वजनिक ऋण की वसूली में 38.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 66.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 68.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान नगद शेष राशि में ₹ 2,668.09 करोड़ (335.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है।


तालिका 2.1: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा		2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	-242.16	188.30	430.46
	राजस्व प्राप्तियाँ	56,151.70	58,417.14	2,265.44
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47.57	49.19	1.62
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (शुद्ध)	4,743.32	5,361.72	618.40
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (शुद्ध)	2,315.90	2,430.28	114.38
	कुल	63,016.33	66,446.63	3,430.30
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	50,630.73	56,456.63	5,825.90
	पूँजीगत व्यय	10,711.71	9,878.71	-833.00
	ऋण एवं अग्रिम का वितरण	1,485.59	165.43	-1,320.16
	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी शेष	188.30	-54.14	-242.44
	कुल	63,016.33	66,446.63	3,430.30

चार्ट 2.1 वर्ष 2019-20 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूंजी एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे लोक लेखा (वितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों को भी घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दी गई है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से अनुदान शामिल रहता है।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से कर्ज प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल रहता है।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ** : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्यविधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं रखा जाता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

चार्ट 2.2 में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.1 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ


मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	40,638	47,054	52,756	56,152	58,417
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.74	15.79	12.12	6.44	4.03
स्वयं का कर राजस्व	11,478	13,299	12,353	14,752	16,771
कर-भिन्न राजस्व	5,853	5,351	7,847	8,258	8,750
स्वयं की राजस्व वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	18.0	7.6	8.3	13.9	10.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 क्रम में)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.67	19.92	19.55	18.89	17.78
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	*	1.10	0.85	0.63	0.38
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	*	0.53	0.58	1.37	1.03

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पी.ई.- अन्तिम अनुमान क्यू.ई.-त्वरित अनुमान चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।


वर्ष 2015-16 के संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की वृद्धि दर 68.30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में (-)13.86 प्रतिशत हो जाने के कारण राज्य के राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि वर्ष 2015-16 में 28.74 प्रतिशत से लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में 4.03 प्रतिशत हो गयी। हालांकि उदय बॉन्ड पर एक मुश्त उधारी के कारण वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति वृद्धि सबसे अधिक थी।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ




इसके अलावा, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दिखाया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 10.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. एवं जी.आई.ए.) में 0.74 प्रतिशत की कमी हुई। मुख्य रूप से जी.एस.टी. में करों को शामिल किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान सी.टी.टी. में सारभूत (₹ 3,313 करोड़ तक) कमी आई जिसे जी.आई.ए. (₹ 3,067 करोड़ तक) में महत्वपूर्ण वृद्धि के द्वारा संतुलित किया गया।

2.3.1.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मानव उपभोग हेतु अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पर वाणिज्य कर, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। **चार्ट 2.5** वर्ष 2015-20 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है

चार्ट 2.5: वर्ष 2015-20 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि**तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के राजस्व का घटक**

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
बिक्री कर	8,999	10,549	5,715	3,475	3,996	
एस.जी.एस.टी.	0	0	4,124	8,201	8,418	
राज्य उत्पाद	912	962	841	1,083	2,009	
वाहनों पर कर	633	682	779	864	1,129	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	532	607	469	451	560	
भू राजस्व	164	240	156	389	338	
अन्य	238	259	270	289	321	
कुल	11,478	13,299	12,354	14,752	16,771	

स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर, वर्ष 2017-18 को छोड़कर जब जी.एस.टी. के लागू होने के कारण वृद्धि दर (-)7.10 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-20 में 10.90 से 19.40 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2018-19 (19.40 प्रतिशत) के दौरान स्वयं के कर राजस्व वृद्धि वर्ष 2019-20 (13.69 प्रतिशत) से अधिक थी। कारण कि निगम कर एवं अन्य निगम कर से आय पर कम करों का संग्रह हुआ। वर्ष 2017-18 में जी.एस.टी. के लागू होने के परिणामस्वरूप करों के कम संग्रहण के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि दर अधिक थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रहण का लगभग दो गुना था। यह मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 के दौरान दुकानों की संख्या में वृद्धि एवं नई खुदरा उत्पाद नीति के लागू होने के कारण हुई। नई कर संरचना एवं बकायादारों से बकाया का संग्रहण के कारण वाहनों पर करों के संग्रहण में भी वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष की अवधि तक मुआवजा दिया जाना है। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी.(आईजी.एस.टी) वसूलती है तथा उस राज्य को राज्यांश कर प्रदान करती है जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 10,827.10 करोड़ था जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत लगाए गए करों के संबंध में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 8,419.25 करोड़ थी। भारत सरकार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान मुआवजा के रूप में ₹ 1,531.82 करोड़ दिया। हालांकि फरवरी एवं मार्च 2019 के महीनों से संबंधित मुआवजा (₹ 172.00 करोड़) मई 2019 में प्राप्त हुआ तथा दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 की अवधि से संबंधित मुआवजा राशि वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त नहीं हुई। दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि से संबंधित मुआवजा राशि (₹ 470.17 करोड़) जून 2020 में एवं मार्च 2020 की मुआवजा राशि (₹ 199.83 करोड़) जुलाई 2020 में प्राप्त हुई।

अतः ₹ 206.03 करोड़ की कम प्राप्ति के साथ अनुमानित राजस्व ₹ 10,827.10 करोड़ के सापेक्ष एस.जी.एस.टी. संग्रहण एवं मुआवजा की राशि ₹ 10,621.07 करोड़ की प्राप्ति हुई।

आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन एवं जी.एस.टी. मुआवजा के विरुद्ध इसका समायोजन

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. राज्य सरकार में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 69.12 करोड़ की राशि की अनंतिम/ अग्रिम निपटान इस शर्त पर स्वीकृत किया कि इस राशि का समायोजन आई जी.एस. टी. के भविष्य के भुगतान से कर ली जाएगी।

जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी.एस.टी.एन. परिसर पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु जून 2020 में भारत सरकार का निर्णय संप्रेषित की गई। हालाँकि, आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई। इसलिए जी.एस.टी.एन. आँकड़ों तक लेखापरीक्षा पहुँच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लंबित रहने के कारण वर्ष 2019-20 के लेखा को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर उसी प्रकार प्रमाणित किया गया, जैसा कि अभिलेखों का मानव आधारित रख-रखाव किया जाता था।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार को राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध होती है। बकाया राजस्व संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2020 तक, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 6,532.33 करोड़ था (वाणिज्यिक कर विभाग, उत्पाद और मद्यनिषेध विभाग, मोटर वाहन कर विभाग तथा भू-राजस्व विभाग) जिनमें से ₹ 1,474.53 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से, ₹ 7.72 करोड़ की राशि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग से संबंधित थी जो न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा अवरुद्ध की गयी थी।

वर्ष 2018-19 के 44.22 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च 2020 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के स्वयं के कर (₹ 16,771 करोड़) का 37.25 प्रतिशत रहा।

विभाग द्वारा कर अपवंचन के ज्ञात मामले, धन वापसी इत्यादि के मामले

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग द्वारा पाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित किए गए मामले एवं अतिरिक्त कर की माँग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। धनवापसी मामलों के निष्पादन में तेजी भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 2.5: कर अपवंचन के ज्ञात मामले

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को लंबित मामले	माँग की राशि	2019-20 दौरान ज्ञात मामले	माँग की राशि	कुल मामले	माँग की राशि	मामले जिनमें जुर्माने के साथ अतिरिक्त माँग की गई		लंबित मामले	माँग की राशि
							मामले की संख्या	माँग की राशि		
बिक्री एवं व्यापार पर कर/वैट	3	27.95	0	0	3	27.95	0	0	3	27.95

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2020 तक ₹ 27.95 करोड़ की राशि के कर अपवंचन के तीन मामले सूचित किए गए। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, मोटर वाहन कर विभाग तथा भू-राजस्व विभाग द्वारा कर अपवंचन के कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

तालिका 2.6: धन वापसी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्यौरा	बिक्री कर /वैट		राज्य उत्पाद		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के शुरुआत में लंबित दावे	37	32.12	67	3.79	104	35.91
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	69	17.97	शून्य	शून्य	69	17.97
3.	वर्ष के दौरान वापसी	30	6.79	शून्य	शून्य	30	6.79
4.	वर्ष के दौरान वापसी की मनाही	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	76	43.30	67	3.79	143	47.09

31 मार्च 2020 तक, वाणिज्य कर विभाग (₹ 43.30 करोड़) और राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (₹ 3.79 करोड़) में ₹ 47.09 करोड़ के करों की वापसी के 143 मामलों लंबित हैं।

ब कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा मुनाफा, खनन प्राप्तियाँ, विभाग की प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 8,750 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण इस वर्ष हेतु एफ.एफ.सी द्वारा बनाए गए ₹ 6,224 करोड़ के मानक प्रक्षेपण से अधिक था लेकिन ₹ 11,771 करोड़ के बजट आकलन से कम था।

वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पाकलाइन
ब्याज प्राप्तियां	122	121	169	47	310	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	0	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	5731	5230	7678	8211	8440	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	4384	4094	5941	5935	5461	
(ख) शिक्षा	20	21	20	590	169	
(ग) शहरी विकास	268	144	122	265	529	
(घ) मुख्य सिंचाई	19	20	131	321	424	
(ङ.) जन आपूर्ति	19	4	5	6	420	
(च) अन्य	1021	947	1459	1094	1437	
कुल	5853	5351	7847	8258	8750	

वर्ष 2016-17 (11.37 प्रतिशत) को छोड़ कर 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत रहा। कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थी। हालांकि, खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी के कम संग्रहण के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अधीन संग्रहण में ₹ 473.28 करोड़ की कमी हुई जिसकी क्षतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति और अन्य के तहत बढ़े हुए संग्रहण से हुई। 2019-20 के दौरान नकद शेष निवेश पर अर्जित ब्याज के कारण ब्याज प्राप्ति में वृद्धि हुई। सरकार ने 6.34 प्रतिशत प्रति वर्ष के औसत ब्याज दर पर उधार लिया, जबकि इसके नगद शेष पर प्राप्त ब्याज की दर केवल पाँच प्रतिशत थी।

यह देखा गया है कि शहरी विकास और नागरिक आपूर्ति से मुख्य रूप से सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई।

लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा राशि


वर्ष 2019-20 के दौरान, 40 राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष के अंतर्गत, लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान की बिना खर्च की गई शेष राशि की वसूली' से राज्य सरकार को ₹ 1,800.00 करोड़ की राशि (अनुदान की अप्रयुक्त राशि एवं योजना निधि की अप्रयुक्त राशि) जमा की गई। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं से संबंधित जमा की गई राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा

राशि के वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण तथा इनके राजस्व प्राप्तियों में शामिल होने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष का अधिमूल्यन हुआ।

स केन्द्र से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्रीय अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर, जब यह इस निशान से ठीक नीचे था, वर्ष 2010-20 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्वयं के राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राजस्व मुआवजे की प्राप्ति के फलस्वरूप गैर-ऋण प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18 के दौरान उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2019-20 के दौरान यह अनुपात 56 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: राज्य को केन्द्र से अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का हस्तांतरण वर्ष 2010-11 के ₹ 6,154 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 23,906 करोड़ हो गई। हालांकि पूर्व वर्ष के सापेक्ष यह वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 20,593 करोड़ (₹ 3,313 करोड़ की कमी) हो गई।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.8 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	लागू नहीं	299	5,900	5,844
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	लागू नहीं	2,134	471	0
निगम कर	5,031	6,135	6,475	8,313	7,021
निगम कर के अलावा आय पर कर	3,503	4,264	5,467	6,122	5,502
कस्टम	2,551	2,639	2,134	1,695	1,305
संघ उत्पाद शुल्क	2,117	3,013	2,230	1,126	908
सेवा कर	2,755	3,077	2,404	220	0
अन्य कर ²	12	14	0	59	13
केन्द्रीय कर अंतरण	15,969	19,142	21,144	23,906	20,593
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	68	20	10	13	-14
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	39	41	40	43	35

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में सी.टी.टी. की कमी का कारण मुख्य रूप से निगम कर से इतर आय पर कर प्राप्ति (₹ 621 करोड़), निगम कर (₹ 1,292 करोड़) तथा आई.जी.एस.टी. की अप्राप्ति थी। सी.टी.टी. ने 2018-19 के 42.57 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 58,417.14 करोड़) का 35.25 प्रतिशत था।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2015-20 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर 2018-19 में (-)19.02 प्रतिशत सहित 23.23 प्रतिशत तथा 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹ 528 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में ₹ 249 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को आधारभूत अनुदान में ₹ 538 करोड़ तक कम अनुदान की प्राप्ति के कारण यह सबसे कम थी। जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अधिक आधारभूत अनुदान प्राप्त होने के कारण इसकी वृद्धि अधिकतम थी।

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

तालिका 2.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजना अनुदान*	1,685.82	1,875.29	-	-	-
राज्य योजना हेतु अनुदान*	4,950.18	6,792.89	-	-	-
केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान*	50.90	78.01	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान*	650.74	515.16	-	-	-
विशिष्ट योजना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	-	-	7,985.24	6,996.85	7,339.05
वित्त आयोग अनुदान	-	-	1,583.03	1,059.89	3,154.60
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	1,844.02	1,178.78	1809.01
कुल	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.66
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-0.74	26.21	23.23	-19.07	33.21
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	18.06	19.68	21.63	16.45	21.06

स्रोत: वित्त लेखे

*कोई आँकड़े नहीं: चूँकि 2017-18 से योजना एवं गैर-योजना अनुदान का नामकरण हटा दिया गया तथा इसे सी.एस.एस. हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदान में प्रतिस्थापित किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन, सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14 ^{वें} एफ.सी. की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन [#]		
	2015-19	2019-20	कुल	2015-19	2019-20	कुल	2015-19	2019-20	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	4,214.62	1,832.12	6,046.74	3,493.54	2,236.71	5,730.25	10,149.07	2,497.70	12,646.77
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	3,809.48	1,632.59	5,442.07	2,997.51	2,236.71	5,234.22	10,149.07	2,497.70	12,646.77
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	405.14	199.53	604.67	496.03	0	496.03			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	1,328.72	585.83	1,914.55	670.11	586.39	1,256.50	7,695.52	1,504.45	9,199.97

(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	1,072.16	459.48	1,531.64	670.11	518.42	1,188.53	7,695.52	1,504.45	9,199.97
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	256.56	126.35	382.91	0	67.97	67.97			
स्थानीय निकायों के लिए कुल	5,543.34	2,417.95	7,961.29	4,163.65	2,823.10	6,986.75	17,844.59	4,002.15	2,1846.74
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष*	1,568.00	442.00	2,010.00	1,176.00	331.50	1,507.50	1,568.00	442.00	2,010.00
कुल योग	7,111.34	2,859.95	9,971.29	5,339.65	3,154.6	8,494.25	19,412.59	4,444.15	23,856.74

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित, # भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।
स्रोत: एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

2.3.2 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2015-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	13,276.00	7,119.42	8,203.85	7,850.43	9,642.31
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	25.09	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	31.06	38.46	42.41	47.57	49.19
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	10,999.49	5,003.51	5,187.81	4,743.34	5,361.72
आंतरिक ऋण	11,001.00	4,927.00	5,117.24	4,637.10	5,109.14
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	128.46	(-55.21)	3.86	-9.37	10.17
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	(-1.51)	76.51	70.57	106.22	252.44
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-70.79)	5,166.89	(-7.76)	50.52	137.66
पूँजीगत ऋण प्राप्ति की वृद्धि दर	97.98	(-46.54)	14.90	-4.10	22.93
पूँजीगत गैर-ऋण प्राप्ति की वृद्धि दर	(-6.06)	22.58	76.32	(-29.85)	4.66
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	(-5.45)	14.34	14.21	10.15	10.56
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	97.47	(-46.37)	15.23	(-4.31)	22.83

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2015-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2019-20 के दौरान बाजार ऋण (₹ 1,991 करोड़) के अंतर्गत उधार बढ़ने के कारण राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गईं। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बांड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ की एकमुश्त उधारी के कारण 2015-16 में पूँजीगत ऋण प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2015-16 के बाद उदय बांड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

2.3.3 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है।

तालिका 2.12: 2019-20 हेतु स्वयं के कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान
(₹ करोड़ में)

	एफ.सी. अनुमान	बजट आकलन	वास्तविक	वास्तविक भिन्नता का प्रतिशत	
				बजट आकलन से	एफ.सी. अनुमान से
स्वयं के कर राजस्व	26,090.00	24,319.00	16,771.45	(-)31.04	(-)35.72
कर-भिन्न राजस्व	6,224.00	11,770.93	8,749.98	(-)25.66	40.58

जैसा कि तालिका 2.12 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण बजट अनुमानों से बहुत कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित की जाती है कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निदेशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.13, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.1 विगत पाँच वर्षों (2015-20) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.13: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	52,192	57,285	64,756	62,827	66,501
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	8,159	10,861	11,953	10,712	9,879
ऋण एवं अग्रिम	7,480	1,335	1,852	1,485	165
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	25.30	24.20	24.00	21.10	20.20
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	17.70	19.10	18.90	17.04	17.18
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	3.95	4.60	4.43	3.60	3.01
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	3.62	0.57	0.69	0.50	0.05

तालिका 2.13 में दर्शाये अनुसार, स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2015-16 से निरंतर कमी हुई जो दर्शाता है कि राज्य सरकार न ही विकासात्मक गतिविधियों पर और न ही पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर राशि व्यय कर रही थी।


तालिका 2.14: विभिन्न क्षेत्रों में व्यय से संबंधित हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवा	24.09	23.76	26.82	29.36	30.00
सामाजिक सेवा	30.48	35.15	32.64	32.51	34.44
आर्थिक सेवा	45.33	40.99	40.46	38.06	35.48

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया था। सामाजिक सेवाओं का हिस्सा इन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर था।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - इसकी संरचना के हिस्से की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.8: कुल व्यय - गतिविधियों अनुसार खर्च



2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय विगत उत्तरदायित्व हेतु व्यय तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है।

यह देखा गया है कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2015-16 के 70 प्रतिशत से प्रमुखता से बढ़कर 2019-20 में 85 प्रतिशत हो गई। हालांकि स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2018-19 और 2019-20 के दौरान 17 प्रतिशत के स्तर पर लगभग समान था।

वर्ष 2019-20 के कुल राजस्व व्यय ₹ 56,456.63 करोड़ में से ₹ 28,829.69 करोड़ स्थापना पर तथा ₹ 27,626.94 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। इसके अलावा, ₹ 56,456.63 करोड़ में से, मुख्य हिस्सा (38 प्रतिशत) सामाजिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद सामान्य सेवा पर (33 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष उत्प्लावकता तथा कुल व्यय से इसका अनुपात तालिका 2.15 में दर्शाया गया है एवं 2019-20 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय-आधारभूत प्राचल


(₹ करोड़ में)

प्राचल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	52,192	57,285	64,756	62,827	66,501
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
रा.व्य. की वृद्धि (प्रतिशत)	15.0	23.4	13.0	-0.6	11.5
कुल व्य. के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	70.0	78.7	78.7	80.6	84.9
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	17.70	19.10	18.90	17.04	17.18
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	89.9	95.8	96.6	90.2	96.6
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-).2.75	1.63	0.91	(-).0.06	1.09
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.52	1.48	1.07	(-).0.09	2.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9 राजस्व व्यय के वितरण का क्षेत्रवार-विवरण



वर्ष 2018-19 में (-) 0.6 प्रतिशत के तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत बढ़ी तथा कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 4.3 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 0.14 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। आगे, बजट आकलन (₹ 66,317 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ₹ 9,860 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2040-बिक्री कर, व्यापार इत्यादि	83.06	80.26	(-) 2.80
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	4.96	2.02	(-) 2.94
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,379.57	655.47	(-) 724.10
2216-आवास	17.23	12.79	(-) 4.44
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	1,146.45	1,205.41	58.96
2236 -पोषण	547.47	436.15	(-) 111.32
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	485.37	607.69	122.32
2505-ग्रामीण विकास	3,391.95	3,495.94	103.99
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,554.32	3,769.15	214.83

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, (1) अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना (मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत), (2) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (मुख्यतः ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, ग्रामीण स्वच्छता एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के

अंतर्गत) तथा (3) जल निकासी सेवाओं (मुख्य रूप से ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत) पर मुख्य रूप से क्रमशः 65 प्रतिशत, 56 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर राजस्व व्यय में कमी हुई।

पोषण पर राजस्व व्यय मुख्य रूप से विशेष पोषण कार्यक्रमों एवं जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (मुख्य रूप से परिवार एवं बाल कल्याण के लिए पौष्टिक भोजन के वितरण हेतु विशेष योजना के तहत) पर क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत कम हुआ।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पर राजस्व व्यय में वृद्धि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 57 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना पर 40 प्रतिशत तक अधिक व्यय के परिणामस्वरूप थी। इसी तरह, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वृद्धि ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 1,621 करोड़ अधिक सहायता मिलने के परिणामस्वरूप हुई।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकासशील क्षेत्र के लिए सरकार को कम लचीलापन प्रदान करती है।

तालिका 2.17 वर्ष 2015-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ और वर्ष 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	8,218	8,927	11,221	12,138	12,832
पेंशन पर व्यय	3,990	4,135	5,913	5,991	6,005
ब्याज भुगतान	3,320	4,172	4,662	4,852	5,308
कुल	15,528	17,234	21,796	22,981	24,145
राजस्व प्राप्तियों (₹ 58,417 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	20.20	19.00	21.30	21.60	22.00
पेंशन पर व्यय	9.82	8.79	11.21	10.67	10.28
ब्याज भुगतान	8.17	8.87	8.84	8.64	9.09
कुल	38.19	36.65	41.34	40.91	41.37
राजस्व व्यय (₹ 56,457 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	22.50	19.80	22	24	22.7
पेंशन पर व्यय	10.92	9.17	11.61	11.83	10.64
ब्याज भुगतान	9.08	9.25	9.15	9.58	9.40
कुल	42.50	38.22	42.75	45.42	42.74

2019-20 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2018-19 में 45.42 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का 42.74 प्रतिशत रहा जबकि इसमें वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों का 41.37 प्रतिशत खपत की गई।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2018-19 के 4.10 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 9.40 प्रतिशत थी। मुख्यतः अन्य आंतरिक ऋण पर अधिक ब्याज अदायगी के कारण राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी की प्रतिशतता वर्ष 2018-19 के 8.64 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 9.09 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात एफ.एफ.सी अनुशंसा के 8.08 प्रतिशत से अधिक था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) के तहत रखा गया है जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके बराबर राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2019-20 के दौरान ₹ 496.27 करोड़ के नियोक्ता के योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को नियोक्ता के योगदान के रूप में ₹ 522.43 करोड़ के मुकाबले ₹ 495.51 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष 2019-20 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 39.55 करोड़ शेष रह गयी।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.18 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 3.73 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.32 प्रतिशत हो गई है। निरपेक्ष मूल्य के अनुसार, सब्सिडी के भुगतान पर खर्च 2018-19 में ₹ 2,092 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,275³ करोड़ हो गया।

2019-20 के दौरान झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401-कृषि (₹ 1,746 करोड़), 2801-उर्जा (₹ 1,350 करोड़) तथा 3456-नागरिक आपूर्ति (₹ 1,044 करोड़) की सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। मुख्यतः कृषि फार्म कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि के लिए ₹ 600 करोड़, अनुसूचित जाति

³ वित्त लेखे 2018-19 का परिशिष्ट II

के विशेष संघटक योजना के लिए ₹ 200 करोड़, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए 500 करोड़ आदि तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपभोगताओं को ₹ 755 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी दिये जाने के कारण पिछले वर्ष के विरुद्ध 2019-20 के दौरान सब्सिडी में ₹ 2,183 करोड़ की वृद्धि हुई।

तालिका 2.18: वर्ष 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	522	1,859	1,440	2,092	4,275
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	1.28	3.95	2.73	3.73	7.32
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	1.43	4.12	2.83	4.13	7.57

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

तालिका 2.19: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,830.77	2,961.14	1,155.11	1,748.50	1,505.45
पंचायती राज संस्थान	3,407.48	2,533.77	1,270.13	2,937.69	2,497.70
कुल (अ)	5,238.25	5,494.91	2,425.24	4,686.19	4,003.15
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	826.24	1,133.03	671.67	621.08	1,265.29
विकास प्राधिकरण	3,410.53	3,915.39	7,447.41	3,952.30	10,771.73
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3,987.54	0	0	0	1,753.28
अन्य संस्थान	1,427.46	9,788.69	10,169.67	8,716.24	1,398.01
कुल (ब)	9,651.77	14,837.11	18,288.75	13,289.62	15,188.31
कुल (अ+ब)	14,890.02	20,332.02	20,713.99	17,975.81	19,191.46
राजस्व व्यय	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	40.74	45.09	40.65	35.50	33.99


वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य रूप से पिछले वर्ष दिये गए (₹ 167.15 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान की कम विमुक्ति तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए ₹ 2,184.68 करोड़ कम सहायता अनुदान के कारण पी.आर.आई. के वित्तीय सहायता में ₹ 439.99 करोड़ की कमी हुई। जलापूर्ति एवं स्वच्छता के सहायता अनुदान में ₹ 375.13 करोड़ तथा भू-प्रबंध एवं अधिग्रहण के लिए ₹ 274.81 करोड़ के कारण वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की

वित्तीय सहायता में ₹ 243.05 करोड़ की कमी हुई जिसे ₹ 432.91 करोड़ तक एफ.एफ.सी. की अनुशंसा पर अधिक आधारभूत अनुदान द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो निर्धारित आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में प्रमुख बदलाव

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई जबकि 2018-19 में ₹ 1,241 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 833 करोड़ की कमी दर्ज की गयी। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान, सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं में 13 प्रतिशत की कमी के कारण पूँजीगत व्यय में कमी हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर कम पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) के बावजूद पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) का प्रमुख हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 7,209 करोड़) पर ही था। परिवहन (₹ 3,687 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,991 करोड़) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,328 करोड़) के व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान इन सभी सेवाओं पर कम व्यय हुआ।

2019-20 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत कुल आवंटन (₹ 12,863.92 करोड़) में से ₹ 2,985.21 करोड़ अप्रयुक्त रहा। बचत का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से प्रमुख सड़कों के निर्माण (₹ 355 करोड़), राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (₹ 250 करोड़), पुल निर्माण (₹ 145 करोड़), ग्रामीण सड़कों के

लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (₹ 436 करोड़) हेतु प्रदान किए गए निधि से था।

तालिका 2.20: 2018-19 के तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि(+)/कमी(-)
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय	269.05	366.15	97.10
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	273.39	347.69	74.30
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	311.96	158.85	-153.11
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पर पूंजीगत व्यय	18.22	5.47	-12.75
5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत व्यय	3,843.01	3,674.33	-168.68
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	9.56	9.20	-0.36

2.4.4 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

13 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, पांच कंपनियों⁴ का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी निवल मूल्य 31 मार्च 2019 तक (-) ₹ 7,006.84 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार 12 कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2018-19 के दौरान उनका हानि ₹ 583.63 करोड़ था। हानि में चल रही इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और झारखण्ड रेल विनिर्माण विकास निगम लिमि.) को सरकार से वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,465.85 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त हुआ। चूंकि हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूंजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप 2019-20 के दौरान राज्य की परिसम्पत्तियों का अधिमूल्यन हुआ।

यह भी पाया गया कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 14,610.81 करोड़ था जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2019 तक राज्य द्वारा प्रदत्त पूंजी ₹ 13,402.33 करोड़ था और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि दिनांक 31 मार्च 2019 तक ₹ 5,503.22 करोड़ थी।

⁴ तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (- ₹ 1,013.63 करोड़), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 5,954.48 करोड़), झारखंड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (- ₹ 13.81 करोड़), झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.14 करोड़) और झारखंड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (- ₹ 1.78 करोड़)

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2020 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 447.95 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 18 सरकारी कंपनियाँ (₹ 241.38 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 160.84 करोड़) में किया। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु मद के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2019-20 के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁵ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया, हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁶ का निवेश अभी भी असमायोजित था।

तालिका 2.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	261.70	320.83	376.87	432.87	447.95
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.47	0	0	0	0
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.18	0	0	0	0
सरकारी उधारी पर ब्याज का औसत दर(प्रतिशत)	6.63	6.76	6.98	6.29	6.34
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.45	6.76	6.98	6.29	6.34

स्रोत : वित्त लेखे

अपने निवेश से कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के चार⁷ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एक निगम (जनजातीय सहकारिता विकास) में ₹ 15.08 करोड़ का निवेश किया। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच बड़ा अंतर था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) तथा तेनुघाट विद्युत् निगम

⁵ झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखंड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़; झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़।

⁶ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण ₹ 39.14 करोड़; झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹ 2 करोड़; झारखंड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़; झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ₹ 8.40 करोड़ और झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़।

⁷ माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कारपोरेशन (₹ 0.50 करोड़); झारखंड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (₹ 4 करोड़); झारखंड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (₹ 0.08 करोड़)।

लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया जिसे उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड में बटवारा नहीं किया गया।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.21 में दिखाए गए संस्थाओं के शेयर में निवेशों के अलावे राज्य सरकार कई संस्थाओं और इसके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2020 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.22: पाँच वर्षों के दौरान दी गई और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

दी गई तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	7,480	1,335	1,852	1,486	165
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31	39	43	48	49
ऋण बकाया का अंत शेष	16,187	17,483	19,292	20,730	20,846
निवल जोड़	7,449	1,296	1,809	1,438	116
प्राप्त ब्याज	4.33	3.88	87.66	14.72	38.91
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.05	0.02	0.50	0.08	0.19
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.63	6.76	6.98	7.98	6.34
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.58	6.74	6.48	7.90	6.15

मार्च 2020 को समाप्त तिमाही पर कुल बकाया राशि (₹ 20,846 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से बिजली कंपनियों (₹ 19,947 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 753 करोड़) के पास बकाया था।

मार्च 2020 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,136.40 करोड़ (मूलधन ₹ 1,663.07 करोड़ और ब्याज ₹ 1,473.33 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बटवारा उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो। अन्यथा निवेशों पर नगण्य दर से वापसी के साथ बढ़ती हुई राजकोषीय दायित्व ऋण की आधारणीयता की स्थिति में ले जा सकती है।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरूद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि को रोकना, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रखता है। पुनः संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले पूरी की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.23 और 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2020 तक अधूरी/परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्याँ	अनुमानित लागत	व्यय (मार्च 2020)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्याँ	राशि
2011 तक	3	33.39	43.23	1	27.84
2012	3	54.10	17.01	1	43.04
2013	2	10.64	7.74	0	0
2014	3	16.69	13.46	2	7.49
2015	21	232.30	186.24	3	8.87
2016	22	697.73	437.39	1	13.88
2017	50	568.00	470.48	7	52.09
2018	104	989.43	739.94	9	42.48
2019	170	2,227.00	1,370.83	6	6.69
कुल	378	4,829.28	3,286.32	30	202.38

तालिका 2.24: 31 मार्च 2020 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित व्यय	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजना की संख्या	अनुमान में वृद्धि
सड़क निर्माण विभाग	90	2,575.67	1,729.46	11	69.58
ग्रामीण कार्य विभाग	89	197.28	120.40	3	0.99
पेयजल एवं सवच्छता	32	533.96	436.68	0	0.00
जल संसाधन विभाग	85	1,033.81	727.99	12	131.11
ग्रामीण विकास विभाग	61	242.72	160.46	3	0.67
भवन निर्माण विभाग	21	245.84	111.33	1	0.03
कुल	378	4,829.28	3,286.32	30	202.38

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी में दिखाई गई 378 परियोजनाओं में से केवल 30 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 30 परियोजनाओं में ₹ 661.03 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 202.38 करोड़ तक बढ़ गई। चूंकि शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूंजीगत व्यय

वित्त लेखों से यह देखा गया कि ₹ 982.47 करोड़ समेकित निधि के पूंजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 388.82 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 593.65 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए।

तालिका 2.25: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्रम. सं.	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक			
1	4047	अन्य वित्त सेवा	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	49.48
2	4055	पुलिस पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	29.31
3	4202	शिक्षा, क्रिडा, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	10.12
4	4210	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	21.71

5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	51.95
6	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	174.68
7	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	23.98
8	5452	पर्यटन पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	27.59
9	4055	पुलिस पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	126.59
10	4202	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	24.62
11	4210	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	223.72
12	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	218.72
कुल					982.47

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। तथापि, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 3,630 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 3,164 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 2,302 करोड़ खर्च किया गया जिससे मार्च 2020 के अंत तक ₹ 4,492 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार ₹ 5,508 करोड़ (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) लघु शीर्ष 120-अन्य निधि के अंतर्गत ₹ 6,837 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 4,578 करोड़ खर्च किया गया जिससे ₹ 7,767 करोड़ का शेष रहा।

2.4.8 उज्जवल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) का कार्यान्वयन

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु उज्जवल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) लॉन्च (नवम्बर 2015) किया था।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय (जी.ओ.आई.), संबंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया। इस योजना

ने राज्य सरकार को दो साल की अवधि में 75 प्रतिशत से अधिक डिस्कॉम के बकाया ऋण को अधिग्रहित करने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम का बकाया ऋण इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया जाना था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिया गया ऋण बाद के तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना होगा।

पुनः राज्य सरकार को निम्नलिखित तरीके से डिस्कॉम की हानि, यदि कोई हो, को अधिग्रहित करना पड़ेगा।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
हानि जिसे राज्य द्वारा अधिग्रहित करना है	2016-17 के नुकसान का 5%	2017-18 के नुकसान का 10%	2018-19 के नुकसान का 25%	पूर्व वर्ष के नुकसान का 50%

जाँच के दौरान यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार ने जेबीवीएनएल पर केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) की बकाया राशि का 100 प्रतिशत और 30.09.2015 तक जेबीवीएनएल के कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत को अधिग्रहित कर लिया। राज्य ने जेबीवीएनएल को ₹ 6,136 करोड़ का ऋण जारी किया जिसमें उदय बॉण्ड पर ₹ 5,553 करोड़ उधार के रूप में लिया गया तथा राज्य के समेकित निधि से ₹ 583.00 करोड़ दिया गया। उदय बॉण्ड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई जिसका पुनर्भुगतान वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच किया जाना है, जबकि जेबीवीएनएल को 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिए गए ऋण को 31 दिसम्बर 2020 तक योजना के अनुसार अनुदान और/या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया था। हालाँकि, नवीनतम अद्यतन लेखों के अनुसार, जेबीवीएनएल को ₹ 212.17 करोड़ की हानि हुई जिससे उसका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त होकर 31 मार्च 2019 तक नकारात्मक रूप से ₹ 5,954.48 करोड़ हो गया था। 2015-16 के बाद राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

2.4.9 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और एक ढांचा प्रदान करती है।

तालिका 2.26: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र *	पूर्ण		कार्यशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	ऊर्जा	1	181.43	1	77.00	-	-
2	पर्यटन	-	-	1	250.00	-	-
3	स्वास्थ्य	-	-	1	80.10	-	-
4	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	12.00	1	150.00
5	सड़क एवं परिवहन	11	5,560.10	2	642.60	1	2,768.68
	कुल	12	5,741.53	6	1,061.70	2	2,918.68

स्रोत: www.pppinindia.gov.in *वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण भविष्य के योजना में शामिल किया गया

2.4.10 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होती है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.27: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय की प्राथमिकता

(₹ करोड़ में)

	ए.इ./ स.रा.घ.उ.	सी.इ./ ए.इ.	एस.एस.इ/ ए.इ.	इ.एस.इ/ ए.इ.	शिक्षा/ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014-15)	15.99	13.98	36.14	32.36	16.54	4.92
झारखण्ड	17.46	14.52	33.66	37.60	15.27	4.24
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019-20)	15.15	12.97	36.73	28.69	15.91	5.21
झारखण्ड	20.24	14.86	34.44	35.48	15.04	4.72

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2019-20 के दौरान शिक्षा व्यय और आर्थिक सेवा व्यय का कुल व्यय से अनुपात 2014-15 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में कम रहा, जबकि 2019-20 के दौरान कुल व्यय से अन्य व्ययों के अनुपात में सुधार देखा गया।

शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में वर्ष 2014-15 तथा 2019-20 दोनों में झारखण्ड का अनुपात कम था।

2.4.11 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे सिर्फ लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। अतः वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** वस्तु उद्देश्य के प्रमुख मदों पर व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर व्यय



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया, हालांकि, प्रमुख कार्यों पर अर्थात् राज्य के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगभग कुल व्यय का 14 प्रतिशत व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-बार निवल शेष **तालिका 2.28** में दिया गया है


तालिका 2.28: 31 मार्च 2020 तक लोक लेखाओन में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	-1,197.17	-1,075.67	-1,142.18	-1,211.11	-1,216.86
J. आरक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-876.46	-1,259.21	-1,551.04	-1,930.09	-5,948.02
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0	0	0	0	0
K जमा व अग्रिम	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-14.13	-9.7	-13.52	-12.64	-39.55
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	-8,601.67	-13,637.8	-18,356.4	-19,853.8	-21,065.2
	(स) अग्रिम	4.5	4.94	5.78	6.28	7.15
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	-122.45	-92.08	132.14	5.42	-91.29
	(ब) अन्य लेखे	2,108.66	1,445.59	392.6	207.09	3,117.62
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
M. प्रेषण	(अ) मनीऑडर, एवं अन्य प्रेषण	-0.96	28.65	-66.84	-118.85	-114.25
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	23.62	24.15	27.16	19.57	31.95
कुल		-8,676.06	-14,571.13	-20,572.30	-22,888.13	-25,318.45

नोट: सकारात्मक डेबिट शेष एवं नकारात्मक क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.12: लोक लेखा शेष की संरचना में वर्ष-वार परिवर्तन



पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान जमा तथा अग्रिम में निवल योग मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (₹ 1,156 करोड़), लोक निर्माण कार्य जमा (₹ 862 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि का जमा के अंतर्गत अन्य निधि (₹ 930 करोड़) के क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण था। वर्ष के दौरान राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि को ₹ 4,158 करोड़ जमा होने के कारण ब्याज सहित रक्षित कोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि हैं; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

एस.डी.आर.एफ. दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को लोक लेखे शीर्ष के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त हिस्से को एस.डी.आर.एफ. में प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2019-20 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 74 दिनों (₹ 165.75 करोड़) और 162 दिनों (₹ 165.75 करोड़) के विलंब के साथ लोक लेखों में अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 7.85 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और अधिसूचित जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

पुनः दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज 7.59 प्रतिशत की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-20

की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 681.76 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2019-20 में अभुगतित ब्याज ₹ 146.49 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इसके साथ-साथ, 31 मार्च 2020 तक निधि में ₹ 1,930.09 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखित देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 2.29: एस. डी. आर. एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के प्रमुख शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 01- सूखा	101-नि.शुल्क राहत	38.28
	102-पेयजल आपूर्ति	109.68
उप योग		147.96
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि.शुल्क राहत	1.29
	113- घर के मरम्मत और पुर्णनिर्माण	2.24
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	0.10
उप योग		3.64
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	101-रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.प्र.नि.	221.00
	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	214.10
उप योग		6.90
2245-प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	62.74
उप योग		62.74
कुल योग		221.24

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम 2018 के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी रकम प्राथमिक तौर पर मुख्य शीर्ष "8336- नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103- राज्य वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय वनीकरण जमा-11 झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121 सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य वनीकरण जमा" में जमा की गई।

ब्याज ₹ 220.13 करोड़ के साथ, अनौपचारिक प्राधिकारी के पास रखे राज्यांश के 90 प्रतिशत की राशि के रूप में 2019-20 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 4,158.02 करोड़ (7 फरवरी 2019 तक समाशोधित) भारत सरकार से प्राप्त हुए और झारखण्ड क्षतिपूर्क वनीकरण कोष में जमा की गई। इसके साथ लाभुको से प्राप्त ₹ 568.73 करोड़ (8 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2020) को जे.सी.एफ.सी में 90 प्रतिशत जमा करने तथा केन्द्रीय निधि में 10 प्रतिशत प्रेषित करने के बजाय सीधे केन्द्रीय निधि में अंतरित कर दी गई। इस निधि से वर्ष के दौरान ₹ 146.99 करोड़ व्यय किया गया जबकि, 31 मार्च 2020 तक ₹ 4,011.03 करोड़ जे.सी.एफ.सी में शेष था।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2019-20 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ₹ 83,782.93 करोड़ का बकाया ऋण था जिसके लिए झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान हास निधि में स्थानांतरित करने हेतु किया। हालांकि वर्ष के दौरान कोई राशि स्थानांतरित नहीं किया गया। इसी प्रकार, पिछले वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधानों को भी निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया और निधि निष्क्रिय बनी रही। इसके अलावा, निधि के गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिक आकलन और राज्य के राजकोषीय घाटे का कम आकलन की चर्चा कंडिका 1.5.1 में की गई है।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत का संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारत क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, जैसा कि तय किया गया हो।


बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, झारखण्ड सरकार को निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ.) का गठन करना था। यह प्रत्याभूति जोखिम के आधार पर करना था। निधि में योगदान की मात्रा उसी के अनुसार तय की जानी थी। निधि में संचय का उपयोग सरकार द्वारा वैसे संस्थानों, जिनके लिए प्रत्याभूति जारी की गई तथा उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया, के भुगतान के लिए किया जाता है। हालाँकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।

2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने, तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित करे, हेतु रणनीति को स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2015-20 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.13 में दिखाई गई है। 31.3.2020 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्ति का सारांश परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

चार्ट 2.13: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता



2.5.4.1 ऋण विवरण अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि) केंद्र सरकार से ऋण समाहित होता है।

2015-20 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया	56,530.49	66,826.97	77,095.03	83,782.93	94,406.60
लोकऋण					
आंतरिक ऋण	43,755.57	48,682.31	53,799.09	58,436.19	63,545.46
भारत सरकार से उधार	2,085	2,162	2,233	2,339	2,592
लोक लेखा का उत्तरदायित्व	10,689.43	15,982.37	21,063.09	23,007.66	28,269.62
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	29.75	18.21	15.37	8.67	12.68
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.36	28.29	28.57	28.19	28.73
कुल ऋण प्राप्ति	33,843.34	19,192.64	25,205.53	22,223.80	30,980.35
कुल ऋण पुर्नभुगतान	20,881.94	8,896.17	14,937.47	15,535.90	20,356.68
ब्याज भुगतान	3,320.00	4,172.00	4,661.68	4,851.97	5,307.71
उधार राशि की निवल उपलब्धता	9,641.40	6,124.47	5,606.38	1,835.93	5,315.96
ऋण पुर्नभुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	71.51	68.09	77.76	91.74	82.84


राज्य का कुल राजकोषीय दायित्व 2018-19 में (कुल ऋण) ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्वों अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 27.10 प्रतिशत के विरुद्ध 28.73 प्रतिशत था। बढ़ता हुआ दायित्व राज्य सरकार के वित्त की धारणीयता के मामले को दर्शाता है। आगे, पूर्ववर्ती बिहार के राजकोषीय दायित्वों को पुनर्गठित बिहार एवं झारखण्ड के बीच बटवारा अब तक नहीं हुआ है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2015-16 में ₹ 9,641 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर 2018-19 में ₹ 1,836 करोड़ हो गई जो 2019-20 के दौरान प्रमुखता से बढ़कर ₹ 5,315.96 करोड़ हो गई। 2019-20 के दौरान, उपलब्ध ऋण की निधि में मुख्य योगदानकर्ता रक्षित निधि के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की प्राप्तियाँ (₹ 4,011 करोड़) और ब्याज रहित जमा राशि (₹ 1,211 करोड़) थी।


पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 39.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लोक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में 25.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार निधि की अधिक उपलब्धता रही। हालांकि, 2019-20 के दौरान मौजूदा देनदारियों के निर्वहन के लिए उधार धनराशि के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया था। 2019-20 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दिखाया गया है जबकि चार्ट 2.15 राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण

और लोक लेखे का अवयव का विभाजन दर्शाता है। चार्ट 2.16 वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की प्राप्ति और पुनर्भुगतान दर्शाता है।


चार्ट 2.14: 2019-20 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा



चार्ट 2.15: समग्र ऋण में लोक ऋण तथा लोक लेखे का घटक



चार्ट 2.16: आंतरिक ऋण प्राप्ति के साथ भुगतान



2015-20 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.31 में दिया गया है।

तालिका 2.31 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटा के अवयव					
1 राजकोषीय घाटा	4,085	1,965	1,804	5,521	1,960
2 निवल पूँजीगत व्यय	8,159	10,861	11,928	10,712	9,879
3 निवल उधार व अग्रिम	7,449	1,296	1,809	1,438	116
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप					
1 बाजार से उधार	4,755	4,725	4,807	4,023	5,656
2 भारत सरकार से उधार	-2	77	71	106	252
3 एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	573	-733	-746	-757	-769
4 वित्तीय संस्थानों से उधार	5,673	934	1,054	1,371	222
5 लघु बचत ,भविष्य निधि	-159	-121	66	69	6
6 जमा एवं अग्रिम	2,112	5,031	4,722	1,496	1,238
7 उचंत व विविध	21	-30	-224	127	97
8 प्रेषण	1	-30	93	60	-17
9 आरक्षित निधि	10	383	292	379	4,018
10 कुल हानि	12,984	10,236	10,135	6,874	10,703
11 नगद शेष में वृद्धि /कमी	-1,461	-43	1,798	-245	-2,668
12 कुल राजकोषीय हानि	11,523	10,193	11,933	6,629	8,035

2019-20 के दौरान ₹ 8,035 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 5,656 करोड़), रक्षित निधि (₹ 4,018 करोड़) और जमा व अग्रिम (₹ 1,238 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था। भारत सरकार से अगस्त 2019 और मार्च 2020 में प्राप्त झारखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि से संबंधित रक्षित निधि का उपयोग किया गया।


2.6 ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान अवधि विन्यास ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.32: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 - 1	1,483.01	2.24
1 - 3	7,972.00	12.05
3 - 5	11,061.14	16.72
5 - 7	13,169.87	19.91
7 और अधिक	32,450.97	49.08
कुल	66,136.99	100.00

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास



लोक ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास को दर्शाते हुए तालिका 2.32 और चार्ट 2.17 से स्पष्ट है कि पुनर्भुगतान का दबाव वर्ष 2022-23 से बढ़ने की सम्भावना है और झारखण्ड सरकार के स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 से शीर्ष पर पहुंचने की संभावना है।

2.6.1. राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में, 13वें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। 14वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की।

झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा न रखने का निर्णय लिया। बजट के साथ प्रस्तुत एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया।

ऋण स्टॉक की स्थिति के तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.33 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	सा.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत में)		सा.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.एफ.सी लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	2.80	5.58	27.4	27.36	8.68	8.17
2016-17	2.16	4.31	28.3	28.29	8.63	8.87
2017-18	2.49	4.42	27.9	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.23	27.2	28.19	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.45	27.1	28.73	8.08	9.09

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वित्त लेख, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन

राज्य सरकार 2019-20 के दौरान एफ.आर.बी.एम लक्ष्यों (तीन प्रतिशत) के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी, हालांकि एम.टी.एफ.पी विवरण में निर्धारित संशोधित लक्ष्य (2.09 प्रतिशत) को प्राप्त करने में वह विफल रही। एफ.एफ.सी द्वारा राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान (ब्याज भुगतान का भार) का मानक अनुमान राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया गया और यह 2016-17 के बाद अनुमान से अधिक रहा।

अनुशंसा 2: यद्यपि राज्य के राजस्व घाटे को शून्य करने तथा राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने के एफ.आर.बी.एम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथापि राज्य को अपने राजकोषीय घाटे को एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तथा मध्यावधि समीक्षा के बाद एम.टी.एफ.पी में संशोधित लक्ष्य को पूरा करने हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए।

2.6.2 ऋण निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और

बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है।

तालिका 2.34: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कुल उधार	13,244.65	7,081.42	8,136.85	7,803.43	9,593.12
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मुलधन)(प्रतिशत)	2,245.93	2,077.88	2,949.50	3,060.10	4,231.40
3	निवल पूंजीगत व्यय	8,159.00	10,861.00	11,927.62	10,711.71	9,878.71
4	निवल उधार व अग्रिम	7,449.00	1,296.00	1,809.00	1,438.43	116.24
5= (1-2-3-4)	निवल उपलब्ध ऋण से पूरित राजस्व व्यय का अंश	-4,609.28	-7,153.46	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23

स्रोत : वित्त लेखे

2019-20 के दौरान राज्य को पूर्व के ऋणों के लिए ₹ 4,231.40 करोड़ का भुगतान करना था जिनमें से ₹ 1,960.51 करोड़ राजस्व अधिशेष से और शेष ₹ 2,270.89 करोड़ चालू वर्ष के ऋणों से लिया गया जिससे राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की कम उपलब्धता रही। लोक ऋण से अनाच्छादित पूंजीगत व्यय का भाग की प्रतिपूर्ति लोक लेखे के शेष से किया गया।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की यथास्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर प्रत्याभूति आकस्मिक दायित्व होते हैं।

झारखंड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था। पुनः फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.35: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	157.15	157.15	607.15	607.15

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (1 फरवरी 2016 से लागू ₹ 720.00 करोड़)। राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोष विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष को समेकित हास निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है। तालिका 2.36 2018-19 और 2019-20 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक वितरण दिखाता है और तालिका 2.37, 2015-20 की अवधि के दौरान नकद शेष के निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.36: नकद शेष और इसके प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अन्त शेष
अ. सामान्य नगद शेष		
कोषागार में नगद	0	0
रिजर्व बैंक में जमा	188.30	-54.14
अन्य बैंक में जमा	0	0
स्थानीय प्रेषण ।	0	0
कुल	188.30	-54.14
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	167.90	3,070.62
कुल (अ)	356.20	3,016.48
ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	39.05	46.84
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम	0.13	0.16
चिन्हित निधि में निवेश	400.00	400.00
कुल (ब)	439.18	447.00
कुल (अ + ब)	795.38	3,463.48
ब्याज प्राप्ति	31.43	147.42

स्रोत : वित्त लेखे

तालिका 2.37: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	ब्याज अर्जित
2015-16	666.13	2,102.04	1,435.91	117.26
2016-17	2,102.04	1,439.09	-662.95	117.01
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42

31 मार्च 2020 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 3,070.62 करोड़ थी और 2019-20 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 147.42 करोड़ था। नकद शेष में उल्लेखित वृद्धि भारत सरकार से राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की प्राप्ति के कारण हुई। वर्ष 2012-13 में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ₹ 400 करोड़ इन निर्धारित निधियों (एस.डी.आर.एफ) से निवेश किया गया था।

खातों में परिलक्षित आंकड़े ₹ 54.14 करोड़ (क्रेडिट) तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई ₹ 12.45 करोड़ (डेबिट) के बीच 41.69 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.18 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों और नकदी शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है

चार्ट 2.18: बाजार ऋण एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



राज्य सरकार द्वारा प्रचुर नगद शेष होने के बावजूद तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नगद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5,656 करोड़ की बाजार ऋण की उगाही की जबकि उसी समय नगद शेष ₹ 795 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,463 करोड़ तक प्रमुखता से बढ़ा जो यह दर्शाता है कि उस स्तर तक ऋण से बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960.51 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। एफ.आर.बी.एम लक्ष्य और एफ.एफ.सी. मानदण्ड तीन प्रतिशत के विरुद्ध राज्य का राजकोषीय घाटा मार्च, 2020 के अंत तक स.रा.घ.उ. का 2.45 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है, जबकि, आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया। 2015-20 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय का हिस्सा 30.48 से 35.15 प्रतिशत के बीच दोलित था।

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय 84.90 प्रतिशत था, जिसका 42.74 प्रतिशत वेतन, सब्सिडी, ब्याज और पेंशन भुगतान पर खर्च किया गया। वेतन, ब्याज और पेंशन भुगतान पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 41.37 प्रतिशत खपत हुआ।

सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 13 प्रतिशत के कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 833 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2020 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखा के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 447.95 करोड़ का निवेश सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2019-20 के दौरान 'शून्य' था जबकि सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान उधार पर 6.34 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि मार्च, 2020 (₹ 20,846 करोड़) के अंत तक बकाया है।

कुल मिलाकर वित्तीय देनदारियाँ 2018-19 में ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गईं। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 28.73 प्रतिशत के विरुद्ध 27.10 प्रतिशत था।

बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन भी अब तक नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-20 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों पर ₹ 681.76 करोड़ होता है। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने उस वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसका अंतरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे के न्यूनोक्ति हुई।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3


बजटीय प्रबंधन

3.1 बजटीय प्रक्रिया

बजट का वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप विवरण देना होता है।

विनियोग की लेखापरीक्षा से यह पता चलता है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए जाने वाले व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले प्राधिकरण के अनुसार है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किया जाना अपेक्षित है तो यह भारित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। बजट का विभिन्न अवयव चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव



स्रोत: विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

दत्तमत/भारित में विभाजन सहित कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		बचत/ आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(I) राजस्व	68,314.84	5,612.62	51,387.13	5,430.58	16,927.71	182.04
(II) पूँजीगत	14,677.52	0	9,878.71	0	4,798.81	0
(III) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	1,905.29	4,254.37	165.43	4,231.40	1,739.86	22.97
कुल दत्तमत	84,897.65	9,866.99	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 52 दत्तमत अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹ 17,423.07 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अधीन 36 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 6,561.64 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 23,984.71 करोड़ (कुल बजट का 25.31 प्रतिशत) था।

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2019-20 के दौरान ₹ 23,984.71 करोड़ के कुल बचत में से ₹ 15,263.32 करोड़ की बचत नौ अनुदानों {1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (₹ 1,364.54 करोड़), 10-उर्जा विभाग (₹ 3,101.12 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,453.53 करोड़), 36-पेयजल और स्वच्छता विभाग (₹ 1,410.88 करोड़), 41-सड़क निर्माण विभाग (₹ 1,256.90 करोड़), 42-ग्रामीण विकास विभाग (₹ 2,618.61 करोड़), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) (₹ 1,771.61 करोड़), 59- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (₹ 1,236.66 करोड़) तथा 60-महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,049.47 करोड़)} के अंतर्गत हुई जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए थे। इसके अलावा, इन अनुदानों में विगत चार वर्षों (2016-20) के दौरान सतत कुल बचत कम से कम ₹ 6,184.28 करोड़ थी।

यह देखा गया कि वर्ष के दौरान ₹ 23,671.39 करोड़ की बचत मार्च 2020 में प्रत्यर्पित की गयी थी, जिससे वित्त विभाग के पास अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा था। यह बजट प्रबंधन में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2019-20 के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल वितरणों को भारत एवं दत्तमत में विभाजित किया गया है जिसे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2015-20 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत /आधिक्य	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2015-16	49,316.93	5,632.35	17,347.44	177.42
2016-17	53,108.80	6,324.00	13,057.61	475.30
2017-18	60,105.66	7,709.46	14,191.49	154.67
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि 2015-20 की अवधि के दौरान दत्तमत संभाग के तहत बजट प्रावधानों को पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया और प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बचत हुई। विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत संभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया तथा विभागों द्वारा बजट प्रावधान का एक वृहत भाग प्रत्यर्पित किया गया।

3.3 विनियोग लेखे

भारत के संविधान की अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय का लेखा है। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, प्रत्यर्पण और पुनः विनियोजन को अलग अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारत और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारत किए जाने वाले व्यय को भारत किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय, विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से किसी राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से

अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

सेवा के नए साधन का अर्थ मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार के कारण होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय है।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से यह उद्घाटित होता है कि 22 मामलों में बजट प्रावधान के बिना ₹ 2,109.11 करोड़ की राशि का व्यय हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है। छः योजनाओं जहाँ बजट प्रावधान के बिना व्यय ₹ 50 लाख या उससे अधिक था, का अनुदान-वार सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/उप-शीर्ष की संख्या
14- ऋण की पुर्नअदायगी	1,843.98	4
15- पेंशन	261.91	1
58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2.07	1
कुल	2,107.96	6

3.3.2 मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में जमा की गई राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में एक बड़ी राशि जमा की गई जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2020 के अंत तक ₹ 384.83 करोड़ की राशि शेष थी। इसके आगे के सत्यापन में यह पाया गया कि इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित है।

दिसम्बर 2019 में, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से, झारखण्ड सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को मुख्य शीर्ष 8443 के लघु शीर्ष 106 के तहत व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) लेखे संचालित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, 22 जिला कोषागारों में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के नाम से पी.डी. लेखे खोले गए, लेकिन 31 मार्च 2020 तक लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत राशि को पी.डी. लेखे में हस्तांतरित नहीं किया गया।

3.3.3 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूँजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिकूल, का परिणाम राजस्व व्यय एवं राजस्व घाटा/अधिशेष की अत्योक्ति/न्यूनोक्ति है।

वर्ष 2019-20 सरकार के लेखों के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2202-03-796-12-‘उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय’ के अधीन राजस्व संभाग में प्रदान किया गया ₹ 0.40 करोड़ की राशि मुख्य कार्य अर्थात् परिसंपत्ति के सृजन पर व्यय की गई। पूँजीगत प्रकृति के व्यय के इंद्राज से संबंधित ऑब्जेक्ट शीर्ष को केवल पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत होना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यय के कारण राजस्व व्यय की अत्योक्ति होती है और इस प्रकार सृजित परिसंपत्ति लेखे में नहीं दिखते हैं। राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की न्यूनोक्ति हुई।

3.3.4 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

बिहार बजट नियमावली (यथा झारखंड द्वारा अंगीकृत) के नियम 117 में यह कहा गया है कि व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदान में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा बजट नियमावली के बी.एम. नियम 57 के टिप्पणी के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है, ₹ 9,335.64 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 58 मामलों (₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 9,277.22 करोड़ (99.37 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ।

अनुशंसा 1: सरकार को अपनी बजट धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ संभव हो अन्य योजनाओं में बचत से आन्तरिक पुनर्विनियोजन भी किया जा सकता है।

3.3.5 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं प्रत्यर्पित आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यादि के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 2019-20 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेक पूर्ण ढंग से 16 उप-शीर्षों में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई जो अत्यधिक साबित हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है। जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है, इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, ₹ 60.47 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ 24.28 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा अनावश्यक रूप से प्रदान की गई जो या तो अनावश्यक थे या अत्यधिक थे।

जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है, नौ मामलों में, इन योजनाओं के अंतर्गत बचत अन्य योजनाओं से पुनर्विनियोजन द्वारा जोड़ी गई राशि से अधिक थी।

3.3.6 अव्ययित राशि एवं प्रत्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/प्रत्यर्पण

अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

3.3.6.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

₹ 23,671.39 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 21,153.91 करोड़ (89 प्रतिशत) की बचत 25 अनुदानों में हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। इन मामलों में, बचत अनुदान में कुल प्रावधानों का ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक था जिसमें से ₹ 16,367.29 करोड़ राजस्व शीर्ष से तथा ₹ 4,786.62 करोड़ पूँजीगत शीर्ष से संबंधित है। इन अनुदानों के तहत इतनी बड़ी राशि के अनुपयोग का कोई विशेष कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था।

इसके अलावा, 2019-20 के दौरान 25 अनुदानों में से, राजस्व संभाग के अंतर्गत 12 अनुदानों एवं पूँजीगत संभाग के चार अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत था। विवरण **तालिका 3.4** में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: वर्ष के दौरान वृहत बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक खर्च	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विकास (कृषि प्रभाग)	3,230.59	143.18	3,373.77	2,062.07	1,311.70	1,311.51
2	10-उर्जा विभाग	3,533.09	926.33	4,459.42	3,059.10	1,400.32	1,379.80
3	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,529.22	289.31	3,818.53	2,780.61	1,037.92	1,016.13
4	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,789.76	50.30	1,840.06	641.45	1,198.61	1,198.41
5	39- गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	1,126.70	437.42	689.28	687.28
6	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,586.94	1,360.16	6,947.10	4,452.58	2,494.52	2,494.47
7	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2,930.18	429.66	3,359.84	2,535.14	824.70	823.99
8	51-अं.जा.अनु.जन. अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,616.69	120.39	1,737.08	1,210.71	526.37	515.52
9	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,945.38	155.70	2,101.08	950.56	1,150.52	1,060.72
10	58-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,097.62	21.29	2,118.91	1,457.62	661.29	661.10
11	59- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,222.34	414.85	7,637.19	6,400.54	1,236.65	1,236.45
12	60-महिला, शिशु विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4,291.59	634.87	4,926.46	3,911.60	1,014.86	1,007.83
कुल		38,492.22	4,953.92	43,446.14	29,899.40	13,546.74	13,393.21
पूंजीगत (दत्तमत)							
13	10-उर्जा विभाग	1,790.13	0	1,790.13	89.32	1,700.81	1,700.81
14	41-पथ निर्माण विभाग	4,700.00	50.00	4,750.00	3,674.33	1,075.67	1,075.22
15	49-जल संसाधन विभाग	1,940.04	0	1,940.04	1,169.93	770.11	767.07
16	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,195.80	0	2,195.80	1,574.72	621.08	627.11
कुल		10,625.97	50.00	10,675.97	6,508.30	4,167.67	4,170.21

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक बचत को तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट के 30 प्रतिशत से अधिक अनुपयोग वाले अनुदान/विनियोजन

(प्रतिशत में)

क्रं सं.	अनुदान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्ष की सं.*	बजट 2019-20 (₹ करोड़ में)
राजस्व								
1	20-स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	34	27	28	20	27	1	3,818.53
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	56	36	46	53	39	5	3,373.77
3	18-खाद्य, सार्वजनिक संचितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	39	26	32	25	26	2	1,540.92
4	23-उद्योग विभाग	31	34	50	33	38	5	442.98
5	26-श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	73	39	45	32	50	5	283.29
6	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20	33	43	56	22	3	273.66
पूँजीगत								
1	49-जल संसाधन विभाग	33	26	36	39	40	4	1,940.04


* 30 प्रतिशत से अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

चूँकि ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था, इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभूकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा।


3.3.7 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का प्रत्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 23,984.71 करोड़ के कुल प्रावधानों में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 23,263.18 करोड़ की राशि मार्च 2020 के अंत में प्रत्यर्पित की गई जिससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.5 में दी गई है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3 : 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.3 में परिलक्षित है, 24 विभागों में बचत 10 से 30 प्रतिशत के बीच था जबकि 19 विभागों में बचत 30 से 50 प्रतिशत के बीच था। आठ विभागों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक था जो बजटीय प्रक्रिया के सिद्धांतों के प्रतिकूल था। आगे, चार्ट 3.4 बतलाता है कि विगत पाँच वर्षों में बजट आकलन का महत्वपूर्ण भाग अनुपयोगी रहा।

3.3.9 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह

अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/ विनियोग को विनियमित किया जाय।

अनुदान/विनियोग से आधिक्य व्यय संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो राज्य विधानमंडल द्वारा आधिक्य अनुदानों के विनियमित करने का प्रावधान देती है। यह बजटीय तंत्र एवं वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य को विफल करती है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है।

3.3.8.1 2019-20 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधानों से आधिक्य व्यय न केवल अपेक्षित विधायी संस्वीकृत प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कमजोर नियोजन का संकेत भी है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट से व्यय की स्थिति पर नजर रखकर बचा जा सकता है। वित्तीय वर्ष के प्रावधान से आधिक्य व्यय के मामलों की जाँच सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।

विनियोग लेखों में यह देखा गया है कि 2019-20 के दौरान एक अनुदान तथा एक विनियोजन में ₹ 313.32 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। विस्तृत विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजनों पर अधिक संवितरण का सारांश

(₹ करोड़ में)

		अनुदान /विनियोजन का नाम	
		ब्याज अदायगी	पेंशन
दत्तमत	राजस्व	0	192.68
भारित	राजस्व	120.64	0

तालिका 3.6 में वर्णित अनुदान सहित अन्य अनुदानों में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के समेकित निधि के प्रावधानों से मुख्य शीर्ष-वार अधिक व्यय परिशिष्ट 3.6 में दर्शाया गया है।

3.3.8.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधियों तक अनियमित रही आधिक्य व्यय कार्यकारिणी शक्ति पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती है।

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक अनुदान/विनियोग से अधिक संवितरण के राशि ₹ 3,015.37 करोड़ का राज्य विधानसभा द्वारा अभी तक विनियमन नहीं किया गया है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है। यह बजटीय तंत्र एवं वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य को विफल करती है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करती है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार सूचना देने के बाद भी विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया।

अनुशंसा 2: विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय विधानमंडल की इच्छा का उल्लंघन है। अतः इसकी गंभीरतापूर्वक समीक्षा एवं यथाशीघ्र विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.9 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित एक संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

2019-20 के दौरान, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ₹ 7,079.39 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। हालांकि, राज्य के लेखों में ऐसा अनुदान पूँजीगत व्यय के रूप में इंद्राज नहीं किया गया।

3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 बजट अनुमान तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन /अन्य प्राप्तियाँ तथा सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। बजटीय आवंटन वास्तविक प्रस्तावों, अच्छे व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए ताकि लाभार्थियों को लक्षित लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं पर निधियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

तालिका 3.7: वर्ष 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान प्रत्यर्पण
दत्तमत	राजस्व	60,218.74	8,096.10	68,314.84	51,387.13	16,927.71	सभी अभ्यर्पण मार्च के महीने में की गई।
	पूँजीगत	13,876.36	801.16	14,677.52	9,878.71	4,798.81	
	ऋण एवं अग्रिम	1,905.28	0.01	1,905.29	165.43	1,739.86	
	कुल	76,000.38	8,897.27	84,897.65	61,431.27	23,466.38	
भारित	राजस्व	5,584.25	28.37	5,612.62	5,430.58	182.04	
	पूँजीगत	0	0	0	0	0	
	लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,844.37	410.00	4,254.37	4,231.40	22.97	
	कुल	9,428.62	438.37	9,866.99	9,661.98	205.01	
	सकल योग	85,429.00	9,335.64	94,764.64	71,093.25	23,671.39	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.8: 2015-20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	55,492.95	63,502.68	75,673.42	80,200.00	85,429.00
अनुपूरक बजट	16,981.19	9,463.03	6,487.86	5,953.81	9,335.64
संशोधित अनुमान	72,474.14	72,965.71	82,161.28	86,153.82	94,764.64
वास्तविक व्यय	54,949.28	59,432.80	67,815.12	65,930.08	71,093.25
बचत	17,524.86	13,532.91	14,346.16	20,223.74	23,671.39
बचत की प्रतिशतता	24.18	18.55	17.46	23.47	24.98

जैसा कि तालिका 3.8 से स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ष प्रावधान की एक वृहत राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना कारण बताए बचत को प्रत्यर्पित किया गया। प्रत्येक वर्ष ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी जो अवास्तविक प्रस्तावों, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत है।

3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन अंततः, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर अधूरी योजनाओं के लक्षित लाभ को आम लोगों तक नहीं पहुँचाया जाता है। इसके आगे, यह परियोजना लागत में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

तालिका 3.9: मूल प्रावधान से बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोगित निधि
पूँजीगत (दत्तमत)						
1	भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66
2	उर्जा विभाग	1,790.13	0.00	1,790.13	89.32	1,700.81
3	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61
4	गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	1,103.32	808.23	295.09
5	श्रम,रोजागर एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.88	141.70	18.36	123.34
6	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	750	1.00	751.00	538.73	212.27
7	पथ निर्माण विभाग	4,700	50.00	4,750.00	3,674.33	1,075.67
8	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	540.50	416.4	124.10
9	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,195.80	0.41	2,196.21	1,574.72	621.49
	कुल	11,947.11	766.22	12,713.33	7,926.29	4,787.04

3.4.2.1 कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग लेखे की समीक्षा से यह उदघटित होता है कि कई योजनायें, जो बड़े पैमाने पर आम लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित थी, हेतु आवंटित राशि में सतत बड़ी बचत हुई थी। योजनाओं को पूर्ण नहीं किए जाने तथा लाभकों तक अधूरे योजनाओं का लक्षित लाभ नहीं पहुँचाये जाने के परिणामस्वरूप इन योजनाओं में विगत तीन वर्षों में सतत बड़ी बचत हुई। उन योजनाओं में से कुछ योजना को तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग							
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	200.15	64.63	159.2	25.54	322.55	141.02
42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)							
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (CASC)	146.4	37.18	177.25	114.83	205.21	86.26
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (CASC)	107.56	43.04	129.6	102.55	150.77	100.81
4	2505-01-702-02-सामान्य के लिए इंदिरा आवास योजना	628.28	149.24	978.22	508.52	950.26	459.82
5	2505-02-101-04-समग्र ग्रामीण रोजगार योजना (CASC)	979.21	811.69	492.4	228.72	367.5	205.46
6	2505-02-796-04-समग्र ग्रामीण रोजगार योजना (CASC)	719.42	596.34	360.8	167.55	270	150.95
48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)							
7	2217-80-191-81 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरपालिका को अनुदान	272.74	40.18	243.38	149.2	395.69	46.62
51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)							
8	2225-01-789-59-प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति	53	37.28	53	43.23	27	4.86
9	2225-01-789-61-प्राथमिक स्कूल छात्रवृत्ति	26	18.17	28	22.55	12.27	7.97

3.4.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभूक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। हालांकि, उन प्रावधानों का उपयोग नहीं किए जाने का कारण विभागों द्वारा नहीं दिया गया था। ऐसी योजनाओं में बचत इन निधियों के अन्य विभागों में उपयोग से वंचित करती है।

178 मामलों में, शत-प्रतिशत प्रावधान (प्रत्येक का मामले में एक करोड़ और उससे अधिक) वाले ₹ 3,118.08 करोड़ की राशि प्रत्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा 3: सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए अपने वादे/ इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को लागू करना चाहिये।

3.5 व्यय का वेग


बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 113 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय विनियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता का निर्वहन किया गया है। इसके अलावा, व्यय की गति को बनाए रखना अच्छी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। व्यय की निरंतर गति किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित/अत्यधिक व्यय से उत्पन्न राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

हालांकि यह देखा गया है कि कुल व्यय ₹ 2,941.45 करोड़ के सापेक्ष वर्ष के अंतिम तिमाही में 13 अनुदानों में ₹ 1,947.69 करोड़ (66.22 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है। इसमें से, मार्च 2020 में ₹ 833.39 करोड़ (कुल व्यय का 28.33 प्रतिशत) व्यय किया गया।

इसके आगे, यह देखा गया कि मार्च 2020 में मुख्य रूप से गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 263.68 करोड़ (12.16 प्रतिशत) की निकासी की गई और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 117.26 करोड़ (5.41 प्रतिशत) की निकासी की गई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल व्यय (₹ 70,732 करोड़) का 18.09 प्रतिशत, ₹ 11,647 करोड़ मार्च 2020 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट था कि व्यय का एक समान प्रवाह, बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है।

चार्ट 3.4: 2019-20 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



अनुशंसा 4: बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की बजट में कटौती, अनुदान/विनियोग के भारी बचत में नियंत्रण तथा अनुमानित बचत की पहचान तथा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रत्यावर्तन किया जा सके।

3.6 अनुदान संख्या 56 के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

राज्य सरकार ने झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम (झ.पं.रा. अधिनियम), 2001 लागू किया तथा जिला परिषद (जि.प.), पंचायत समिति (प.स.) एवं ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) शामिल है पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.स) को कार्य, पदाधिकारी एवं निधियाँ (3 एफस) हस्तांतरित की।

पंचायती राज संस्थान, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है जिसमें 14^{वें} वित्त आयोग (14^{वें} वि.आ.), राज्य योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

अभियान (ग्रा.रा.स्व. अभि.) पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान शामिल है। प्रदत्त अनुदान (14^{वें} वि.आ.) जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईटिंग इत्यादि सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं के संवितरण को समर्थन और सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रा.रा.स्व.अभि. के तहत अनुदान क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और पंचायती राज संस्थानों को संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है। नवगठित आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति, जिसकी अनुमानित लागत ₹ पाँच लाख के भीतर और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होती है, के माध्यम से कार्यों के निष्पादन करने के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है।

उक्त उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग को ₹ 2,859.98 करोड़ का बजट प्रदान किया। बजट प्रावधान और उसके उपयोग का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	6.00	1,978.09	1,984.09
अनुपूरक अनुदान	0	875.89	875.89
कुल अनुदान	6.00	2,853.98	2,859.98
व्यय	0	2,482.11	2,482.11
बचत	6.00	371.87	377.87
समर्पण	6.00	371.87	377.87
व्यपगत	0	0	0

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोजन लेखे 2019-20

3.6.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज विभाग) का विभागीय सचिवालय तथा 16 इकाईयों¹ (आठ जिलों² में) को बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

¹ i) उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला परिषद, बोकारो, (ii) जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ), बोकारो, (iii) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, धनबाद, (iv) डीपीआरओ, धनबाद, (v) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम, (vi) डीपीआरओ, पूर्वी सिंहभूम, (vii) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, गुमला (viii) डीपीआरओ, गुमला (ix) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, हजारीबाग, (x) डीपीआरओ, हजारीबाग, (xi) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, रांची, (xii) डीपीआरओ, रांची, (xiii) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, सरायकेला-खरसावां, (xiv) डीपीआरओ, सरायकेला-खरसावां, (xv) डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद, पश्चिम सिंहभूम (xvi) डीपीआरओ, पश्चिम सिंहभूम।

² i) बोकारो, (ii) धनबाद, (iii) पूर्वी सिंहभूम, (iv) गुमला, (v) हजारीबाग, (vi) रांची, (vii) सरायकेला- खरसावां (viii) पश्चिमी सिंहभूम

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2016-20) के विभाग के बजट एवं व्यय के जाँच के दौरान यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान विभाग ने सतत बचत की थी और बजट अनुमानों की तुलना में बचत की प्रतिशतता काफी अधिक रही, जैसा कि तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: विगत चार वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज विभाग) में बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2016-17	राजस्व	1,416.07	478.61	1,894.68	1,671.36	223.31	11.79
	पूँजीगत	6.00	0	6.00	3.30	2.70	44.92
	कुल	1,422.07	478.61	1,900.68	1,674.67	226.01	11.89
2017-18	राजस्व	1,647.22	154.65	1,801.87	1,574.95	226.92	12.59
	पूँजीगत	6.00	0	6.00	3.51	2.49	41.44
	कुल	1,653.22	154.65	1,807.87	1,578.46	229.41	12.69
2018-19	राजस्व	1,659.19	84.74	1,743.93	872.88	871.06	49.95
	पूँजीगत	6.00	0	6.00	2.39	3.61	60.12
	कुल	1,665.19	84.74	1,749.93	875.27	874.66	49.98
2019-20	राजस्व	1,978.09	875.89	2,853.98	2,482.11	371.87	13.03
	पूँजीगत	6.00	0	6.00	0	6.00	100
	कुल	1,984.09	875.89	2,859.98	2,482.11	377.87	13.21

स्रोत: विनियोग लेखे 2016-20

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.12 में दिखाया गया है, विभाग में पिछले चार वर्षों के दौरान 11.89 प्रतिशत और 49.98 प्रतिशत की बीच सतत बचत हुई। लेखापरीक्षा के जवाब में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा कोई विशेष जवाब नहीं दिया गया।

3.6.4 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 62 राज्य का बजट उचित और समसय तैयार करने के लिए बजट कैलेण्डर का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने आम बजट व बजटीय लेनदेन के व्यापक परिव्यय की तैयारी को अद्यतन/प्रस्तुत करने के निर्धारित तिथि को संबंधित मंत्री से अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरुद्ध 28 नवंबर (स्थापना के लिए) और 12 दिसंबर (योजनाओं के लिए) संशोधित (नवंबर 2018) किया।

इसी क्रम में, आर.डी.डी ने विभाग के व्यय एवं निकासी पदाधिकारी (डी.डी.ओ.) से अनुमान प्राप्त करने के लिए 25 अक्टूबर से पूर्व का समय निर्धारित किया। तथापि यह पाया गया कि 60 डी.डी.ओ. में से केवल 37 डी.डी.ओ. ने आर.डी.डी. को स्थापना व्यय का प्राक्कलन प्रस्तुत किया और 23 डी.डी.ओ. ने प्राक्कलनों को प्रस्तुत भी नहीं किया। स्थापना व्यय का प्राक्कलन प्रस्तुत करने वाले 37 डी.डी.ओ. में से केवल चार डी.डी.ओ. ने निर्धारित तिथि से पहले इसे प्रस्तुत किया और 31 डी.डी.ओ. ने निर्धारित तिथि के विरुद्ध एक दिन से 37 दिन के विलंब के साथ प्राक्कलन प्रस्तुत किया। डी.डी.ओ. द्वारा योजनाओं का अनुमान प्रस्तुत ही नहीं किया गया था।

आठ नमूना-जाँच जिलों में, यह देखा गया कि केवल एक डी.डी.सी ने पाँच दिन के विलंब से स्थापना व्यय का प्राक्कलन प्रस्तुत किया और सात डी.डी.सी. ने विभाग को व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत भी नहीं किया। अग्रतर, आठ जिला पंचायती राज अधिकारी (डी.पी.आर.ओ.) ने पाँच दिन से 64 दिन के विलंब के साथ प्राक्कलन प्रस्तुत किया। इन डी.पी.आर.ओ. के अधीन कार्य कर रहे 103 प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी.डी.ओ.) में से केवल चार बी.डी.ओ. ने निर्धारित तिथि के अंदर प्राक्कलन प्रस्तुत किया। 57 बी.डी.ओ. ने अपने प्राक्कलन डी.पी.आर.ओ. को एक दिन से 46 दिन के बीच विलंब के साथ प्रस्तुत किया। शेष 42 बी.डी.ओ. ने अपना प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया (परिशिष्ट 3.10)।

अभिलेखों के जाँच से पता चला कि 12 दिसंबर 2018 के निर्धारित तिथि के विरुद्ध आर.डी.डी (पंचायती राज विभाग) ने योजनाओं हेतु बजट प्राक्कलन (बी.ई.) वित्त विभाग को 28 दिसंबर अर्थात् 16 दिनों के विलंब से प्रस्तुत किया। विभाग के द्वारा क्षेत्र इकाईयों से अनुमान प्राप्त किये बिना ही स्थापना हेतु बजट प्राक्कलन समय पर प्रस्तुत किया गया।

बजट कैलेण्डर का गैर-अनुपालन न केवल बजट अनुमान बनाने की सूची को प्रभावित करता है बल्कि विभिन्न स्तर पर इसके जाँच हेतु आवश्यक समय की कटौती भी करती है। तथापि, क्षेत्रीय इकाईयों से बजट अनुमान के अप्रस्तुतीकरण के कारण प्रावधान में विसंगति हुई।

3.6.5 संवितरण अधिकारियों से अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट प्राक्कलन

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 65 के अनुसार नियंत्री अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा संवितरण अधिकारियों, जो कार्य के कार्यान्वयन एवं निधि के

उपयोग के लिए अंतिम रूप से उत्तदायी होते हैं, द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं की प्राप्ति/मूल्यांकन के बिना बजट प्राक्कलनों (राज्य, केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) को विभागीय स्तर पर तैयार किया गया था।

पुनः यह पाया गया कि व्यय और विभाग के बजट प्रावधानों के बीच व्यापक अंतर था, परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों के दौरान पूंजीगत अनुभाग में कुल आवंटन का 41.44 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच बड़ी बचत हुई थी।

इसी प्रकार, आठ नमूना-जाचित जिलों में यह पाया गया कि व्यय और बजट प्रावधानों के बीच व्यापक अंतर था जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में बड़ी अव्ययित राशि शेष रह गई थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आर.डी.डी. के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना एक गंभीर लापरवाही थी।

3.6.6 परिणाम एवं जेंडर बजट को तैयार नहीं करना

योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार (नवम्बर 2018), योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य और अन्य परिणामात्मक सूचना को दर्शाते हुए राज्य योजनाओं तथा केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजनाओं के तहत निष्पादित सभी योजनाओं के लिए प्रपत्र-X में परिणाम बजट अलग से तैयार किया जाना था। वर्ष 2019-20 के दौरान जेंडर बजट के विवरणी के साथ गुणात्मक सुधारों के लिए मूलभूत लक्ष्यों तथा योजनाओं के लिए आवश्यक राशि (जहाँ महिलाओं के कल्याणार्थ योजनाओं पर 30 प्रतिशत या अधिक व्यय किया जाना था) के साथ जेंडर बजट का विवरण इंगित करते हुए प्रपत्र-Y तैयार किया जाना था।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया और वर्ष 2019-20 के लिए परिणाम बजट एवं जेंडर बजट तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के परिणाम बजट के निष्कर्ष का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। महिला केन्द्रित कार्य पर व्यय के अभिलेखों को भी निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा गया था। इस प्रकार, जेंडर बजट का उपलब्धि और परिणाम का आकलन नहीं किया जा सका।

3.6.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधानों की अनुपयोगिता

बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

विनियोग लेखे 2019-20 की संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा लेखों के 16 शीर्षों में ₹ 251.92 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया

गया। पुनर्विनियोग के समय, ₹ 251.92 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान को वापस किया लिया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ाने हेतु एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान की संबंधित गतिविधियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नाम से एक नई पुनर्गठित योजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में वित्त पोषण स्वरूप को केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात के साथ 2018-19 से 2012-22 तक चार साल के लिए, एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए निधि दो समान किस्तों में प्रदान किया जाना था। कुल उपलब्ध राशि, अर्थात् प्रारम्भिक शेष और पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि, के 60 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दूसरी किस्त जारी की जानी थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 24 करोड़ और ₹ 16 करोड़ के साझेदारी के साथ ₹ 40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए ₹ 14.26 करोड़ (वर्ष 2018-19 के दौरान जारी ₹ 10.20 करोड़ एवं वर्ष 2017-18 के ₹ 4.06 करोड़ का अव्ययित शेष) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अप्रस्तुतीकरण के कारण वर्ष 2019-20 हेतु चिह्नित केंद्रांश जारी नहीं किया जा सका। जनवरी 2020 तक यह राशि अनुपयोगित रही जिससे राज्य को 2019-20 के दौरान केंद्रांश के रूप में ₹ 24 करोड़ की हानि हुई। अतः राज्यांश के रूप में ₹ 16 करोड़ का बजट प्रावधान भी प्रत्यर्पित करना पड़ा।

2019-20 के दौरान, 14^{वें} वित्त आयोग के तहत पंचायतों को निष्पादन अनुदान हेतु बजट में ₹ 199.53 करोड़ प्रदान किये गये जिसे अंततः ग्राम पंचायतों अर्थात् (1) ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायत निष्पादन अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, के दो वर्ष से पहले वर्ष से संबन्धित नहीं हैं, के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना होगा (2) ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष के अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखलाना होगा जैसा लेखापरीक्षित लेखे में दर्शाया गया है, को निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए एफ.एफ.सी द्वारा अनुशंसित मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण प्रत्यर्पित कर दिया गया।

यह पाया गया कि पंचायतों ने 2017-18 और 2018-19 के लेखापरीक्षित लेखे के साथ साथ अपने स्वयं के राजस्व वृद्धि से संबन्धित सूचना प्रेषित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 199.53 करोड़ का केंद्रांश जारी नहीं किया गया तथा 2019-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान प्रत्यर्पित कर दिया गया।

3.6.8 कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का गैर-हस्तांतरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फ्रेमवर्क के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रांश इसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

अभिलेखों के जाँच से पता चला कि वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए ₹ 14.26 करोड़ (केंद्र: ₹ 8.55 करोड़, राज्य: ₹ 5.71 करोड़) जनवरी 2020 तक अनुपयोगित रहा।, सचिवालय शाखा, राँची के बैंक खाता में ₹ 6.19 करोड़ शेष रखते हुए आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद कुल प्राप्तियों में से ₹ 8.07 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों को फरवरी और मार्च 2020 के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया।

यह स्पष्ट दर्शाता है कि बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा बजट प्राक्कलन (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं) संवितरण अधिकारियों, जो निधि का उपयोग करने तथा कार्य निष्पादन हेतु उत्तरदायी थे, से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किये गये थे।

3.6.9 विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 2,482.11 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 2,474.26 करोड़ (99.68 प्रतिशत) की राशि नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं की गई। शीर्ष-वार विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: विभागीय व्यय के असमाशोधन के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित व्यय	असमाशोधित व्यय
1	2015	3.08	शून्य	3.08
2	2515	2,478.16	7.37	2,470.79
3	3451	0.87	0.48	0.39
कुल		2,482.11	7.85	2,474.26

3.6.10 व्यय का वेग

यह पाया गया कि विभाग के 40 शीर्षों में से चार शीर्षों में, 2019-20 के सम्पूर्ण व्यय मार्च 2020 में किया गया, जबकि छः शीर्षों में मार्च 2020 में व्यय 27.62 से 71.23 प्रतिशत (परिशिष्ट 3.13) के बीच हुआ जो बजट नियमावली के नियम 113 के विरुद्ध था तथा इसे वित्तीय विनियमितता का उल्लंघन माना जा सकता है।

3.6.11 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का प्रत्यर्पण

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज संभाग) के विभागीय सचिवालय ने 31 मार्च 2020 को ₹ 2,578.61 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 378.09 करोड़ (योजनाओं के ₹ 314.21 करोड़ और स्थापना के ₹ 63.88 करोड़) का समर्पण किया, जिससे अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर धन उपयोग की कोई सम्भावना नहीं बची।

नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 19.17 करोड़ की एक बड़ी राशि प्रत्यर्पित की गई जिसे परिशिष्ट 3.14 में वर्णित है। इसके अलावा, छह कार्यालयों-डीडीसी सह सीईओ, जिला परिषद (धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम), डीपीआरओ पूर्वी सिंहभूम कार्यालय और डीडीसी, डीआरडीए, पश्चिम सिंहभूम कार्यालय ने अभ्यर्पण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये थे।

इसके अलावा, दो³ नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2019-20 के दौरान डीडीसी सह सीईओ को ₹ 11.50 करोड़ का आवंटन एवीएस/जीवीएस के खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रदान किया गया था। बावजूद इसके यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक निधियां एवीएस/जीवीएस को हस्तांतरित नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा को निधियों के हस्तांतरण न करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.6.12 आदिवासी विकास समिति

गाँवों के विकास में आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान एक नयी योजना का उदघाटन करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गांव में आदिवासी विकास समिति (ए.वी.एस)/ग्रामीण विकास समिति (जीवीएस) का गठन किया जाना था। समिति को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित उन कार्यक्रमों/योजनाओं को निष्पादित करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी जिनकी अनुमानित लागत ₹ पाँच लाख तक थी और जिनकी निर्माण अवधि अधिकतम एक वर्ष थी जैसे-चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब इत्यादि का निर्माण। प्रावधान के अनुसार अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और

³ हजारीबाग और पश्चिम सिंहभूम

20 प्रतिशत ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति के द्वारा साझा किया जाना था।

यह देखा गया कि ₹ 120 करोड़ में से, राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान झारखण्ड के 24 जिलों हेतु ₹ 112.75 करोड़ जारी किया जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 54.82 करोड़ मार्च 2020 तक आहरित किया गया था तथा ₹ 65.18 करोड़ प्रत्यर्पण कर दिया गया।

आठ नमूना-जांचित जिला इकाईयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-20 के दौरान ₹ 57.45 करोड़ डी.डी.सी-सह-सी.ई.ओ, जिला परिषद को आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के सहायता अनुदान के रूप में आवंटित किया गया था दिशानिर्देशों के अनुसार, निधियों को आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित किया जाना था। कार्य को डी.डी.सी/डी.पी.आर.ओ/डी.पी.एम. के निगरानी के तहत जिला में कार्यान्वित किया जा रहा था। एवीएस/जीवीएस के खातों में निधि के आहरण तथा हस्तांतरण का विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14: एवीएस/जीवीएस के खातों में निधि के आहरण तथा हस्तांतरण का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	एवीएस/जीवीएस को हस्तांतरित निधि	व्यपगत/प्रत्यर्पित राशि	शेष	अभियुक्ति
1	2018-19	20.83	4.86	0	15.97	कुल अंत शेष ₹ 30.20 करोड़ में से, ₹ 19.92 करोड़ पी.एल. खाते में अवरुद्ध की गई थी तथा ₹ 10.51 करोड़ की राशि बैंक खाते में रखा गया था (बैंक द्वारा भुगतान किया गया ₹ 0.23 करोड़ ब्याज के साथ)।
2	2019-20	36.62	5.79	16.60	14.23	
कुल		57.45	10.65	16.60	30.20	

3.6.12.1 निरर्थक व्यय: ₹ 10.65 करोड़

विकासात्मक कार्यों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी गाँवों में एवीएस गठित (अधिसूचना सं. 01 स्था.(वि.)-25/2018-1969/राँची दिनांक 02.07.2018) की गई। एवीएस को उन लघु योजनाओं, जिनकी अनुमानित लागत ₹ पाँच लाख तक थी तथा इसके पूर्ण होने की अवधि एक वर्ष अथवा कम थी, को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया गया।

2018-20 के दौरान डी.डी.सी. द्वारा 2011 योजनाओं (पेवर ब्लॉक रोड निर्माण/टीसीबी निर्माण/ तालाब/कुआँ/डोभा का निर्माण) हेतु ₹ 28.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी जिसमें से 1,819 योजनाएँ ₹ 23.82 करोड़ की

अनुमानित लागत से निष्पादन हेतु निर्धारित किए गये। 873 एवीएस/जीवीएस के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में ₹ 9.46 करोड़ हस्तांतरित किया गया। ₹ 1.22 करोड़ की दूसरी किस्त सिर्फ 113 योजनाओं को हस्तांतरित की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.15** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिसंबर 2020 तक कोई भी योजना को पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा, इन सभी योजनाओं में मिट्टी खुदाई से संबंधित कार्य शामिल है अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मिट्टी से संबंधित कार्य हवा और पानी के कारण बहुत हद तक बर्बाद हो गए होंगे। इस प्रकार, योजना का मुख्य उद्देश्य सफल नहीं हुआ और लाभुक लक्षित लाभ से वंचित रह गए।

3.6.12.2 निधि का अवरोध: ₹ 30.43 करोड़

अभिलेखों के जाँच से पता चला कि 9,837 गाँवों में से, 9,343 गाँवों में एवीएस/जीवीएस गठित किए गए थे जिसके लिए विभाग द्वारा ₹ 57.45 करोड़ जारी किया गया।

योजना दिशानिर्देश तथा आवंटन पत्र के अनुसार निधि संबंधित डीडीओ के द्वारा एवीएस/जीवीएस के बचत खातों में हस्तांतरित किया जाना था। यह पाया गया कि ₹ 57.45 करोड़ में से, ₹ 10.65 करोड़ इन योजनाओं हेतु 873 एवीएस/जीवीएस को हस्तांतरित किया गया। 2019-20 के दौरान रांची, हजारीबाग तथा प. सिंहभूम जिलों के डीडीसी को प्रदान किए गए ₹ 16.60 करोड़ बिना कोई कारण बताए प्रत्यर्पित/व्यपगत हो गए तथा शेष राशि ₹ 30.42 करोड़ जिला परिषद के पी.एल खाते तथा डी डी सी के द्वारा बैंक खाते में अनियमित रूप से रखे गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.16** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, 9,343 एवीएस/जीवीएस में से, निधि की उपलब्धता होने के बावजूद केवल 9.34 प्रतिशत एवीएस/जीवीएस को निधि प्रदान किया गया तथा शेष (90.65 प्रतिशत) एवीएस/जीवीएस को योजना के लाभों से वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान कोई कार्य पूरा नहीं किया गया जैसा कि **कंडिका 3.6.12.1** में दर्शाया गया है।

तदनुसार, नमूना-जांचित जिलों के तहत गाँवों के कल्याण हेतु प्रदान किये गये निधि का उपयोग नहीं किया जा सका तथा विकास कार्य में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने हेतु योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 5: विभाग को एवीएस/जीवीएस को निधियों के गैर हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की अनियमितता से बचा जा सके।

3.6.13 14^{वें} वित्त आयोग के तहत जारी निधि

3.6.13.1 राज्य द्वारा दंडात्मक ब्याज का कम निर्गमन: ₹ 6.45 करोड़

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने बुनियादी सेवा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को बिना शर्त सहायता देने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को आधारभूत अनुदान की सिफारिश की है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधारभूत अनुदान शीर्ष के तहत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज विभाग), को ₹ 2,236.71 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसका विवरण परिशिष्ट 3.17 में दर्शाया गया है।

व्यय विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों तथा एफएफसी के कंडिका 17 के अनुसार राज्य सरकार को उर्पयुक्त राशि को केन्द्र सरकार से प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों से हस्तांतरित करना था। विलंब हेतु, यदि कोई हो, राज्य सरकार को आर.बी.आई के बैंक दर से, विलंब के दिनों के लिए ब्याज के साथ किस्त जारी करने की आवश्यकता थी।

यह पाया गया कि केन्द्रीय अनुदान स्थानीय निकायों को 11 दिन से 32 दिन (नकद पंजी में प्रविष्टि की तिथि) के विलंब के साथ हस्तांतरित किये गये जिससे ₹ 6.45 करोड़ (परिशिष्ट 3.17) के दंडात्मक ब्याज के रूप में अतिरिक्त बोझ सृजित हुआ। हालांकि, सरकार द्वारा ऐसा कोई ब्याज भुगतान नहीं किया गया।

3.6.13.2 कार्य को पूरा नहीं किया जाना

एफएफसी के अधीन योजनाओं से संबन्धित अभिलेखों से पता चला कि 2019-20 के दौरान 24 जिलों को ₹ 1,632.59 करोड़ जारी किये गये जिसमें से 2019-20 के दौरान ₹ 1,272.35 करोड़ व्यय किये गये। आगे, यह देखा गया कि 2019-20 के दौरान 82,654 योजनाओं को शुरू किया गया था लेकिन उनके पूर्ण होने की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

आठ नमूना-जाँचित जिलों में ₹ 907.33 करोड़ जारी किया गया था जिसमें से 2019-20 के दौरान ₹ 608.79 करोड़ खर्च किया गया। उन जिलों में 23,867 योजनाएँ शुरू की गईं जिसमें से 16,408 योजनाओं को पूरा किया गया। योजना वार विवरण डीपीआरओ के पास उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार निधि की उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष के दौरान लगभग 31 प्रतिशत कार्य अपूर्ण रह गया। काम समय पर पूरा नहीं होने से उसकी लागत अधिक हो जाती है और यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से भी वंचित कर देती है। विवरण तालिका 3.15 में दिया गया है।

तालिका 3.15: आठ नमूना-जाँचित जिलों में 2019-20 के दौरान कार्य की प्रगति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	प्राप्त राशि	किया गया व्यय	व्यय का प्रतिशत	शुरुआत की गई योजना	पूर्ण योजना	भौतिक प्रगति
1	राँची	150.72	89.10	59.11	2,244	2,196	97.86
2	गुमला	88.99	48.20	54.16	641	592	92.35
3	हजारीबाग	127.66	62.81	49.20	4,014	1,662	41.40
4	बोकारो	118.97	74.01	62.21	3,644	1,877	51.51
5	धनबाद	116.04	117.11	100.92	4,099	3,030	73.92
6	पूर्वी सिंहभूम	113.28	78.00	68.85	3,524	2,479	70.35
7	सराईकेला खरसावाँ	70.06	60.41	86.23	2,103	1,980	94.15
8	पश्चिम सिंहभूम	121.61	79.15	65.08	3,598	2,592	72.04
	कुल	907.33	608.79	67.09	23,867	16,408	68.75

3.6.14 निधि का अवरुद्धिकरण

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), राँची, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1367 दिनांक 10.06.2019 के अनुसार, राज्य के सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को 21.06.2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार ₹ 10,000, ₹ 20,000 तथा ₹ 50,000 की दर से क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को इसके हस्तांतरण के लिए आरटीजीएस के माध्यम से, राज्य के डीपीआरओ को ₹ 5.01 करोड़ आवंटित किए गए।

आठ नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया कि डीपीआरओ को दिये गए ₹ 2.05 करोड़ की राशि में से, ₹ 1.19 करोड़ की राशि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए गए थे जिसमें से पाँच डीपीआरओ के खातों में ₹ 0.86 करोड़ (42.08 प्रतिशत) की राशि व्यर्थ पड़ी रह गई (दिसम्बर 2020) जैसा कि परिशिष्ट 3.18 में दर्शाया गया है। हस्तांतरित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिसंबर 2020 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.6.15 रोकड़ बही में विसंगति

वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक वित्त-20/विविध-09/2016/2918 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार, रोकड़ बही शेष और बैंक शेष एक समान होना चाहिए। किसी तरह की विसंगति होने पर, बैंक समाशोधन विवरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि विसंगतियों के कारण का पता लगाया जा सके। बिना उपयोग के बैंक में पायी गई कोई भी अधिक राशि यथाशीघ्र कोषागार/निधि प्रदान करने वाले एजेंसी को प्रेषित की जानी चाहिए।

आठ में से तीन नमूना जाँचित जिलों में यह पाया गया कि डीपीआरओ के द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बही और बैंक विवरणी के अंत शेष के बीच ₹ 4.51 करोड़ का भारी अंतर था जैसा कि तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: रोकड़ बही में विसंगति

क्र.सं.	जिला	रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष (31.03.2020)	बैंक विवरणी के अनुसार अंत शेष (31.03.2020)	अंतर
		(1)	(2)	(1-2)
1.	रांची	15,78,16,486.41	15,11,40,529.65	66,75,956.76
2.	पूर्वी सिंहभूम	4,46,01,797.60	9,23,76,382.14	(-)4,77,74,584.54
3.	सरायकेला खरसाँवा	92,78,598.72	1,33,27,835.20	(-)40,49,236.48
	कुल	21,16,96,882.73	25,68,44,746.99	(-)4,51,47,864.26

डीपीआरओ, रांची के कार्यालय में लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक रोकड़ बही में दर्शाये गये शेष तथा सामान्य रोकड़ बही के अंत शेष में नवंबर 2018 से ₹ 0.75 करोड़ का अंतर था। विसंगति को न ही समाशोधित किया गया था और न ही रोकड़ बही पर इसके कारण बताए गए थे।

इतने लंबे समय से असमाशोधित रोकड़ जिसके कारण सामान्य रोकड़ बही, सहायक रोकड़ बही और बैंक खातों के बीच वृहत अंतर था सरकारी धन के गबन/दुर्विनियोजन में परिणत हो सकता हो सकता था।

3.6.16 रोकड़ बही का गैर-संधारण

झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, कोषागार से संबंधित लेन-देन का सम्पूर्ण अभिलेख लेखाकार के रोकड़ बही में रोकड़ मैनुअल रजिस्टर में या कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाएगा। अग्रतर, वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक वित्त-20/अन्य-09/2016/2918 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार, रोकड़ बही का प्रत्येक सरकारी कार्यालय में रख-रखाव तथा अद्यतन किया जाना चाहिए। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक माह प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

आठ में से दो नमूना जाँचित जिलों के डीपीआरओ के अभिलेखों के जाँच से पता चला कि जमशेदपुर और सरायकेला के डीपीआरओ द्वारा क्रमशः अगस्त 2017 तथा अगस्त 2019 से सामान्य रोकड़ बही को अद्यतन और प्रमाणित नहीं किया गया था। अग्रतर, यह पाया गया कि 2019-20 के दौरान स्थापना व्यय, पंचायत उप-चुनाव तथा स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त किए गए ₹ 12.05 करोड़ को रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गयी थी। अतः सरकारी धन के दुरुपयोग/गबन को खारिज नहीं किया जा सकता है। विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: प्राप्त की गई राशि के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

जिला	क्र.सं.	शीर्ष	प्राप्त राशि
पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	1	स्थापना शीर्ष	7.33
	2	स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त निधि	3.92
	3	पंचायत उप चुनाव	0.40
सरायकेला- खरसाँवा	1	स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त निधि	0.40
कुल			12.05

3.7 अनुदान संख्या 29 के अंतर्गत खनन और भूविज्ञान विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.7.1 परिचय

खनन एवं भूविज्ञान विभाग झारखण्ड सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। यह खनन निदेशालय तथा भूविज्ञान निदेशालय का प्रशासनिक विभाग होता है। विभाग के मुख्य कार्य और गतिविधियाँ राज्य के खनिज भंडार का व्यवस्थित सर्वेक्षण और मूल्यांकन, उनका शोषण, खान और खनिज रियायत का प्रशासन, अवैध खनन एवं खनिजों की तस्करी के रोकथाम के लिए प्रवर्तन उपाय और खनन राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रहण है। विभाग वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से खनिज संसाधनों के सतत विकास के लिए प्रयास करता है ताकि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

खनन निदेशालय - खनन निदेशालय पूर्वक्षण लाइसेंस, टोही परमिट और खनिजों के खनन पट्टों के अनुदान के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य में खनिज राजस्व एकत्र करता है। यह खनिज प्रशासन के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है और राज्य में खनिज विकास, स्थायी और वैध खनन से संबंधित नियमों और प्रावधानों के अनुसार काम करता है।

भूविज्ञान निदेशालय: यह महत्वपूर्ण खनिजों, भू-जल सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अध्ययन और विभिन्न खनिजों के विश्लेषण आदि का विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण करता है। निदेशालय के पास भारत सरकार के लागू किए गए नए खनिज नीलामी नियम, 2015 के संदर्भ में नीलामी के लिए खनिज ब्लॉक तैयार करने की जम्मेदारी है।

उपर्युक्त वर्णित उत्तरदायित्वों के पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान इस विभाग को ₹ 84.39 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। बजट का विवरण और इसकी उपयोगिता तालिका 3.18 में दिया गया है।

तालिका 3.18: 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बजट का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत्त पूंजी	दत्तमत्त राजस्व	कुल
वास्तविक अनुदान	5.50	63.77	69.27
अनुपूरक अनुदान	0.00	15.12	15.12
कुल अनुदान	5.50	78.89	84.39
व्यय	0.00	57.46	57.46
बचत	5.50	21.43	26.93
प्रत्यर्पण	5.50	21.42	26.92
व्यपगत	0.00	0.01	0.01

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2019-20

लेखापरीक्षा के क्षेत्र

बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा हेतु विभागीय सचिवालय, खनन व भूविज्ञान निदेशालय तथा 24 जिलों में से आठ⁴ जिलों के 21 डीडीओ⁵ का चयन किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.7.2 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2016-20) के दौरान विभागीय बजट तथा व्यय की प्रवृत्ति के अध्ययन के दौरान यह पता चला कि विभाग को इन वर्षों में सतत बचत हुई और बजट अनुमानों की तुलना में बचत की प्रतिशतता बहुत अधिक थी जैसा कि तालिका 3.19 में दिया गया है।

⁴ (i) बोकारो (ii) गुमला (iii) हजारीबाग (iv) जमशेदपुर (v) रामगढ़ (vi) रांची (vii) सरायकेला (viii) सिमडेगा

⁵ जिला खनन कार्यालय- (i) बोकारो (ii) गुमला (iii) हजारीबाग (iv) जमशेदपुर (v) रामगढ़ (vi) रांची (vii) सरायकेला (viii) सिमडेगा; जिला भूविज्ञानिक कार्यालय- (ix) बोकारो (x) गुमला (xi) हजारीबाग (xii) जमशेदपुर (xiii) रांची (xiv) सरायकेला; (xv) खान उप सचिव (सरकारी पक्ष), रांची (xvi) खान निदेशालय के अवर सचिव, रांची (xvii) उत्तर छोटानागपुर मंडल कार्यालय भूविज्ञान, हजारीबाग; (xviii) राज्य प्रयोगशाला भूविज्ञान, हजारीबाग (xix) अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान, हजारीबाग (xx) उप निदेशक भूविज्ञान (मुख्यालय), रांची (xxi) दक्षिण छोटानागपुर अंचल कार्यालय भूविज्ञान, रांची

तालिका 3.19: खनन व भूविज्ञान विभाग में पिछले चार वर्ष के दौरान बचत की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

वर्ष		वास्तविक	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2016-17	राजस्व	48.62	0.93	49.55	29.06	20.49	48.74
	पूँजीगत	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	
	कुल	55.76	0.93	56.69	29.06	27.63	
2017-18	राजस्व	112.98	2.75	115.73	36.38	79.35	69.10
	पूँजीगत	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
	कुल	114.98	2.75	117.73	36.38	81.35	
2018-19	राजस्व	82.99	0.46	83.45	41.86	41.59	50.29
	पूँजीगत	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	
	कुल	83.74	0.46	84.20	41.86	42.34	
2019-20	राजस्व	63.77	15.12	78.89	57.46	21.43	31.91
	पूँजीगत	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	
	कुल	69.27	15.12	84.39	57.46	26.93	

स्रोत : विनियोग लेखे 2016-20

जैसा कि तालिका 3.19 में दिखाया गया है विभाग में पिछले चार वर्षों के दौरान 32 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी जो न केवल निधि के उपयोग के लिए विभाग की अक्षमता का संकेत था, बल्कि वर्ष के दौरान बजट में शामिल किए गए कार्य को पूरा न करने का परिणाम भी था।

3.7.3 बजट प्राक्कलनों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 राज्य के बजट को सही और समय पर तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के बाद स्थापना व्यय और योजना बजट के अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियों को बजट मैनुअल में निर्धारित तिथि पहली अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 28 नवंबर 2018 और 12 दिसंबर 2018 संशोधित (नवंबर 2018) किया।

भूविज्ञान निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन वित्त विभाग को समय पर प्रस्तुत किए गए जबकि योजना बजट हेतु बजट प्राक्कलन 49 दिन के विलंब से (16 जनवरी 2019 को) प्रस्तुत किया।

अग्रतर, खनन निदेशालय ने स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन तथा योजना बजट क्रमशः छः दिन तथा 15 दिन के विलम्ब से 28 नवम्बर 2018 और 12 दिसम्बर 2018 की निर्धारित तिथि के सापेक्ष 04 दिसम्बर 2018 तथा 27 दिसम्बर को प्रस्तुत किया।

3.7.4 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार किया गया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 65 के अनुसार नियंत्री अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि सभी विस्तृत ब्यौरे/स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

भूविज्ञान निदेशालय के अभिलेखों के जाँच से पता चला कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और योजनाओं और राज्य की स्थापना के लिए बजट अनुमानों को 29 डीडीओं में से क्रमशः केवल आठ डीडीओ और 17 डीडीओ द्वारा आवश्यकता प्राप्त होने के पश्चात तैयार किया गया था। अग्रतर, योजनाओं और स्थापना के लिए बजट अनुमान 34 डीडीओ में से केवल छः डीडीओ से आवश्यकता प्राप्त होने के पश्चात खनन निदेशालय द्वारा तैयार किए गए थे। अतः बजट अनुमानों को विभाग के स्तर पर संवितरण अधिकारियों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना तैयार किया गया था जो काम के निष्पादन और निधि का उपयोग करने के लिए अंततः जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 84.39 करोड़ में से ₹ 26.93 करोड़ (32 प्रतिशत) की बचत हुई।

3.7.5 परिहार्य पूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान यह पाया गया कि सात उप-शीर्षों में (राजस्व के अधीन पाँच और पूंजीगत के अधीन दो) से राजस्व शीर्ष (2853-02-001-01) के अधीन एक योजना को ₹ 17.95 करोड़ के मूल प्रावधानों का उपयोग किए बिना अनुपूरक प्रावधानों के माध्यम से ₹ 0.48 करोड़ प्रदान किए गए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 17.95 करोड़ के मूल प्रावधान में से विभाग ने केवल ₹ 13.94 करोड़ व्यय करते हुए ₹ 4.01 करोड़ की बचत की जो कि अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा प्रदान किए गए ₹ 0.48 करोड़ से बहुत अधिक था। इसलिए, अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था और इसे टाला जाना चाहिए था।

3.7.6 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं प्रत्यर्पण

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(अ) भूविज्ञान संग्रहालय का स्थापना तथा नये वाहन की खरीद:

वर्ष 2019-20 हेतु कार्यालय भूविज्ञान निदेशालय, झारखण्ड सरकार, रांची के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि राज्य के खनिज संसाधन को बतलाने तथा पृथ्वी के भूविज्ञान इतिहास, खनन क्रियाकलाप और पृथ्वी पर होने वाली कई रूचिकर चीजों, खनिज, पत्थर तथा भू-वैज्ञानिक निर्माण का प्रदर्शन करने के लिए खनिज नगर, डोरण्डा, राँची परिसर में विश्वस्तरीय भूविज्ञान संग्रहालय (शीर्ष 4853-02-004-03 के अधीन) के स्थापना हेतु ₹ 5.00 करोड़ प्रदान किए गए। अभिलेखों से यह पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अप्राप्ति के कारण विभाग द्वारा प्राप्त की गई राशि का उपयोग नहीं किया गया।

इसी प्रकार, क्षेत्र दौरा हेतु पुराने वाहन के स्थान पर नये वाहन की खरीद हेतु (शीर्ष 2853-02-102-20 के अधीन) ₹ 0.20 करोड़ प्रदान किये गये लेकिन पदवर्ग समिति के अनुमोदन के अभाव में नए वाहन नहीं खरीदे गए।

उपर्युक्त वर्णित कार्य के लिए प्रदान की गई राशि (₹ 5.20 करोड़) वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्यर्पित कर दिए गए। अतः विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

(ब) जीर्णोद्धार निधि का प्रत्यर्पण

जाँच के दौरान यह पता चला कि विभागों के विभिन्न कार्यालय भवनों के रख-रखाव, मरम्मती तथा साज-सज्जा (राज्य योजना) हेतु ₹ 1.35 करोड़ का आवंटन किया गया जिसमें से ₹ 0.06 करोड़ (चार प्रतिशत) खर्च किये गये तथा शेष ₹ 1.29 करोड़ (96 प्रतिशत) वर्ष के अंत में प्रशासनिक अनुमोदन के अप्राप्ति के कारण प्रत्यर्पित कर दिए गए।

इसी प्रकार, आवासीय एवं कार्यालय भवन (शीर्ष 4853-02-004-01 शीर्ष के अधीन) के निर्माण कार्य हेतु ₹ 0.50 करोड़ प्रदान किए गए लेकिन प्रावधान में से कोई राशि खर्च नहीं की गयी तथा पूरी राशि को मार्च 2020 के माह में प्रत्यर्पित कर दिया गया।

अग्रतर, आठ नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया 52 इकाईयों के पूर्ण बजट प्रावधानों ₹ 0.38 करोड़ का उपयोग निधि की गैर-आवश्यकता, विपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण, जेम (जी.इ.एम.) द्वारा खरीद का अपूर्ण कार्य तथा कोविड-19 महामारी के कारण नहीं किया गया। मार्च 2020 के माह में पूरी राशि प्रत्यर्पित कर दी गयी जैसा कि परिशिष्ट 3.19 में दी गयी है।

3.7.7 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का प्रत्यर्पण

यह पाया गया कि बजट प्रावधान ₹ 34.76 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 14.33 करोड़ (₹ 13.59 करोड़ योजना के अधीन तथा ₹ 0.74 करोड़ स्थापना के अधीन) वित्तीय वर्ष के अंत में भूविज्ञान निदेशालय द्वारा बिना कोई कारण बताए प्रत्यर्पित कर दिया गया। खनन निदेशालय ने लेखापरीक्षा को प्रत्यर्पण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। अग्रतर, आठ नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों के जाँच से पता चला कि ₹ 0.94 करोड़ का प्रत्यर्पण (योजना के कुल प्रावधानों का 62 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में किया गया। बचत के कारण निधि का विलंब से आवंटन और डीडीओ कोड का गैर-सृजन इत्यादि थे। निधि को व्यय की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष के अंत तक रखा गया था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.20** में दिये गए हैं।

वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्यर्पण करने से सरकार को अन्य महत्वपूर्ण कार्य/योजना में इसके उपयोग की कोई सम्भावना नहीं रही, जो निधि की कमी के कारण अधूरी रह गई।

3.7.8 व्यय का वेग

आठ नमूना-जाँचित जिलों में से पाँच जिलों में यह पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय मार्च माह में 45 से 100 प्रतिशत के बीच था जो बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था। विवरण **परिशिष्ट 3.21** में दिया गया है।

3.7.9 विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन

2019-20 के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार के पंजियों के साथ ₹ 57.46 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 29.29 करोड़ (50.97 प्रतिशत) के व्यय की राशि का समाशोधन नियंत्रक अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोजन के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2853	55.00	28.17	26.83
2	3451	2.46	0.00	2.46
	कुल	57.46	28.17	29.29

अग्रतर, आठ नमूना-जाँचित जिल इकाइयों में ₹ 17.54 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 12.22 करोड़ (69.67 प्रतिशत) का व्यय 2019-20 के दौरान समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.22** में दर्शाया गया है।

3.7.10 राजस्व के प्राक्कलनों का अप्रस्तुतीकरण

बजट नियमावली के नियम 54 के साथ पठित वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार पत्र सं. 29 बी.एस.जी.-03/2018-19/352 दिनांक 05 नवम्बर 2018 ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के बाद राजस्व के आकलन को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर 2018 को संशोधित कर 19 नवंबर 2018 किया गया। हालांकि खनन निदेशालय द्वारा राजस्व के प्राक्कलनों को तैयार नहीं किया गया था एवं प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.7.11 विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व का कम संग्रहण

झारखण्ड सरकार के बजट दस्तावेज़ के अनुसार, वर्ष 2019-20 हेतु खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए राजस्व संग्रहण ₹ 8,500.00 करोड़ अनुमानित था जिसके विरुद्ध उस वर्ष का वास्तविक राजस्व संग्रहण केवल ₹ 5,461.36 करोड़ (64 प्रतिशत) था।

आठ नमूना-जाँचित जिलों में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,243.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 808.35 करोड़ (36 प्रतिशत) कम संग्रहित किया गया। जैसा कि प्राधिकारी के द्वारा बताया गया, यह मुख्य रूप से प्लांट के बंद होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। डीएमओ, जमशेदपुर ने बताया कि विभाग द्वारा तय किए गए अतार्किक लक्ष्य के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है।

विभाग द्वारा बताया गया कारण तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लक्ष्य 2019-20 का था जबकि कोविड महामारी वर्ष के अंत में फैला था। जहां तक अतार्किक लक्ष्य का संबंध था, यह क्षेत्र के कार्यालयों से व्यापक अभ्यास और प्रतिक्रिया के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए था।

तालिका 3.21: विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व का कम संग्रहण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कार्यालय का नाम	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी
1.	डी.एम.ओ, रांची	129.12	104.45(81)	24.67(19)
2.	डी.एम.ओ, रामगढ़	872.53	375.24(43)	497.29(57)
3.	डी.एम.ओ, बोकारो	472.79	463.11(98)	9.68(2)
4.	डी.एम.ओ, सिमडेगा	26.00	15.00(58)	11.00(42)
5.	डी.एम.ओ, जमशेदपुर	150.00	62.81(42)	87.19(58)
6.	डी.एम.ओ, सरायकेला	39.00	25.68(66)	13.32(34)
7.	डी.एम.ओ, गुमला	84.50	53.73(64)	30.77(36)
8.	डी.एम.ओ, हजारीबाग	470.00	335.57(71)	134.43(29)
कुल		2,243.94	1,435.59(64)	808.35(36)

टिप्पणी- कोष्ठक के आंकड़ें निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत बताते हैं।

3.7.12 राजस्व संग्रहण के प्रतिवेदन में अंतर

आठ नमूना-जाँचित जिलों (जिला खनन कार्यालय) में से सात में यह पाया गया कि राजस्व संग्रहण के आँकड़ों में झारखंड समग्र खनन एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली (जेआईएमएमएस) प्रतिवेदन तथा डी.एम.ओ के द्वारा दिखाए गए राजस्व संग्रहण के बीच भारी अंतर था। वर्ष 2019-20 के दौरान इन जिलों में डी.एम.ओ के द्वारा दिखाया गया संग्रहण ₹ 1,100.02 करोड़ था जबकि जेआईएमएमएस रिपोर्ट के अनुसार संग्रहण ₹ 1,094.60 करोड़ था। जेआईएमएमएस और डी एम ओ रिपोर्ट के द्वारा दिखाए गए संग्रहण में अंतर राजस्व संग्रहण का सही चित्रण नहीं कर रहा था तथा हेरफेर, यदि कोई हो तो, को खारिज नहीं किया जा सकता है। तालिका 3.22 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.22: जेआईएमएमएस तथा डी.एम.ओ. के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व संग्रहण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कार्यालय का नाम	डिमाण्ड ड्राफ्ट और बुक ट्रांसफर सहित जेआईएमएमएस रिपोर्ट के अनुसार संग्रहित राजस्व	डी एम ओ के वार्षिक रिपोर्ट द्वारा संग्रहित राजस्व	अंतर
1.	डी.एम.ओ, रांची	102.12	104.45	(-)2.33
2.	डी.एम.ओ, रामगढ़	380.81	375.24	(+)5.57
3.	डी.एम.ओ, बोकारो	465.69	463.11	(+)2.58
4.	डी.एम.ओ, सिमडेगा	0.00*	15.00	-15.00
5.	डी.एम.ओ, जमशेदपुर	68.75	62.81	(+)5.94
6.	डी.एम.ओ, सरायकेला	24.60	25.68	(-)1.08
7.	डी.एम.ओ, गुमला	52.63	53.73	(-)1.10
कुल		1,094.60	1,100.02	(-)5.42

(-) वार्षिक प्रतिवेदन में अत्यधिक राजस्व दर्शाता है और (+) जेआईएमएमएस प्रतिवेदन के विरुद्ध वार्षिक प्रतिवेदन में कम राजस्व दर्शाता है।

* विवरण प्रदान नहीं किया गया

इसी प्रकार जेआईएमएमएस रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण सेस का संग्रहण ₹ 2.95 करोड़ था जबकि बैंक विवरण के अनुसार मार्च 2020 तक कुल संग्रहित सेस ₹ 3.08 करोड़ था।

3.7.13 कार्य योजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2019-20 हेतु भूखनन निदेशालय के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुल निधि ₹ 12.20 करोड़ में से ₹ 7.65 करोड़ निधि की उपलब्धता होने के बावजूद खानों और खनिजों की खोज और विश्वस्तरीय भू-वैज्ञानिक संग्रहालय के निर्माण से संबंधित चार कार्यों की भौतिक प्रगति नगण्य थी। इन कार्यों में भौतिक प्रगति दिसम्बर 2020 तक नगण्य या शून्य थी। तालिका 3.23 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.23: कार्यों का पूरा न होना

क्र.सं.	कार्य का नाम	बजट भाषण के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
1	पश्चिमी सिंहभूम जिला में फेरस ऑक्साइड खानब्लॉक के भू-वैज्ञानिक अन्वेषण	चार खान ब्लॉक	शून्य	0
2	रांची जिला में बॉक्साइट खनिज का भू-वैज्ञानिक अन्वेषण	चार खान ब्लॉक	चार में से एक	25
3	पश्चिमी सिंहभूम जिला में मेंगनीज का भू-वैज्ञानिक अन्वेषण	दो खान ब्लॉक	शून्य	0
4	विश्व स्तरीय भू-वैज्ञानिक संग्रहालय का निर्माण	खनिज नगर, डोरण्डा, रांची में एक	शून्य	0

उपरोक्त कार्यों पर ₹ 4.55 करोड़ का व्यय किया गया था लेकिन परियोजनाओं की वित्तीय प्रतिवेदन (क्रमांक 1 से 3) भू-विज्ञान निदेशालय द्वारा ना तो तैयार की गयी और ना ही उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त कार्य पर केवल भौतिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था।

जैसा कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (क्रमांक 1 से 3) तथा सम्बंधित विभाग से डीपीआर (क्रमांक 4) के अभाव में कार्य प्रभावित हुए थे। काम पूरा न होने की वजह मानव बल की कमी भी बताई गयी। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कार्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए इन कदमों को समय पर उठाया जाना चाहिए था।

3.7.14 ₹ 2.25 करोड़ का सरकार पर अनुचित बोझ

डी.एम.ओ. रांची के अभिलेखों से पता चला कि रांची जिला में सोनाहातु अंचल के अंतर्गत कांची नदी बालू घाट की नीलामी 24.06.2015 को 2015-16 से 2017-18 अवधि के लिए ₹ 7.04 करोड़ के उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की गई। पत्र सं. 1162/एम दिनांक 14.07.2015 द्वारा इस आशय का पत्र जारी किया गया।

संबन्धित बोलीदाता ने ₹ 0.70 करोड़ (₹ 7.04 करोड़ का 10 प्रतिशत) की सुरक्षा जमा राशि और ₹ 2.82 करोड़ (₹ 7.04 करोड़ का 40 प्रतिशत) की पहली किस्त सहित ₹ 3.52 करोड़ का भुगतान किया था। बोलीदाता द्वारा कुल भुगतान राशि में से खनन शीर्ष के तहत ₹ 1.27 करोड़ जून 2015 से फरवरी 2016 के दौरान जमा किया गया तथा विभाग के आदेश⁶ के अनुसार फरवरी 2016 में ₹ 2.25 करोड़ संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया गया था।

⁶ पत्र सं. एम.डी। (विविध)176/2012-505 दिनांक 17.03.2015

वन प्रमंडल अधिकारी, खूंटी (जून 2016) ने इस कार्य को पर्यावरण की मंजूरी प्रदान नहीं की क्योंकि यह जंगली हाथी का मुख्य मार्ग और जलग्रहन क्षेत्र था। अतः बोलीदाता पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करने में असफल रहा और प्रावधानों के अनुसार आशय पत्र उपायुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया।

बोली रद्द किए जाने के कारण नवंबर 2018 (₹ 1.27 करोड़) और जनवरी 2020 (₹ 2.25 करोड़) में सरकार से आवंटन प्राप्त करने के बाद बोलीदाता को भुगतान की गई राशि उपायुक्त, रांची द्वारा वापस कर दिया गया।

अग्रतर यह भी पाया गया कि सोनाहातु ब्लॉक के ग्राम पंचायत (टेलवाडीह) को हस्तांतरित की गई राशि डी.एम.ओ., रांची द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद वापस नहीं की गई। इस प्रकार निविदा रद्द करने के बावजूद ग्राम पंचायत के पास ₹ 2.25 करोड़ अनियमित रूप से रह गए थे और सरकार को इस सीमा तक अनुचित बोझ उठाना पड़ा।

3.7.15 अभिलेखों का रख-रखाव नहीं

(अ) रोकड़ बही

झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, कोषागार से संबंधित लेन-देन का सम्पूर्ण अभिलेख महालेखाकार के रोकड़ पंजी में, रोकड़ मैनुअल रजिस्टर में या कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाएगा। अग्रतर, वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक वित्त-20/अन्य-09/2016/2918 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार, रोकड़ बही का प्रत्येक सरकारी कार्यालय में रख-रखाव तथा अद्यतन किया जाना था। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक माह प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

डी.एम.ओ सिमडेगा के अभिलेखों के जांच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 2020) कि रोकड़ बही 26 फरवरी 2019 से नहीं लिखा गया था। इसी बीच डीडीओ का स्थानांतरण हो गया। इसके बावजूद, रोकड़ बही को पूरा नहीं किया गया तथा रोकड़ बही में प्रभार लेने और प्रभार सौंपने को इंद्राज नहीं किया गया था। अतः सरकारी धन के गलत उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ब) भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदन पंजी का रख-रखाव नहीं

भू-विज्ञान निदेशालय की योजना लेख के अनुसार, इस निदेशालय को भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नये खनिज नीलामी नियम, 2015 के संदर्भ में नीलामी के लिए खनिज ब्लॉक तैयार करने की जिम्मेदारी है।

जांच के दौरान पता चला कि खनिज ब्लॉक की खोज और नीलामी से संबंधित भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदन पंजी ना ही भू-विज्ञान निदेशालय के अधीन क्षेत्र कार्यालयों द्वारा और ना ही खनन और भू-विज्ञान निदेशालय द्वारा तैयार किए गए थे।

3.8 निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल बचत ₹ 23,984.71 करोड (कुल बजट का 25.31 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का द्योतक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 6,184.28 करोड की सतत बचत हुई।

वर्ष के दौरान 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड या उससे अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 9,272.22 करोड (99.37 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक के अनुदान/विनियोग पर ₹ 3,015.37 करोड की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान एक अनुदान एवं एक विनियोग में ₹ 313.32 करोड का अधिक व्यय किया गया।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय
प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता और गुणवत्ता का अनुपालन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 श्रम उपकर

श्रम और अन्य निर्माण कर्मों कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019-20 तक सरकारी योजनाओं का निष्पादन करने वाले ठेकेदारों से उपकर के रूप में ₹ 550.18 करोड़ एकत्रित किए गए। एकत्र किए गए उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड निधि (अक्टूबर 2020) में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों (2008-20) के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि और राज्य के राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई और यह राज्य के बेहिसाब देनदारियों को दर्शाता है।

4.1.1 श्रम उपकर का लेखांकन और उपयोगिता

यह देखा गया कि श्रम कल्याण बोर्ड ने केवल 2012-13 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था। तथापि, बोर्ड द्वारा 2019-20 तक प्रस्तुत निधि की प्राप्तियाँ और उपयोगिताएँ तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण और इसकी उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा प्रदान सहायता-अनुदान राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष उपकर	कुल प्राप्ति	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय ¹	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयोगिता शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{(2+3)=4}	(5)	(6)	{(5+6)=7}	{(4-7)=8}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0	90.19	90.19	59.19	0.89	60.09	30.10
2019-20	0	120.00	120.00	75.78	0.83	76.60	43.40
कुल	5.08	606.62	611.70	329.02	5.57	334.59	277.11

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मों कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त विवरणी।

2009-10 से 2019-20 के दौरान, ₹ 329.02 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गये, जबकि ₹ 5.57 करोड़ स्थापना पर व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धन का केवल 54.70 प्रतिशत ही उपयोग किया।

अनुशंसा 1: झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मों कल्याण बोर्ड को ससमय वार्षिक लेखे तैयार करने तथा लेखापरीक्षा हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इसके प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक उठाना चाहिए।

अनुशंसा 2: झारखण्ड सरकार को यथासंभव श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का हस्तांतरण और उपलब्ध निधि की समुचित उपयोगिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बोर्ड भवन निर्माण एवं अन्य दूसरे निर्माण कर्मियों की कार्यरत स्थिति के विकास एवं इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा कर सके।

4.1.2 सरकारी लेखों के बाह्य नियामकों के कोष (₹ 35.98 करोड़)

(अ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) बतलाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए समस्त ऋण एवं समस्त राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के समेकित निधि के भाग होंगे। इसके आगे, अनुच्छेद 266(2) बतलाता है कि राज्य सरकार के पक्ष में अथवा इसके द्वारा प्राप्त अन्य लोक धन राज्य के लोक लेखे में सम्मिलित किया जाएगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 के प्रावधानों के साथ पठित धारा 180(2)(जी) द्वारा झारखण्ड सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार ने “झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि विनियम,

¹ 22 योजनाएँ, झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मों कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.01.2020 को प्रदान किए गए विवरणी के अनुसार कल्याण बोर्ड के तहत चल रही हैं।

2009” बनाया। उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, सरकार ने सभी अनुज्ञप्ति, याचिका शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क आदि के अनुदानों और ऋणों को जमा करने के लिए “झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) नामक एक कोष की स्थापना की। यह भी निर्णय लिया गया कि निधि को नामित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित किया जायेगा।

2014-20 अवधि के जे.एस.ई.आर.सी. निधि के अभिलेखों के सत्यापन से यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 के लिए जे.एस.ई.आर.सी. कोष का प्रारंभिक शेष ₹ 6.40 करोड़ था जिसमें 2014-20 के दौरान ₹ 32.90 करोड़ जमा किए गये और ₹ 18.24 करोड़ व्यय किया गया जिसके फलस्वरूप मार्च 2020 के अंत में कोष में ₹ 21.06 करोड़ शेष था।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि नियम 2009 में संविधान के अनुच्छेद 266(1) और 266(2) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण, 2014-15 से 2019-20 के दौरान जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा ₹ 32.90 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखा के बाहर रखी गयी थी। 2019-20 के अंत में, ₹ 21.06 करोड़ सरकारी लेखे से बाहर थे।

(ब) लघु खनन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन कोष (ई.एम.एफ.) स्थापित किया जाना था, जिसमें लघु खनिज के प्रत्येक खनन पट्टाधारक को रॉयल्टी का एक प्रतिशत अंशदान जमा करना था, जिसका उपयोग वन, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण में किया जाना था।

खनन निदेशालय के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि सितम्बर 2018 से मार्च 2020 के दौरान ₹ 3.08 करोड़ की राशि रॉयल्टी के रूप एकत्र की गई और संविधान के अनुच्छेद 266(1) और 266 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए राज्य के लोक लेखा के स्थान पर वाणिज्यिक बैंक में जमा किया गया था। हालाँकि, ई.एम.एफ. से कोई भी राशि उन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई जिसके लिए इसे जमा किया गया था।

4.2 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन माध्यम (एस.पी.बी.) द्वारा गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान होते हैं या फिर प्रत्याभूतियाँ और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। राज्य पी.एस.यू./एस.पी.बी. द्वारा ऐसी कोई उधारी 2019-20 के दौरान प्रतिवेदित नहीं की गई।

4.3 राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है। चूँकि इन राशियों को राज्य बजट में नहीं लिया जाता है,

अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होते हैं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किए जाते हैं।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जिन्हें महत्त्वपूर्ण माना गया सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था। इन निधियों के व्यय का उल्लेख राज्य के वित्त लेखे में नहीं किया जाता था। 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को सीधे राज्य को जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में घटकर ₹ 130.92 करोड़ हो गयी, जो आगे 2017-18 में पुनः बढ़कर ₹ 322.36 करोड़ हो गई। हालाँकि, 2017-18 से लगातार कमी के बाद राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2019-20 में ₹ 235.71 करोड़ था। राज्य के लेखों में कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण में से व्यय को नहीं दर्शाया जाता है। कुछ प्रमुख एजेंसियों को हस्तांतरित निधि के हस्तांतरण का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2019-20 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी	82.50
2	अवसंरचना विकास एवं क्षमता विनिर्माण	इण्डो-दानिस टूल रूम	32.51
3	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण संस्थान	22.73
4	खुरपका-मुँहपका रोग एवं ब्रूसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	पशु एवं भैंस विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	15.01
5	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन एम.एस.आई.पी.एस ई.डी.एफ एवं विनिर्माण समूह	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह लिमिटेड	12.44
6	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	70.52
कुल			235.71

स्रोत: राज्य लेखा (2019-20) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

4.4 स्थानीय निधि जमा

कुछ राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जिला परिषद् (जि.प.), पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमशः जिला परिषद् निधि, पंचायत समिति निधि और ग्राम पंचायत निधि को बनाए रखेंगे (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 109-पंचायत निकाय निधि) जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि, यथा केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और उनके अपने राजस्व जिसमें पंचायत के कर और गैर-कर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, शामिल होंगे। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि का आयोजन किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 102-नगरपालिका निधि के अधीन रखा जाता है।

तालिका 4.3: स्थानीय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	197.68	183.88	212.71	309.67	364.38
		प्राप्तियाँ	72.6	143.53	181.74	128.99	124.60
		व्यय	86.4	114.7	84.78	74.28	150.86
		अंतिम शेष	183.88	212.71	309.67	364.38	338.12
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	944.37	1,535.71	2,003.17	1,870.03	1,959.09
		प्राप्तियाँ	1,073.55	1,159.19	1,122.21	915.05	1,252.93
		व्यय	482.21	691.73	1,255.35	825.99	1134.27
		अंतिम शेष	1,535.71	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

यह देखा गया कि 2019-20 में, पी.आर.आई. में निवल वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हो गई थी, जबकि, यू.एल.बी. में थोड़ी वृद्धि हुई।

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब


उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अप्रस्तुतीकरण का मतलब है कि प्राधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि वर्षों से धन/निधि कैसे खर्च किया गया। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने के अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं। यह अधिक महत्व रखता है कि क्या पूंजीगत व्यय के सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। चूँकि, उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अप्रस्तुतीकरण दुर्विनियोग के जोखिम से भरा होता है, इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस पहलू की सूक्ष्मतापूर्वक निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए जवाबदेह बनाएँ।

झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर) यह निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), झारखण्ड को अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर इन्हें अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 तक भुगतान किए गए ₹ 69,702.99 करोड़ के अनुदान से संबंधित 29,358 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2020 के अंत तक बकाया थे। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाँच विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग (₹ 20,861.54 करोड़ के 2,468 यू.सी.), शहरी विकास विभाग (₹ 15,167.62 करोड़ के 7,959 यू.सी.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹ 14,920.86 करोड़ के 3,942 यू.सी.), ऊर्जा विभाग (₹ 7,437.84 करोड़ के 82 यू.सी.) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 5,462.37 करोड़ के 610 यू.सी.) के विरुद्ध बकाया था।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, ₹ 17,975.81 करोड़ और ₹ 19,191.46 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ₹ 8,446.82 करोड़ और ₹ 7,079.39 करोड़ की राशि प्राधिकरणों और निकायों को पूँजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के सृजन के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किया गया था। फलस्वरूप, पूँजीगत संपत्ति के सृजन का पता नहीं लगाया जा सका।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया यू.सी.



31 मार्च, 2020 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) की संख्या और राशि तालिका 4.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.4: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		देय प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	17,048	28,205.67	5,019	17,481.36	668	6,571.50	21,399	39,115.53
2017-18	21,399	39,115.53	4,219	19,545.33	515	6,114.69	25,103	52,546.17
2018-19*	25,103	52,546.17	4,483	17,435.44	228	278.62	29,358	69,702.99

*2018-19 के दौरान संवितरित किए गए जी.आई.ए. के लिए यू.सी. 2019-20 के अवधि के लिए देय हुए।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2010-11 तक	2,192	966.40
2011-12	494	273.38
2012-13	945	1,141.17
2013-14	1,333	1,518.08
2014-15	2,134	5,354.78
2015-16	8,907	9,574.60
2016-17	4,873	14,501.49
2017-18	3,997	18,937.65
2018-19	4,483	17,435.44
कुल	29,358	69,702.99

आगे, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2019-20 के अंत में अनुदान संख्या 56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज विभाग), झारखण्ड, राँची के मुख्य शीर्ष 2515 के विरुद्ध ₹ 7,150.44 करोड़ के 1,831 यू.सी. बकाया थे। बकाया यू.सी. का वर्ष-वार संख्या और राशि तालिका 4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: मुख्य शीर्ष 2515 के अधीन बकाया यू.सी. का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जारी कुल अनुदान		प्रस्तुत की गई यू.सी.		बकाया यू.सी.	
	अनुदानों की संख्या	राशि	अनुदानों की संख्या	राशि	अनुदानों की संख्या	राशि
2016-17 तक	2,723	4,932.25	1,327	2,338.80	1,396	2,593.44
2017-18	155	1,293.56	4	0.53	151	1,293.03
2018-19	111	774.08	4	0.31	107	773.77
2019-20	177	2,490.20	00	00	177	2,490.20
कुल	3,166	9,490.09	1,335	2,339.64	1,831	7,150.44

जी.आई.ए. विपत्र के विरुद्ध यू.सी. की अप्राप्ति अपेक्षित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के प्रस्तुतीकरण समय पर सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता

है। यू.सी. का अधिक विलम्बन निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। विभाग द्वारा यू.सी. अप्रस्तुतीकरण के कारण नहीं बताए गए।

अनुशंसा 3: वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2020 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण तालिका 4.7 में दी गयी है।

तालिका 4.7: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़		निष्पादन		अंतिम शेष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2017-18	17,489	4,143.05	335	1,209.12	96	876.43	17,728	4,475.74
2018-19	17,728	4,475.74	243	1,061.32	52	699.96	17,919	4,837.10
2019-20	17,919	4,837.10	330	2,168.00	30	560.66	18,219	6,444.44


राज्य के 15 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 330 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर सरकारी लेखों से ₹ 2,168 करोड़ आहरित किए, लेकिन वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व ₹ 1,607.34 करोड़ के 300 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को जमा नहीं किया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1,607.34 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गयी, जिसके लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2019-20 में व्यय की संभावित अत्योक्ति के रूप में परिलक्षित हुई।

इसके अतिरिक्त, 2018-19 तक आहरित ₹ 4,837.10 करोड़ की राशि वाले 17,909 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2020 तक लम्बित थे। अग्रिम आहरित की गयी और लेखांकन नहीं किया गया जिससे उपव्यय/गबन/दुर्विनियोग आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

2019-20 में ए.सी. विपत्रों पर आहरित किए गए ₹ 2,168 करोड़ में से ₹ 263.68 करोड़ मार्च 2020 में आहरित किए गए। मार्च 2019 में ए.सी. विपत्रों (₹ 62 करोड़) के आहरण की तुलना में मार्च 2020 में ए.सी. विपत्रों का आहरण हुआ। मार्च 2020 में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिए था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

अधिकतम राशि वाले लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों को तुलनात्मक विवरणी के साथ चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



आगे, अनुदान संख्या 56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि 2003-20 की अवधि के दौरान आहरित ₹ 214.15 करोड़ के 367 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों में से केवल ₹ 70.18 करोड़ के 80 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र विभाग द्वारा जमा किये गये थे और दिसंबर 2020 तक ₹ 143.96 (67.22 प्रतिशत) के 287 डी.सी. विपत्र बकाया था। यह भी देखा गया कि ₹ 140.50 करोड़ के 278 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र मुख्य शीर्ष 2515 के तहत पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) झारखण्ड, राँची के आठ नमूना-जाँचित जिलों में ₹ 52.06 करोड़ के डी.सी. विपत्र, 2003-20 की अवधि के दौरान ए.सी. विपत्रों के आहरण के विरुद्ध लंबित था, जो तालिका 4.8 में वर्णित है।

तालिका 4.8: बकाया डी.सी. विपत्रों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	अवधि	बकाया ए.सी. विपत्र	
			सं.	राशि
1	राँची	2003-04 से 2019-20	57	30.07
2	गुमला	2010-11	01	0.29
3	हजारीबाग	2003-04 से 2015-16	04	6.79
4	बोकारो	2005-06 से 2015-16	10	3.81
5	धनबाद	2005-06 से 2016-17	18	5.64
6	पूर्वी सिंहभूम	2003-04 से 2009-10	03	0.48
7	सरायकेला-खरसावाँ	2003-04 से 2010-11	16	2.65
8	पश्चिमी सिंहभूम	2010-11	09	2.33
कुल			118	52.06

खनन और भू-विज्ञान विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि 2001-20 की अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 2853 के तहत आहरित ₹ 1.90 करोड़ के ए.सी. विपत्रों में से ₹ 0.31 करोड़ के डी.सी. विपत्र दिसम्बर, 2020 तक जमा नहीं किये गये थे। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिए गए हैं।

ए.सी. विपत्रों पर धन राशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्रों को जमा नहीं करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन और गलत तरीके से इस्तेमाल के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ए.सी. विपत्रों पर धन का आहरण लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा होता है।

4.7 डी.सी. विपत्रों के प्रस्तुति में विलम्ब

अनुदान संख्या 56 के तहत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड के अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि 2000-17 के दौरान (मुख्य शीर्ष- 2515, 2015 और 3451) आहरित किए गए ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध ₹ 37.42 करोड़ के डी.सी. विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को दो दिन से लेकर 104 महीने तक के विलम्ब के साथ प्रस्तुत किया गया जिसके लिए विभाग द्वारा कोई विशेष कारण प्रदान नहीं किया गया।

इसके अलावा, आठ नमूना-जाँचित जिलों में से सात जिलों में वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध ₹ 13.23 करोड़ के डी.सी. विपत्र एक माह से लेकर 104 महीनों तक के विलम्ब के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि तालिका 4.9 में वर्णित है।

तालिका 4.9: विलम्ब से प्रस्तुत डी.सी. विपत्रों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	अवधि	विलम्ब से जमा डी.सी. विपत्र		विलम्ब (महीने में)
			सं.	राशि	
1	राँची	2005-06 से 2015-16	13	8.23	1 से 80
2	गुमला	2000-01 से 2003-04	04	0.30	24 से 104
3	धनबाद	2010-11 से 2011-12	02	1.09	32 से 48
4	पूर्वी सिंहभूम	2003-04 और 2010-11	02	2.78	58 से 79
5	सरायकेला- खरसावाँ	2010-11 और 2014-15	02	0.08	19 से 71
6	पश्चिम सिंहभूम	2008-09 और 2010-11	02	0.66	01 से 50
7	बोकारो	2014-15	01	0.09	01
कुल			26	13.23	

ए.सी. विपत्रों पर धन राशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी विपत्रों को जमा नहीं करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन और गलत तरीके से इस्तेमाल के जोखिम को बढ़ाता है।

अनुशंसा 4: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. विपत्र एक समयबद्ध तरीके से समायोजित हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए.सी. विपत्रों का आहरण सिर्फ बजट को समाप्त करने के लिए न हो।

4.8 व्यक्तिगत बही खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, राशि कोषागार से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वर्ष 2019-20 के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अधीन लघु शीर्ष में लेन-देन से संबंधित वित्त लेखे एवं वाउचर स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) डाटा की समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा 172 व्यक्तिगत बही खाता (पी.एल.ए.) संचालित थे।

पी.एल.ए. में शेष का वर्ष-वार विवरण तालिका 4.10 में दी गयी है।

तालिका 4.10: व्यक्तिगत बही खाता में निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंतिम शेष
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59

तालिका 4.10 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष, 2019-20 को छोड़कर, पी.एल.ए. में पर्याप्त राशि जोड़ी गई, जिससे अंत शेष में तीव्र वृद्धि हुई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संवितरण प्राप्तियों से ₹ 640.65 करोड़ अधिक था। हालांकि, सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे समेकित निधि के बाहर, ₹ 13,706.59 करोड़ की एक वृहत राशि रखी गई थी, जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

इसके अलावा, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 334 में कहा गया है कि प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद से अव्ययित रही राशि को आगे नहीं खर्च किया जाना चाहिए और शेष राशि को संबंधित उसी सेवा शीर्ष को व्यय में कमी के रूप में हस्तांतरित किया जाना चाहिए जहाँ से राशि आहरित किया गया था।

14 प्रशासकों के पी.एल. खातों की नमूना-जाँच में पता चला कि आठ प्रशासकों ने उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया और ₹ 19.13 करोड़ के अव्ययित राशि को तीन साल से अधिक अवधि तक पी.एल. खातों में अवरुद्ध रखा। विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अंतिम शेष	पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से रखी गई राशि
1	जिला परिषद, खूँटी	0.88	0.52
2	जिला परिषद, धनबाद	12.12	2.35
3	जिला परिषद, लोहरदगा	1.13	0.53
4	जिला परिषद, जामताड़ा	2.55	0.85
5	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची	4.39	4.39
6	जिला परिषद, राँची	16.58	8.57
7	जिला परिषद, बोकारो	2.43	1.91
8	जिला परिषद, सरायकेला-खरसावाँ	18.43	0.01
कुल		58.51	19.13

लंबे समय से पी.एल.ए. में पड़ी रही अव्ययित शेष और वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है।

अनुशंसा 5: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में रखी गयी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और नियमावली का अनुसरण करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.9 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता नियम 328 से 330 यह प्रावधान करता है कि व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाता वित्त विभाग की सहमति से और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात कोषागार में खोले जा सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक धन राशि जमा करने के लिए और वित्त विभाग के प्राधिकरण के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए पी.डी. खाते खोले जाते हैं। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद कोषागार अधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पूर्व अनुमति से खाते को बन्द करेगा।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को दिसम्बर 2019 में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. खाते खोलने का निर्देश दिया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण मुआवजा निधि जमा करने के लिए 22 पी.डी. खाते खोले गए। ये सभी खाते कार्यरत हैं और 2019-20 के दौरान इन खातों में ₹ 1,520.74 करोड़ जमा किए गए। इन खातों में कुल जमा राशि में से वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1,155.66 करोड़ शेष रखते हुए वर्ष के दौरान ₹ 365.08 करोड़ संवितरित किए गये।

4.10 लघुशीर्ष 800 का निरंतर उपयोग

अन्य प्राप्तियों अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल तब संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।


वर्ष 2019-20 के दौरान, सात मुख्य शीर्षों में लघुशीर्ष “800- अन्य व्यय” के तहत ₹ 526.35 करोड़ दर्ज किए गए जिसमें से ₹ 494.65 करोड़ (कुल व्यय ₹ 1,207.80 का 40.95 प्रतिशत) के व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक) तीन मुख्य शीर्षों के अधीन दर्ज किए गए। विवरण तालिका 4.12 में दिए गए हैं।

तालिका 4.12: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 के अधीन व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	42.66	62.79	67.94
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	386.99	749.34	51.64
2053	जिला प्रशासन	65.00	395.67	16.43
कुल		494.65	1,207.80	40.95

चार्ट 4.3: 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



इसी प्रकार, 46 मुख्य शीर्ष में लघुशीर्ष “800-अन्य प्राप्तियाँ” के अधीन ₹ 1,401.43 करोड़ दर्ज किया गया था, जिनमें से 27 मुख्य शीर्ष के अधीन ₹ 1,168.30 करोड़ (इन शीर्षों में ₹ 3,032.99 करोड़ के कुल प्राप्तियों का 38.52 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामले में कुल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से अधिक) लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अधीन वर्गीकृत किए गए थे। 14 मुख्य शीर्षों में, राशि 61.50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच बहुदेशीय लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवरण परिशिष्ट 4.2 में दिये गए हैं।

4.11 प्रमुख उंचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष

उंचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब प्रकृति या अन्य कारणों से सूचना की कमी के कारण प्राप्तियों और भुगतान का लेन-देन खातों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अधीन राशि को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत तक अनिष्पादित बचे हुए उंचंत शेष उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिंब पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राज्य की उंचंत शेष की स्थिति तालिका 4.13 में इंगित की गई है।

तालिका 4.13: उंचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उंचंत	46.06	24.77	70.90	45.38	150.67	138.66	307.46	309.99
शुद्ध	डेबिट 21.29		डेबिट 25.52		डेबिट 12.01		क्रेडिट 2.53	
102-उंचंत लेखा (सिविल)	160.19	11.59	196.54	17.27	28.67	23.33	34.22	26.72
शुद्ध	डेबिट 148.60		डेबिट 179.27		डेबिट 5.34		डेबिट 7.50	

तालिका 4.14: प्रेषण शीर्ष-8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण								
102-पी.डब्ल्यू प्रेषण	16,750.50	16,721.19	26,822.84	26,889.20	37,102.27	37,220.48	47,673.38	47,785.72
शुद्ध	डेबिट 29.31		क्रेडिट 66.36		क्रेडिट 118.21		क्रेडिट 112.34	
103-वन प्रेषण	583.85	584.50	974.89	975.36	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93
शुद्ध	क्रेडिट 0.65		क्रेडिट 0.47		क्रेडिट 0.64		क्रेडिट 1.84	

स्रोत : झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा

इन शीर्षों के अधीन शेषों के आशय नीचे दिए गए हैं।

• वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष राशि उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड द्वारा निष्पादित किए गए जिसे वापस किया जाना शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समायोजित करना शेष है। यह देखा गया कि निवल शेष 2017-18 के डेबिट ₹ 25.52 करोड़ से परिवर्तित होकर 2019-20 में क्रेडिट ₹ 2.53 करोड़ हो गया। इस शीर्ष (₹ 2.53 करोड़) के तहत निवल क्रेडिट बैलेंस के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष उस स्तर तक कम हो जाएगा।

• उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को अभिलेखित करने के लिए क्रेडिट और व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा समर्थित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद शेष राशि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उचंत शीर्ष के तहत शुद्ध शेष (नेट बैलेंस) डेबिट ₹ 5.34 करोड़ से डेबिट ₹ 179.27 करोड़ के बीच घटता-बढ़ता रहा।

लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2020 के अंत में ₹ 112.34 करोड़ का क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.12 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदान के भीतर व्यय का प्रभावी नियंत्रण और इनके लेखे की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम करने के लिए राज्य वित्तीय नियम कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके बही-खातों में दर्ज किए गये प्राप्त एवं व्यय को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों में दर्ज आँकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली का नियम 134 बतलाता है कि नियंत्रक अधिकारी को विभागीय लेखे को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बजट नियंत्रक अधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से प्राप्तियों एवं व्यय के इनके मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों के समाशोधन हेतु बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) की आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति करते हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से राज्य के प्राप्तियों एवं व्यय के असमाशोधन के नियमित प्रतिवेदन के पश्चात, कुछ हद तक इसमें परिवर्तन देखा गया और यह पाया कि 2018-19 के 45.35 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य के कुल प्राप्तियों (₹ 68,059.45 करोड़) के 97.33 प्रतिशत (₹ 66,243.77 करोड़) का समाशोधन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से किया गया। इसी प्रकार, कुल व्यय ₹ 70,732.17 करोड़ में से, 2018-19 के 57.40 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा 74.45 प्रतिशत (₹ 52,663.19 करोड़) का समाशोधन किया गया।

चूँकि, राशि का समाशोधन वार्षिक लेखे में प्राप्त और व्यय के आँकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए 100 प्रतिशत समाशोधन का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जाना शेष है।

चार्ट 4.4: तीन वर्षों 2017-20 के दौरान समाशोधन की स्थिति



4.13 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही-खातों में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों {₹ 54.14 करोड़ (क्रेडिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़ों {₹ 12.45 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 41.69 करोड़ (निवल

क्रेडिट) का अंतर था। समाशोधन एवं आवश्यक सुधार हेतु 2019-20 के दौरान ₹ 40.08 करोड़ (निवल क्रेडिट) के अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, राँची से संपर्क किया गया। इसके अलावा, अक्टूबर 1987 से पूर्व अवधि की शेष राशि ₹ 1.61 करोड़ (डेबिट) भी भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में समाशोधन के अधीन है।

4.14 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2002 में सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.15: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी.ए. एस.-1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित सरकार (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.-3 सरकार द्वारा ली गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखलाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में खुलासा प्रदान नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, का पता नहीं लगाया जा सका

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सी.ए.जी. से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों को लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सी.ए.जी. को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखा तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत स्वायत्त निकायों के लेन-देन, परिचालन गतिविधियों और खातों के सत्यापन, लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा करने, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के संबंध में राज्य में आठ प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण **तालिका 4.16** में दिया गया है।

तालिका 4.16: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्रम सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2016-17	2016-17	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त किए गए हैं और लेखापरीक्षा जारी है
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2018-19	2011-12	03.03.2014	वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखे की लेखापरीक्षा जे.एस.ई.आर.सी. से लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब के अभाव में लंबित है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लेखे की लेखापरीक्षा तकनीकी कारणों से संचालित नहीं किया गया है।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2011-12 से 2017-18	2017-18	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2017-18 अवधि के लिए 6 मार्च, 2020 को जारी किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा प्रतीक्षित है।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10			डी.पी.सी. एक्ट, 1971 की धारा 19(3) के तहत एनट्रस्टमेंट की कमी के कारण लेखे की लेखापरीक्षा की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है।
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।
6	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
7	झारखण्ड आवास बोर्ड, राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
8	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया			आज तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।

झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सक्रिय अनुकरण के बावजूद सूचित नहीं की गई है। आगे, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित चार निकायों के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए

संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से बात की गयी, लेकिन शुरुआत से ही इनके लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालाँकि, इन निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमा निगमा कम्पनियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन से छः माह के भीतर अर्थात अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यकता होती है। समय पर लेखा जमा करने में विफलता, कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दण्डात्मक प्रावधान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

31 दिसम्बर 2020 तक लेखा के अंतिम रूप देने में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका 4.17 प्रदान करती है।

तालिका 4.17: कार्यशील और गैर-कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यरत	गैर-कार्यरत	कुल
1	पी.एस.यू की संख्या	28	03	31
2	बकाया खातों वाले पी.एस.यू की संख्या	28	03	31
3	बकाया खातों की संख्या	97	05	102
4(अ)	छः वर्षों से अधिक बकाया वाले पी.एस.यू की संख्या	04	00	04
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू में बकाया खातों की संख्या	33	00	33
5(अ)	तीन से पांच वर्षों के बीच बकाया वाले पी.एस.यू की संख्या	13	01	14
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू में बकाया खातों की संख्या	50	03	53
6(अ)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया वाले पी.एस.यू की संख्या	11	02	13
6(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू बकाया खातों की संख्या	14	02	16
7	बकायों का विस्तार (वर्षों में)	1 से 10	1 से 3	1 से 10

स्रोत: कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संकलित आँकड़े।

उपरोक्त स्थिति, संबंधित प्रशासनिक विभागों और विशेष रूप से वित्त विभाग, द्वारा चूककर्ता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की विफलता को दर्शाती हैं। हालाँकि, वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों के लेखे दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

यह देखा गया है कि 10 कंपनियाँ अपने लेखे जमा करने में लगातार चूक करती रही और कंपनी के प्रावधानों के विरुद्ध 30 सितम्बर 2020 तक उनके तीन से 10 के बीच वार्षिक लेखों का बकाया था।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है कि लंबित लेखे को संकलित किया जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो तो, असं सूचित ना रहे।

4.16 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से काफी हद तक वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

अभी तक, राज्य में 70 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 70 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2020 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि चार² निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने, शुरुआत से, अपने लेखे को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया। 66 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.3 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जनवरी 2021 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

4.17 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 उल्लेखित करता है कि गबन या अन्यथा द्वारा लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना

² (i) झारखंड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) सी.ए.एम.पी.ए. (iv) वन विकास प्राधिकरण

प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई थी।

हालाँकि, पिछले वर्षों में, लेखापरीक्षा अनुरोध के जवाब में वित्त विभाग (एफ.डी.) ने विभागों को सूचना देने का निर्देश दिया था और विभागों ने डी.डी.ओ. को अनुदेश दिया था कि वे लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान करें जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग (एफ.डी.) के पास ऐसे मामलों की निगरानी के लिए नियम 31 के तहत कोई आवश्यक डेटाबेस उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, एफ.डी. किसी भी समय इस तरह के मामलों की संख्या और इसकी स्थिति को बताने में असमर्थ थी।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सम्बंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने का प्रावधान है।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 (पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर चर्चा की थी और ₹ 8,120.63 करोड़ में से ₹ 8,120.12 करोड़ को पी.ए.सी. की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। इसके आगे, 2008-09 से 2017-18 की अवधि के लिए अधूरी योजनाओं, आकस्मिकता निधि से अग्रिम, प्रावधानों से आधिक्य व्यय, निधियों के पर्याप्त प्रत्यर्पण इत्यादि पर राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 130 कंडिका 31 दिसम्बर 2020 तक पी.ए.सी. में चर्चा के लिए बकाया थे। 2019-20 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई चर्चा नहीं हुई।

4.19 निष्कर्ष

मार्च 2020 तक एकत्रित ₹ 550.18 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर 2020) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-20) राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में कमी हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) द्वारा एकत्रित शुल्क को लोक लेखा से बाहर जे.एस.ई.आर.सी. के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी गई थी। इस प्रकार, 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य के लोक लेखा के बाहर ₹ 32.90 करोड़ की प्राप्तियाँ रखी गईं। इसी प्रकार, सितम्बर 2018 से मार्च 2020 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन कोष के रूप एकत्रित ₹ 3.08 करोड़ की राशि भी व्यक्तिगत बही खाता लेखे से बाहर रखे गए थे।

राज्य में 31 मार्च, 2020 तक ₹ 69,702.99 करोड़ राशि के 29,358 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2019-20 तक विभिन्न विभागों के पास बकाया थे।

आकस्मिक विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर विस्तृत विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2020 को, 2019-20 तक आहरित आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में ₹ 6,444.44 करोड़ के विस्तृत विपत्र (18,219) जमा नहीं किए गए।

राँची
दिनांक

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय							
क . सामान्य आँकड़ा							
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा		
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या						
	क.	2011			3.33 करोड़		
	ख.	2020			3.82 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² 2011-12 (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.90 प्रतिशत		
5	साक्षरता ³ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73%)				71.80 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म)				29		
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁵ (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.4 वर्ष)				69.1 वर्ष		
7	मानव विकास सूचकांक ⁶						
	क.	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)			उपलब्ध नहीं		
	ख.	2019 (अखिल भारतीय = 0.645)			उपलब्ध नहीं		
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2019-20 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 3,28,598 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)			झारखण्ड	8.51 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.53 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2019-20) ⁷			झारखण्ड	10.21 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	11.98 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि ⁸ (2011 से 2020)			झारखण्ड	14.81 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.98 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आँकड़ा							
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)			
				सी.ए.जी.आर.			
			2010-11 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	
1	क	राजस्व प्राप्तियों का		13.65	14.67	2.08	4.03
2	ख	कर राजस्व का		12.21	12.58	2.12	13.69
3	ग	गैर कर राजस्व का		11.19	14.46	23.44	5.96
4	घ	कल व्यय का		13.87	14.74	4.09	5.85
5	ङ	पूँजीगत व्यय का		14.64	19.00	(-)3.86	(-)7.78
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		11.58	8.98	11.81	27.69
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		15.43	21.13	9.48	(-)10.63
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का		10.78	10.05	9.51	5.72
9	झ	पेंशन का		14.14	14.13	9.74	0.23

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

³ झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 191,

⁴ झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 222,

⁵ 2011 की जनगणना की एस आर एस आधारित संछिप्त जीवन तालिका 2014-18 की विवरणी 3

⁶ यू.एन.डी.पी.द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2019 पृष्ठ 302 एवं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पृष्ठ 243

⁷ स.रा.घ.उ. एवं प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ., एस.पी.आई. मंत्रालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया

⁸ भारत की जनगणना 2011 (जनसंख्या प्रोजेक्सन 2011-2036, तालिका 14, पृष्ठ 121 से 133)

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ : कंडिका 1.1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।

भाग- II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेसट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

भाग- III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।

भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2019-20 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2020 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियाँ, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2
वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.4.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2018-19			2019-20	2018-19	2019-20				
	भाग - क:				स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल		
	राजस्व								
56,151.70	I. राजस्व प्राप्तियाँ		58,417.14	50,630.73	I. राजस्व व्यय	28,829.69	27,626.94	56,456.63	56,456.63
14,752.07	कर राजस्व		16,771.45	17,655.66	सामान्य सेवाएँ	18,371.59	342.27	18,713.86	
				18,786.03	सामाजिक सेवाएँ	7,243.33	14,204.55	21,447.88	
8,257.98	कर-भिन्न राजस्व		8,749.98	7,844.02	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	5,438.50	4,308.49	9,746.99	
				3,123.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,086.18	1,704.62	2,790.80	
23,906.13	संघीय करों में राज्य के हिस्से		20,593.04	3,299.09	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	315.7	2,869.49	3,185.19	
1,059.89	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	3,154.6	160.05	सूचना एवं प्रसारण	115.52	79.21	194.73	
1,178.78	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान	1,809.01	1,146.45	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	145.74	1,059.66	1,205.40	
6,996.85	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	7,339.06	118.05	श्रम एवं श्रम कल्याण	61.69	63.04	124.73	
				3,063.61	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	48.6	4,120.04	4,168.64	
				31.76	अन्य	31.40	0	31.40	
				14,189.04	आर्थिक सेवाएँ	3,213.55	13,080.12	16,293.67	
				1,789.5	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	495.93	2,509.67	3,005.60	
				7,431.63	ग्रामीण विकास	559.57	7,313.21	7,872.78	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				399.42	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	385.64	0	385.64	
				2,690.22	उर्जा	1,350	1,649.93	2,999.93	
				344.55	उद्योग एवं खनिज	65.2	258.62	323.82	
				386.85	परिवहन	247.31	167.25	414.56	
				0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
				1,146.87	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	109.88	1181.46	1291.34	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.22	0	1.22	
				50,630.73	कुल	28,829.69	27,626.94	56,456.63	

0	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			5,520.97	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				1,960.51
56,151.70	कुल		58,417.14	56,151.70	कुल				58,417.14
Section B									
550.44	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		795.39	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	10,711.7	IV. पूँजीगत परिव्यय	46.52	9,832.19	9,878.71	9,878.71
				791.04	सामान्य सेवाएँ	46.44	1,192.73	1,239.17	
				1,615.45	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1,430.31	1,430.31	
				356.38	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	258.13	258.13	
				273.39	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	347.69	347.69	
				566.82	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0	631.57	631.57	
				12.83	सूचना एवं प्रसारण	0	8.81	8.81	
				394.59	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	165.36	165.36	
				0	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0	0.86	0.86	
				11.44	अन्य	0	17.89	17.89	
				8,305.22	आर्थिक सेवाएँ	0.08	7,209.15	7,209.23	
				390.34	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	153.85	153.85	
				2,460.87	ग्रामीण विकास	0	1,991.11	1,991.11	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				1,476.46	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,328.78	1,328.78	
				0	ऊर्जा	0	0	0.00	
				6.5	उद्योग और खनिज	0	4.00	4.00	
				3,870.54	परिवहन	0	3,686.95	3,686.95	
				100.51	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.08	44.46	44.54	
47.57	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		49.19	1,485.59	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	52.52	112.91	165.43	165.43
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		1413.09	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	89.32	89.32	
47.07	सरकारी सेवकों से	48.77		46.88	सरकारी सेवकों को	52.52	0	52.52	
0.50	अन्य से	0.42		25.62	अन्य को	0.00	23.59	23.59	

5,520.97	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1,960.51	0	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				0
7,803.43	VII. लोक ऋण प्रप्तियाँ		9,593.12	3,060.10	VII. लोक ऋण की वापसी			4,231.40	4,231.40
7,530.52	वाहय ऋण	9,167.14		2,893.42	वाहय ऋण			4,057.86	
0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0		0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			0	
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन			0	
272.91	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	425.98		166.68	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			173.54	
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग			0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				0
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि			0	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय				0
25,409.79	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		33,242.77	23,279.41	X. लोक लेखा संवितरण			27,901.96	27,901.96
1,120.04	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,175.37		1,051.11	छोटे बचत एवं भविष्य निधि			1,169.63	
421.00	रक्षित निधि	4,379.02		41.95	रक्षित निधि			361.09	
38.72	उचंत एवं विविध	259.60		-87.99	उचंत एवं विविध			162.90	
10,647.59	प्रेषण	11,106.53		10,587.99	प्रेषण			11,123.50	
13,182.44	जमा एवं अग्रिम	16,322.25		11,686.35	जमा एवं अग्रिम			15,084.84	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन			0	
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			795.39	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			3,463.48	3,463.48
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0	
				188.30	रिजर्व बैंक में जमा			-54.14	
				39.19	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			47.00	
				400	चिन्हित निधि का निवेश			400.00	
				167.90	रोकड़ शेष का निवेश			3,070.62	
95,483.90	कुल		1,04,058.12	95,483.90	कुल				1,04,058.12

परिशिष्ट 2.1
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1.1 व 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	40,638.00	47,054.00	52,756.00	56,152.00	58,417.00
(i) कर राजस्व	11,478.00	13,299.00	12,353.00	14,752.00	16,771.00
वस्तु एवं सेवा कर	-	-	4,124.00	8,201.00	8,418.00
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,999.00	10,549.00	5,715.00	3,475.00	3,996.00
राजस्व उत्पाद	912.00	962.00	841.00	1,083.00	2,009.00
वाहनों पर कर	633.00	682.00	779.00	864.00	1,129.00
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	532.00	607.00	469.00	451.00	560.00
भू-राजस्व	164.00	240.00	156.00	389.00	338.00
माल एवं यात्रियों पर कर	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कर	237.00	259.00	270.00	289.00	321.00
(ii) कर भिन्न राजस्व	5,853.00	5,351.00	7,847.00	8,258.00	8,750.00
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	15,969.00	19,142.00	21,144.00	23,906.00	20,593.00
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,338.00	9,262.00	11,412.00	9,236.00	12,303.00
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	31.00	39.00	42.00	47.00	49.00
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	40,669.00	47,093.00	52,824.00	56,199.00	58,466.00
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,245.00	7,081.00	8,137.00	7,803.00	9,593.00
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,080.00	6,847.00	7,905.00	7,531.00	9,167.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	165.00	234.00	232.00	273.00	426.00
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	53,914.00	54,174.00	60,960.00	64,002.00	68,059.00
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	29,037.00	22,052.00	25,410.00	33,243.00	33,243.00
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	82,951.00	76,226.00	86,370.00	97,245.00	1,01,302.00
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	36,553.00	45,089.00	50,952.00	50,631.00	56,457.00
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	15,793.00	22,194.00	22,999.00	23,983.00	27,627.00
गैर योजना/स्थापना	20,760.00	22,895.00	27,953.00	26,648.00	28,830.00
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	12,002.00	13,024.00	16,558.00	17,656.00	18,714.00
सामाजिक सेवाएँ	14,844.00	18,557.00	19,575.00	18,786.00	21,448.00
आर्थिक सेवाएँ	9,707.00	13,508.00	14,819.00	14,189.00	16,294.00
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11. पूँजीगत व्यय	8,159.00	10,861.00	11,953.00	10,712.00	9,879.00
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	8,087.00	10,814.00	11,884.00	10,669.00	9,832.00
गैर योजना/स्थापना	72.00	47.00	69.00	42.00	47.00
सामान्य सेवाएँ	571.00	590.00	807.00	791.00	1,239.00

सामाजिक सेवाएँ	1,024.00	1,532.00	1,528.00	1,616.00	1,431.00
आर्थिक सेवाएँ	6,564.00	8,739.00	9,618.00	8,305.00	7,209.00
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	7,480.00	1,335.00	1,852.00	1,485.00	165.00
13. कुल व्यय(10+11+12)	52,192.00	57,285.00	64,756.00	62,828.00	66,501.00
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2,246.00	2,078.00	2,950.00	3,060.00	4,231.00
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,079.00	1,920.00	2,788.00	2,893.00	4,058.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	167.00	158.00	161.00	167.00	173.00
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	54,438.00	59,363.00	67,706.00	65,888.00	70,732.00
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखा संवितरण	27,053.00	16,820.00	23,279.00	27,902.00	27,903.00
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	81,491.00	76,183.00	90,985.00	93,790.00	98,635.00
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	4,085.00	1,965.00	1,804.00	5,521.00	1,960.00
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-11,523.00	-10,192.00	-11,933.00	-6,629.00	-8,035.00
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	-8,203.00	-6,020.00	-7,271.00	-1,777.00	-2,727.00
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	7,436.00	6,176.00	6,534.00	10,420.00	15,352.00
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,320.00	4,172.00	4,662.00	4,852.00	5,308.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	14,891.00	20,332.00	20,714.00	17,976.00	19,191.00
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	0.00	3.00	7.00	58.00	16.00
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.21	6.23	3.95
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,06,613.00	2,36,250.00	2,69,816.00	2,97,204.00	3,28,598.00
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	1,74,881.00	1,93,174.00	2,10,587.00	2,24,986.00	2,40,036.00
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	56,530.00	66,827.00	77,095.00	83,783.00	94,407.00
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157.00	157.00	157.00	607.00	607.00
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157.00	157.00	157.00	450.00	450.00
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	195.00	280.00	113.00	410.00	378.00
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	2,089.00	4,778.00	1,403.00	3,818.00	3,828.00

भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.56	5.63	4.58	4.96	5.10
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.56	6.88	5.87	6.56	6.99
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.83	2.26	2.91	2.78	2.66
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.35	2.77	3.73	3.67	3.65
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.73	8.10	7.84	8.04	6.27
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.20	4.79	5.42	4.10	5.13
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	25.26	24.25	24.00	21.14	20.24
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	29.84	29.65	30.75	27.93	27.70
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	128.40	121.70	122.75	111.89	113.84
राजस्व व्यय/कुल व्यय	70.00	78.70	78.68	80.59	84.90
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	30.50	35.20	32.64	32.47	34.44
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	45.30	41.00	40.46	35.84	35.48
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	15.60	19.00	18.46	17.05	14.86
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.50	17.90	17.21	15.79	12.99
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.98	0.83	0.67	1.86	0.60
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.34	1.02	0.86	2.45	0.82
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.58	-4.31	-4.42	-2.23	-2.45
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-6.59	-5.28	-5.67	-2.95	-3.35
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.97	-2.55	-2.69	-0.60	-0.83
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.69	-3.12	-3.45	-0.79	-1.14
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-35.50	-19.30	-15.12	-83.28	-24.39
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.60	2.61	2.42	3.51	4.67
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.25	3.20	3.10	4.63	6.40
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.36	28.29	28.57	28.19	28.73
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	32.32	34.59	36.61	37.24	39.33
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	139.10	142.00	146.00	149.00	162.00

प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-13,898.03	-2,083.16	-2,438.75	1,196.89	815.38
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	*	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	14,226.00	16,773.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	109.00	111.00	111.00	118.00	118.00
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	43.00	47.00	32.00	23.00	24.00
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	7,388.00	1,236.00	1,764.00	1,462.00	89.00
परिसंपत्तियाँ	57,153.00	67,419.00	77,635.00	84,382.00	95,080.00
दायित्व	62,291.00	74,522.00	86,542.00	99,210.00	1,11,869.00

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.2

31 मार्च 2020 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 को	दायित्व	31.03.2020 को
58436.19	आंतरिक ऋण	63545.46
37110.68	ब्याज वाले बाजार ऋण	42766.70
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
12993.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	13216.75
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
8325.87	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	7556.38
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2339.08	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2591.52
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
15.79	गैर योजना ऋण	14.02
2323.29	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2577.5
500	आकस्मिकता निधि	500
1211.11	लघु बचत भविष्य निधि	1216.86
19866.44	जमा	21104.74
1930.10	रक्षित निधि	5948.02
99.27	अंतरण शेष	82.3
0	उचंत एवं विविध शेष	91.29
14828.18	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	16788.69
99210.37	कुल	111868.88
	परिसम्पत्तियाँ	
77673.30	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	87552.02
331.18	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	328.43
77342.12	अन्य पूँजीगत परिव्यय	87223.59
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
20730.00	ऋण एवं अग्रिम	20846.24
19857.29	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	19946.61
848.49	अन्य विकास ऋण	871.66
24.22	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	27.97
6.28	अग्रिम	7.14
5.41	उचंत एवं विविध शेष	0
795.38	नकद	3463.48
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
188.3	रिजर्व बैंक में जमा	-54.14
400	जमा निधि का निवेश	400
39.18	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	47
167.9	नकद शेष निवेश	3070.62
0.00	प्रेषण शेष	0
0	सरकारी लेखे में घाटा	0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
99210.37	कुल	111868.88

परिशिष्ट 3.1

बजट प्रावधान के बिना खर्च वाले योजनाओं का अनुदान- वार सार

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय	आधिक्य/बचत
1.	1	2401-00-109-01	44.35	44.35
2.		2401-00-796-A1	19.39	19.39
3.	3	2059-80-001-12	0.02	0.02
4.		2059-80-053-02	0.85	0.85
5.	14	6003-00-101-0026	0.03	0.03
6.		6003-00-101-0027	0.01	0.01
7.		6003-00-101-0028	2.47	2.47
8.		6003-00-101-110	51745.00	51745.00
9.		6003-00-101-111	47440.00	47440.00
10.		6003-00-101-112	59989.00	59989.00
11.		6003-00-101-113	25224.00	25224.00
12.	15	2071-01-101-01	26191.42	26191.42
13.	19	2406-01-796-03	0.17	0.17
14.		2406-01-796-05	2.29	2.29
15.	20	2210-06-101-10	0.41	0.41
16.	33	2070-00-796-06	12.74	12.74
17.	40	2029-00-102-19	7.43	7.43
18.		2029-00-102-20	0.01	0.01
19.		2070-00-115-03	8.51	8.51
20.		2070-00-796-03	12.74	12.74
21.	58	2202-02-109-66	207.36	207.36
22.		2202-02-796-15	3.15	3.15
कुल			210911.35	210911.35

परिशिष्ट 3.2

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	2062.07	1311.70
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	268.22	5.44	212.65	61.00
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	54.35	11.83	42.14	24.04
4	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	61.33	340.81	348.16	53.98
5	10-ऊर्जा विभाग	3533.09	923.33	3059.1	1400.32
6	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	35.52	6.54	33.32	8.74
7	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	64.53	15.90	58.77	21.67
8	17-वाणिज्यकर विभाग	80.88	17.22	84.20	13.90
9	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1341.66	199.26	1134.35	406.58
10	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	728.11	272.76	714.44	286.42
11	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3529.22	289.31	2780.61	1037.91
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1305.85	452.60	1447.55	310.90
13	22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4883.73	567.03	5256.74	194.02
14	23-उद्योग विभाग	431.08	11.90	272.47	170.51
15	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	180.68	23.34	192.37	11.65
16	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	254.49	28.80	142.88	140.41
17	27-विधि विभाग	387.67	52.57	360.98	79.26
18	29- खान एवं भूतत्व विभाग	63.77	15.12	57.46	21.43
19	32-विधान सभा	93.48	5.78	91.43	7.83
20	33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	31.55	3.10	29.64	5.00
21	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	336.48	3.45	270.39	69.54
22	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1789.76	50.30	641.46	1198.61
23	37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	22.55	2.63	24.65	0.53
24	38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	26.43	8.82	24.90	10.35
25	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	437.42	689.27
26	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	698.54	73.24	523.63	248.15
27	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	4452.58	2494.51
28	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	307.69	18.08	229.94	95.82
29	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.87	177.31	126.93
30	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2930.18	429.66	2535.15	824.70
31	49- जल संसाधन विभाग	407.54	1.14	318.54	90.14
32	51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	1616.69	120.39	1210.71	526.37

33	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग)	83.46	2.86	70.26	16.05
34	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1945.38	155.71	950.56	1150.52
35	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2482.11	371.87
36	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	1457.62	661.29
37	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7222.34	414.86	6400.54	1236.65
38	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4291.59	634.87	3911.60	1014.87
	कुल	52853.28	8037.92	44500.7	16393.44
राजस्व (भारित)					
39	5-राज्यपाल सचिवालय	11.86	0.66	10.11	2.41
40	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	94.90	21.18	97.54	18.55
41	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	9.67	6.51	14.71	1.46
	कुल	116.43	28.35	122.36	22.42
पूँजीगत (दत्तमत)					
42	3-भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	458.51	618.66
43	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	2.74	2.74	10.00
44	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	347.69	415.61
45	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	808.23	295.09
46	23- उद्योग विभाग	10.33	0.66	4.00	6.99
47	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.88	18.36	123.33
48	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	100.20	2.04	57.63	44.61
49	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	750.00	1.00	538.73	212.27
50	41-पथ निर्माण विभाग	4700.00	50.00	3674.33	1075.67
51	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	416.40	124.10
52	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	38.15	0.50	23.59	15.06
53	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	579.56	0.80	158.85	421.51
54	51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	161.50	2.50	107.73	56.27
55	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग)	48.20	4.0	24.89	27.31
56	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	42.26	12.00	38.67	15.59
57	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	25.57	9.90	0.86	34.60
	कुल	8397.39	800.95	6681.21	3496.67
पूँजीगत (भारित)					
58	14-ऋण की वापसी/अदायगी	3844.37	410.00	4231.40	22.97
	कुल	3844.37	410.00	4231.40	22.97
	कुल योग	65211.47	9277.22	55535.67	19935.49

परिशिष्ट 3.3
अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य(+)
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल		
1	2	2403- पशुपालन 001- निदेशन एवम प्रशासन 04-देख-रेख	146.93	0	0.12	147.05	126.37	20.68
2	3	2052-सचिवालय -सामान्य सेवा 090- सचिवालय 20-भवन निर्माण विभाग	165.31	0	25.50	190.81	178.60	12.21
3	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01- निदेशन	520.42	0	2.55	522.97	392.03	130.94
4	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 02- सथापतय कला	91.94	0	2.00	93.94	85.98	7.96
5	12	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 800- अन्य व्यय 08- विविध और आकस्मिक व्यय	200.00	550.00	5.00	755.00	575.99	179.01
6	13	2049- ब्याज भुगतान 60- अन्य कर्तव्यों पर ब्याज 701- विविध 03- अन्य विविध निर्णयों पर ब्याज	200.00	0	150.00	350.00	309.02	40.98
7	18	3456- जन आपूर्ति 796-टी ए एस पी 23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	1750.00	0	264.50	2014.50	1412.72	601.78
8	19	2406- वन एवं वन्य जीवन 01-वानिकी 005- वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग - 12- निष्पादन सह योजना प्रकोष्ठ	530.56	9.68	3.07	543.31	420.82	122.49
9	22	2056-जेल 101-जेल 01- केन्द्रीय जेल	7262.10	1246.15	500.00	9008.25	8711.3	296.95
10	41	3054- सड़क एवं पुल 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01 निदेशन	1409.19	4.31	10.00	1423.50	1064.17	359.33
11	41	3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 090- सचिवालय 12- सड़क निर्माण विभाग	258.95	20.00	12.73	291.68	260.32	31.36
12	48	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 193- नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति या उसके समकक्ष को सहायता 83- 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पर नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति को सामान्य मूल अनुदान	2994.79	1000.00	367.31	4362.10	4201.76	160.34
13	51	2225- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण 02- अनुसूचित जनजाति का कल्याण 796- टी ए एस पि 59- प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति	4500.00	0	1000.00	5500.00	1430.53	4069.47
14	55	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001- निदेशन एवम प्रशासन 26- मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग , मुख्यालय स्थापना)	185.76	10.00	85.00	280.76	267.41	13.35
		कुल	20215.95	2840.14	2427.78	25483.87	19437.02	6046.85

परिशिष्ट 3.4
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.3.6.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	3373.77	2062.07	1311.70	1311.51
2	9- कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	264.59	0.41	265.00	66.09	198.91	198.88
3	10- ऊर्जा विभाग	3533.09	926.33	4459.42	3059.10	1400.32	1379.8
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1341.66	199.26	1540.92	1134.35	406.57	405.31
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.43	206.95
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.92	1016.13
7	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29
8	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07
9	23- उद्योग विभाग	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51
10	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02
11	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41
12	39- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.28	687.28
13	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	698.54	73.24	771.78	523.63	248.15	240.56
14	41- सड़क निर्माण विभाग	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49
15	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	6947.1	4452.58	2494.52	2494.47
16	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93
17	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग	1616.69	120.39	1737.08	1210.71	526.37	515.52
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	243.09	0.32	243.41	58.79	184.62	184.62
20	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1945.38	155.70	2101.08	950.56	1150.52	1060.72
21	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4291.59	634.87	4926.46	3911.60	1014.86	1007.83
	कुल	51282.81	7507.29	58790.10	42422.81	16367.29	16079.70
पूँजीगत (दत्तमत)							
25	3- भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
26	10- ऊर्जा विभाग	1790.13	0.00	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
27	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
28	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
29	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
30	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
31	41- सड़क निर्माण विभाग	4700.00	50.00	4750	3674.33	1075.67	1075.22
32	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
33	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2195.8	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
	कुल	11947.11	765.80	12712.91	7926.29	4786.62	4787.47
	कुल योग	63229.92	8273.09	71503.01	50349.10	21153.91	20867.17

परिशिष्ट 3.5
मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.3.8)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पण की राशि
राजस्व							
1	1	3230.59	143.18	3373.77	2062.07	1311.70	1311.51
2	2	268.22	5.44	273.66	212.65	61.01	60.11
3	3	119.59	0.11	119.70	91.04	28.66	28.55
4	4	54.35	11.83	66.18	42.14	24.04	31.52
5	6	61.33	340.81	402.14	348.16	53.98	53.73
6	9	264.59	0.41	265.00	66.09	198.91	198.88
7	10	3533.09	926.33	4459.42	3059.10	1400.32	1379.80
8	12	64.53	15.90	80.43	58.77	21.66	21.66
9	17	80.88	17.22	98.11	84.2	13.90	13.90
10	18	1341.66	199.26	1540.93	1134.35	406.58	405.31
11	19	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.42	206.95
12	20	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.91	1016.13
13	21	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29
14	22	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07
15	23	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51
16	24	180.67	23.34	204.01	192.37	11.64	12.18
17	26	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02
18	27	387.67	52.57	440.24	360.98	79.26	69.27
19	29	63.77	15.12	78.89	57.46	21.43	21.43
20	35	336.48	3.45	339.93	270.39	69.54	67.63
21	36	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41
22	38	26.43	8.82	35.25	24.90	10.35	10.35
23	39	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.27	687.28
24	40	698.54	73.25	771.79	523.63	248.15	240.56
25	41	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49
26	42	5586.94	1360.16	6947.10	4452.58	2494.52	2494.47
27	43	307.69	18.08	325.77	229.94	95.83	95.83
28	45	192.19	0.08	192.27	146.53	45.74	45.74
29	46	91.55	0.17	91.72	72.82	18.90	18.9
30	47	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93
31	48	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99
32	49	407.54	1.14	408.68	318.54	90.14	90.13
33	50	111.83	0.08	111.91	75.33	36.58	36.58
34	51	1616.69	120.39	1737.08	1210.71	526.37	515.52
35	52	83.45	2.86	86.31	70.26	16.05	16.03
36	53	73.10	0	73.10	58.68	14.42	14.41
37	54	243.09	0.32	243.41	58.79	184.62	184.62
38	55	1945.38	155.70	2101.08	950.56	1150.52	1060.72
39	56	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

40	58	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10
41	59	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
42	60	4291.59	634.87	4926.46	3911.6	1014.86	1007.83
	कुल	54194.08	8024.32	62218.42	45137.97	17080.40	16787.65
पूँजीगत							
42	1	114.60	0	114.6	61.76	52.84	52.84
43	3	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
44	8	35.01	0.15	35.16	3.41	31.75	31.75
45	9	83.50	0	83.50	47.98	35.52	35.52
46	10	1790.13	0	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
47	11	10.00	2.74	12.74	2.74	10.00	10.00
48	12	78.24	0.01	78.25	54.52	23.73	23.72
49	20	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
50	22	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
51	26	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
52	30	100.20	2.04	102.24	57.63	44.61	44.61
54	36	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
55	41	4700.00	50.00	4750.00	3674.33	1075.67	1075.22
56	42	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
57	43	260.00	0	260.00	226.20	33.80	33.80
58	45	20.01	0	20.01	7.04	12.97	12.97
59	46	92.50	0	92.50	44.46	48.04	48.04
60	47	22.01	0	22.01	9.20	12.81	12.81
61	48	38.15	0.50	38.65	23.59	15.06	15.06
62	49	1940.04	0	1940.04	1169.93	770.11	767.07
63	50	579.56	0.80	580.36	158.85	421.51	421.55
64	51	161.50	2.50	164.00	107.73	56.27	56.27
65	52	48.20	4.00	52.20	24.89	27.31	27.31
66	53	42.26	12.00	54.26	38.67	15.59	14.03
67	55	2195.80	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
68	58	56.00	0	56.00	0	56.00	56.00
69	60	25.57	9.89	35.46	0.86	34.60	24.71
	कुल	15654.46	800.43	16454.89	9965.75	6489.14	6475.53
	कुल योग	69848.54	8824.75	78673.31	55103.72	23569.54	23263.18

परिशिष्ट 3.6
2019-20 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण
(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-109-01 (CS)	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44
3	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-99	कृषि कर्म	2.19	0.01	2.17	2.18	0.00
4	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-99	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
5	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-A1	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19
6	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-AG	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
7	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	लोक निर्माण कार्य	52.85	14.68	38.17	38.17	0.00
8	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-12	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.13	0.07	0.06	0.07	0.01
11	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	45.00	44.11	0.89	0.99	0.10
12	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	30.00	19.56	10.44	10.49	0.05
13	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	67.50	57.61	9.89	10.01	0.12
14	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-01	मंत्री परिषद्	2.00	1.69	0.31	0.49	0.19
15	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2070-00-115-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.71	10.71	0.00	7.30	7.30

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
16	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-02	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल / संघशासित प्रदेश के प्रशासक	0.73	0.37	0.37	0.37	0.00
17	7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-04	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	29.54	0.23	29.31	29.32	0.00
18	10- ऊर्जा विभाग	2070-00-800-08	लोक निर्माण कार्य	42.37	4.50	37.86	37.99	0.12
19	12-योजना-सह-वित्त-विभाग (वित्त प्रभाग)	2058-00-105-01	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	7.50	1.74	5.76	5.76	0.00
20	13- ब्याज भुगतान	2049-01-101-01	ब्याज भुगतान	2795.00	0.00	2795.00	2807.56	12.56
21	13- ब्याज भुगतान	2049-01-200-15	ब्याज भुगतान	473.00	0.00	473.00	709.05	236.05
22	13- ब्याज भुगतान	2049-03-104-01	ब्याज भुगतान	225.00	0.00	225.00	235.24	10.24
23	13- ब्याज भुगतान	2049-04-101-03	ब्याज भुगतान	32.57	0.00	32.57	73.39	40.82
24	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-26	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-27	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-28	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
27	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-110	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	517.45	517.45
28	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-111	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	474.40	474.40
29	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-112	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	599.89	599.89
30	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-113	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	252.24	252.24
31	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6004-02-105-01	केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	104.96	0.00	104.96	108.41	3.45
32	15-पेंशन	2071-01-101-01	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	261.91	261.91
33	15-पेंशन	2071-01-101-06	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	3351.59	0.00	3351.59	3538.44	186.85
34	15-पेंशन	2071-01-101-10	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	10.00	0.00	10.00	13.42	3.42
35	15-पेंशन	2071-01-102-04	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	300.00	0.00	300.00	306.09	6.09

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
36	15-पेंशन	2071-01-104-03	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	35.00	0.00	35.00	35.25	0.25
37	15-पेंशन	2071-01-105-03	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
38	15-पेंशन	2071-01-105-05	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	150.00	0.00	150.00	237.77	87.77
39	15-पेंशन	2071-01-105-06	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49
40	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-05	वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
42	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-39	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2.78	0.66	2.12	2.14	0.02
43	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-01	वानिकी तथा वन्य प्राणी	19.84	4.36	15.48	15.48	0.00
44	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-02-110-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2.70	1.33	1.37	1.42	0.05
45	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-02-110-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1.80	0.88	0.92	0.94	0.02
46	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-69	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	45.00	0.46	44.54	44.60	0.06
47	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-796-68	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	10.00	1.47	8.53	8.58	0.05
48	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	125.48	31.70	93.77	93.77	0.00
49	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-10	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-102-01	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2.98	1.11	1.87	1.89	0.02
51	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-06	पुलिस	141.82	4.08	137.73	137.95	0.22
52	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-AA	पुलिस	0.05	0.00	0.05	0.06	0.01
53	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-04	पुलिस	218.17	26.52	191.65	191.67	0.02
54	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-05	पुलिस	321.92	8.47	313.45	313.46	0.01

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
55	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	पुलिस	2663.85	26.82	2637.03	2637.72	0.69
56	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-111-AJ	पुलिस	0.32	0.00	0.32	0.39	0.07
57	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2070-00-107-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.50	0.25	1.25	1.38	0.12
58	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-01-001-01	सूचना एवं प्रचार	10.61	1.28	9.33	9.86	0.53
59	26- श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-06	अन्य समाजिक सेवाओं पर पुंजीगत व्यय	9.50	9.35	0.14	0.26	0.11
60	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-01	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	4.91	0.24	4.68	4.69	0.02
61	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	39.01	1.66	37.35	37.47	0.12
62	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-14	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	14.00	12.87	1.13	1.14	0.01
63	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	211.90	23.63	188.27	188.30	0.02
64	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-102-19	सर्वेक्षण एवं निपटान संचालन	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
65	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	4.25	0.89	3.36	3.36	0.00
66	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
67	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-796-03	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
68	41- सड़क निर्माण विभाग	2075-00-791-01	विनिमय द्वारा हानि	4.50	4.50	0.00	2.02	2.02
69	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-796-01	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1744.00	92.90	1651.10	1651.45	0.35
70	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-799-01	उंचत	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72
71	49- जल संसाधन विभाग	3451-80-789-13	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	127.00	35.78	91.22	91.57	0.36
72	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	300.00	150.97	149.03	154.60	5.57
73	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	120.00	71.48	48.52	48.73	0.21
74	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	140.00	74.21	65.79	65.88	0.09
75	49- जल संसाधन विभाग	4701-03-799-01	उंचत	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
76	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-052-70	उपकरण एवं औजार	6.50	5.50	1.00	1.01	0.01
77	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-796-74	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	33.20	27.10	6.10	6.11	0.01
78	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-18	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13.25	8.74	4.51	5.01	0.51
79	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-37	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.00	1.67	0.33	0.35	0.02
80	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	2225-03-277-06	शिक्षा	3.00	1.93	1.07	2.63	1.56
81	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	निर्देशन एवं प्रशासन	125.00	72.76	52.24	52.49	0.25
82	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-103-04	ग्रामीण विकास	630.00	232.24	397.76	411.87	14.11
83	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-103-10	ग्रामीण विकास	252.00	60.90	191.10	194.84	3.74
84	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-796-10	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	288.00	56.86	231.14	240.68	9.54
85	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-66	सरकारी सेकेंडरी स्कूल	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07
86	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-796-15	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

परिशिष्ट 3.7

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.2)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
कुल			3,015.37

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 3.8

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.4.3)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-104- बी.डी.लघु सिंचाई योजना (एस.एस.)	15.00	0	शून्य
2		2401-00-105-ए.वी. - मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता प्रबंधन राष्ट्रीय योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.26	0	शून्य
3		2401-00-105-B7 - मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (सी.ए.एस.एस.)	3.00	0	शून्य
4		2401-00-109-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (सी.ए.एस.एस.)	7.50	0	शून्य
5		2401-00-115-बी9- संकट एवं कृषि सहायता किसानों के लिए आकस्मिक निधि (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
6		2401-00-195- बी3- ब्याज माफी (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
7		2401-00-789-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (CASS)	2.50	0	शून्य
8		2401-00-789- बी3-ब्याज माफी (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
9		2401-00-789- बी7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना	1.00	0	शून्य
10		2401-00-789 - बी डी-सूक्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
11		2401-00-796-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (सी.ए.एस.एस.)	15.00	0	शून्य
12		2401-00-796-ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)	2.88	0	शून्य
13		2401-00-796- ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)	1.92	0	शून्य
14		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
15		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.एस.)	1.20	0	शून्य
16		2401-00-796- ए वि-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.सी.)	2.52	0	शून्य
17		2401-00-796- ए वि - नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.एस.)	1.68	0	शून्य
18		2401-00-789-बी7 मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना, (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
19		2401-00-796-बी9 असहाय कृषकों तथा कृषि तथा कृषि हेल्पलाइन के लिए आकस्मिकता कोष (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
20		2401-00-796-बी.डी सूक्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	30.00	0	शून्य
21		4401-00-796-12-आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (एस.एस.)	2.40	0	शून्य
22		2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन)	2403-00-106-ए2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	4.00	0

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
23	प्रभाग)	2403-00-789-A2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
24		2403-00-796-84- इन्टरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
25		2403-00-796-ए. 2 कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
26		4403-00-101-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (एस.एस.)	1.40	0	शून्य
27		4403-00-796-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
28	8-परिवहन विभाग (नागरिक उड्डयन	5053-02-102-09- देवघर विमानपत्तन का विकास एवं विस्तारीकरण (एस.एस.)	25.00	0	शून्य
29	प्रभाग)	5053-02-796-01 बिरसा मुंडा विमानपत्तन के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण	1.00	0	शून्य
30		5053-02-796-03 राँची विमानपत्तन पर राज्य हवाई बेस के लिए निधि आवंटन (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
31	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता	2425-00-107-27 फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	42.00	0	शून्य
32	प्रभाग)	2425-00-107-62-एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	9.00	0	शून्य
33		2425-00-108-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
34		2425-00-789-27- फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	28.00	0	शून्य
35		2425-00-789-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
36		2425-00-789-62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
37		2425-00-789-63- सुचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
38		2425-00-796-27- फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	70.00	0	शून्य
39		2425-00-796-60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
40		2425-00-796-62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	15.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
41	10-उर्जा विभाग	2801-01-052-10-ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	294.50	0	शून्य
42		2801-01-789-10- ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	57.00	0	शून्य
43		2801-01-796-10- ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	123.50	0	शून्य
44		2801-05-052-05 -एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II (एस.एस.)	62.00	0	शून्य
45		2801-05-789-05- एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II -II (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
46		2801-05-796-05 एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II -II (एस.एस.)	26.00	0	शून्य
47		2801-06-052-01- तिलका मांझी कृषि पम्प	1.00	0	शून्य
48		2801-80-101-02- झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (स्था. व्यय.) के लिए अनुदान	4.58	0	शून्य
49		2801-80-796-10-जे.एस.ई.आर.सी के नए भवन के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
50		2801-80-796-18-उदय योजना के अधीन जे.बी.वी.एन.एल को अनुदान (एस.एस.)	100.00	0	शून्य
51		6801-00-201-24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
52		6801-00-201-36- वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अति विशाल उर्जा परियोजना के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	170.50	0	शून्य
53		6801-00-202-01- कोयला खदानों एवं उर्जा प्लांट (संयंत्र) नई योजना (एस.एस.)	15.00	0	शून्य
54		6801-00-205-23-आर-ए. पी.डी.आर.पी. भाग- बी (एस.एस.)	124.00	0	शून्य
55		6801-00-205-34-एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) (एस.एस.)	120.52	0	शून्य
56		6801-00-205-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (एस.एस.)	62.00	0	शून्य
57		6801-00-789-23 आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी (एस.एस.)	24.00	0	शून्य
58		6801-00-789-34-समेकित विकाश उर्जा योजना (आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	23.33	0	शून्य
59		6801-00-789-36- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	33.00	0	शून्य
60		6801-00-789-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
61		6801-00-796-23- आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी (एस.एस.)	52.00	0	शून्य
62		6801-00-796-34- समेकित विकाश उर्जा योजना (आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	50.54	0	शून्य
63		6801-00-796-36- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	71.50	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
64		6801-00-796-39- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	26.00	0	शून्य
65	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (एस.एस.)	10.00	0	शून्य
66	12- योजना सह वित्त विभाग	2075-00-791-02-राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रुपये का समायोजन	2.00	0	शून्य
67	(वित्त प्रभाग)	7610-00-202-03-मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्था.व्यय.)	1.00	0	शून्य
68		7610-00-202-04-विधान मंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम	3.00	0	शून्य
69	14- कर्ज की अदायगी	2048-00-101-01-निक्षेप निधि में योगदान (स्था.व्यय.)	280.16	0	शून्य
70	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-03-अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.एस.)	2.05	0	शून्य
71		3456-00-102-35-कौशल विकास योजना (नई योजना) (एस.एस.)	1.85	0	शून्य
72		3456-00-102-43-मूल्य स्थिरीकरण कोष	1.85	0	शून्य
73		3456-00-102-44-जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (एस.एस.)	7.40	0	शून्य
74		3456-00-102-60-उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार/सेमिनार आदि (एस.एस.)	1.85	0	शून्य
75		3456-00-102-61-चना वितरण योजना	55.50	0	शून्य
76		3456-00-102-63-उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (एस.एस.)	7.01	0	शून्य
77		3456-00-789-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली डिजिटल मशीन का वितरण (एस.एस.)	2.60	0	शून्य
78		3456-00-789-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	19.50	0	शून्य
79		3456-00-789-63- उचित मूल्य दुकान संचालन उचित मूल्य दुकान संचालन (एस.एस.)	2.41	0	शून्य
80		3456-00-796-03- अन्नपूर्णा योजना (एस.एस.)	2.45	0	शून्य
81		3456-00-796-43-दर नियंत्रण निधि (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
82		3456-00-796-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली डिजिटल मशीन का वितरण	10.00	0	शून्य
83		3456-00-796-60-उभोक्ता संरक्षण एवं प्रचार/प्रसार/संगोष्ठी इत्यादि, (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
84		3456-00-796-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	75.00	0	शून्य
85		3456-00-796-62-पी. डी. एस. डीलर बीमा योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
86		3456-00-796-63 उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (एस.एस.)	8.77	0	शून्य
87		4408-02-789-01- गोदाम निर्माण/नवीकरण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
88	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-101-46- ईको- टूरिज्म (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
89		2406-01-101-56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यन्वयन इकाई (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
90		2406-01-101-57-वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र ऐजेंसी से मूल्यांकन (एस.एस.)	1.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
91		2406-04-103-02- प्रतिपुरक वनरोपण (एस.एस.)	36.39	0	शून्य
92		2406-04-103-03-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
93		2406-04-103-07 अन्य (एस.एस.)	4.67	0	शून्य
94	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं	2210-01-001-20-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (एस.एस.)	20.00	0	शून्य
95	परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-75- सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से टेलिमेडिसीन द्वारा होमियोपैथिक ईलाज	6.00	0	शून्य
96		2210-01-103-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	99.15	0	शून्य
97		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल) (सी.ए.एस.एस.)	12.00	0	शून्य
98		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल)	8.00	0	शून्य
99		2210-01-110-55-निजी चिकित्सा महाविधालय स्थापना हेतु प्रोत्साहन (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
100		2210-01-110-62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (सी.ए.एस.सी.)	1.20	0	शून्य
101		2210-01-789-77-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एस.एस.)	34.44	44.44	शून्य
102		2210-01-789-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	19.19	0	शून्य
103		2210-01-796-55- निजी स्वास्थ्य महाविधालय की स्थापना हेतु प्रोत्साहन (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
104		2210-01-796-75- सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा टेली मेडिसीन से होम्योपैथी ईलाज (सी.ए.एस.सी.)	6.00	0	शून्य
105		2210-01-796-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	41.58	0	शून्य
106		2210-03-101-03- आदिम जनजातियों के स्वास्थ्य हेतु विशेष पैकेज (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
107		2210-05-101-17- राष्ट्रीय आयुश मिशन (चाय वासा आर्युवेदिक मेडिकल कॉलेज) (सी.ए.एस.एस.)	4.75	0	शून्य
108		2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी. कोर्स)	3.11	0	शून्य
109		2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी. कोर्स)	6.12	0	शून्य
110		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल (सी.ए.एस.सी.)	16.82		शून्य
111		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल (सी.ए.एस.एस.)	77.14	0	शून्य
112		2210-05-105-22- जी.एन.एम. स्कूल से बी. एस. सी नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन (सी.एस.एस.)	4.18	0	शून्य
113		2210-06-101-21-नेत्र विज्ञान संस्थान रिम्स को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	2.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
114		2210-06-112-19-तीन वर्ष बी.एस. सी सामुदायिक स्वास्थ्य पाठक्रम (एस.एस.)	10.00	0	शून्य
115	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	2202-03-102-बी1-मुख्यमंत्री फेलोसीप योजना (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
116	विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-बी1- मुख्यमंत्री फेलोसीप योजना (एस.एस.)	3.70	0	शून्य
117	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	2056-00-101-04-ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
118	विभाग (गृह प्रभाग)	2056-00-796-04- ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
119		4055-00-796-45-पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.सी.)	3.68	12.32	शून्य
120		4055-00-796-45- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.एस.)	2.45	0	शून्य
121		4070-00-796-77-झारखण्ड अग्निशमन न सेवा के आधुनिकीकरण के लिए फार्म टैंडर उपकरण एवं फायर इंजन की खरीदी (एस.एस.)	6.85	0	शून्य
122		4070-00-796-84-होम गार्ड के सुदृढीकरण हेतु योजना (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
123		4070-00-800-65- अग्नी सेवाओं सुदृढीकरण (एस.एस.)	1.47	0	शून्य
124	23-उद्योग विभाग	2851-00-796-18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता समितियों का सुदृढीकरण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
125		2851-00-796-43- हैन्डीक्राफ्ट विकास एवं हैंडलुम विकास हेतु स्थापना	4.00	0	शून्य
126		2851-00-796-55- खादी पार्क की स्थापना (एस.एस.)	1.20	0	शून्य
127		2852-80-102-10-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण (एस.एस.)	20.00	0	शून्य
128		2852-80-102-19 भूमि अधिग्रहण हेतु अनुदान	2.00	0	शून्य
129		2852-80-102-74-झारखण्ड औद्योगिक निती 2012 के तहत औद्योगिक ईकायों को नविल वैट सबसिडी (एस.एस.) औद्योगिक	1.00	0	शून्य
130		2852-80-102-78-झारखण्ड खाद्य प्रसंसकरण औद्योगिक निती 2015	2.00	0	शून्य
131		2852-80-102-81 झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश उन्नयन नीति 2016 के तहत औद्योगिक ईकायों को अनुदान (एस.एस.)	35.00	0	शून्य
132		2852-80-102-86- शुरुआती अविश्रव पूंजीगत निधि (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
133		2852-80-796-10 । औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण (एस.एस.)	40.00	0	शून्य
134		2852-80-796-76 सेन्ट्रल टुल रूम सुविधा हेतु अनुदान (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
135		4851-00-796-02- नीफ्ट केन्द्र की स्थापना (एस.एस.)	4.00	0	शून्य
136	26- श्रम, रोजगार, एवं कौशल विकास	4059-01-001-55-श्रम कार्यालय में भवन निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
137	विभाग	4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
138		4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	4.00	0	शून्य
139		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	10.00	0	शून्य
140		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	8.00	0	शून्य
141	29- खनन एवं भूतत्व विभाग	4853-02-004-03- भू-तात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
142	30- कल्याण	4225-80-277-20-बहुक्षेत्र विकास योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
143	विभाग	4225-80-796-20- बहुक्षेत्र विकास योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
144	(अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4225-80-796-21- बहुक्षेत्र विकास योजना (सी.एस.एस.)	10.00	0	शून्य
145	41- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5054-03-052-06-मशीन एवं उपकरण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
146	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	5055-00-190-02-परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवन का विवरण (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
147	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-789-65-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
148		4701-80-796-14-झारखण्ड सिंचाई भवन का निर्माण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
149		4701-80-796-39-वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण (एस.एस.)	1.10	0	शून्य
150		4701-80-800--65- छोटेनागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (एस.एस.)	16.65	0	शून्य
151		4701-80-800-66- जीर्ण वाहनों को पुनस्थापित एवं नई वाहनों का क्रय (एस.एस.)	4.00	0	शून्य
152	50 -जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) जल संसाधन विभाग	4702-00-101-24-नई योजना का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एव जल संरक्षण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
153	(लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796--24- नई योजना का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एव जल संरक्षण (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
154		4702-00-796-31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मुल्यांकन (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
155	51- अनुसूचित जनजाति,	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य
156	अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य
157	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-01-789-19-आवासीय विधालयों जीर्णोद्धार एवं निर्माण (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
158	(अनुसूचित जनजाति,	4225-02-277-05- आवासीय विधालयों जीर्णोद्धार एवं निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
159	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग	4225-02-277-43-पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	2.00	0	शून्य
160		4225-02-796-43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	13.00	0	शून्य
161	कल्याण प्रभाग)	4225-03-796-02-बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
162		4225-03-796-02- बालक/ बालिका छात्रावास बृहत कार्य (CASS)	2.00	0	शून्य
163	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	4202-03-102-09-खेल छात्रावास का निर्माण रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (एस.एस.)	1.25	0	शून्य
164	(कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले प्रभाग)	4202-03-796--09- खेल छात्रावास का निर्माण रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (एस.एस.)	2.75	0	शून्य
165		4202-04-101-13-रवीन्द्र भवन ऑडिटोरियम का निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
166		4202-04-101-13- रवीन्द्र भवन ऑडिटोरियम का निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
167	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-796-71 मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
168	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	4404-00-102-78- कैटल हॉस्टल (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
169	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	4202-02-202-78-नेतरहाट आवासीय विधालय और इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढाचे पर) तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	16.00	0	शून्य
170		4202-02-202-78- नेतरहाट आवासीय विधालय और इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढाचे पर) तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	40.00	0	शून्य
171	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग परिशिष्ट	4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.58	0	शून्य
172		4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.06	0	शून्य
173		4235-02-106-74-विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
174		4235-02-796-73-आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन (पूँजी) (सी.ए.एस.सी.)	3.26	0	शून्य
175		4235-02-103-73- आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन (पूँजी) (सी.ए.एस.सी.)	2.18	0	शून्य
176		4235-02-796-77-कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	2.38	0	शून्य
177		4235-02-796-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.58	0	शून्य
178		4235-02-796-78-नि: शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सी.एस.एस.)	12.97	0	शून्य
		कुल	3118.08	56.76	

परिशिष्ट 3.9
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.5)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	4थी तिमाही का योग	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च में व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2435	0.20	1.30	2.68	4.17	70.59	5.91	45.27
1	2402	1.60	13.85	8.79	24.25	68.80	35.25	24.94
1	4402	0.45	13.96	16.63	31.03	50.31	61.68	26.96
9	4425		9.27	23.46	32.73	68.22	47.98	48.90
10	2810		155.00		155.00	100.00	155.00	0
19	2406	38.62	67.04	288.95	394.61	70.23	561.85	51.43
26	4250	0.00	2.68	12.25	14.93	83.50	17.88	68.51
36	2215	57.65	129.12	164.03	350.81	53.52	655.47	25.03
42	2501	162.63	150.22	63.51	376.36	61.93	607.69	10.45
43	2203	11.19	71.32	140.78	223.30	60.07	371.73	37.87
46	5452		0.57	43.73	44.31	99.66	44.46	98.37
47	3075		167.00		167.00	100.00	167.00	0
52	2204	3.25	6.93	18.21	28.39	53.17	53.40	34.11
53	4405	1.22	10.44	13.97	25.63	66.29	38.67	36.14
53	2405	4.86	7.04	20.17	32.07	54.65	58.69	34.36
54	2404	14.08	12.80	16.21	43.10	73.31	58.79	27.57
				833.39	1,947.69	66.22	2,941.45	28.33

परिशिष्ट 3.10

विभाग को बजट प्रेषित करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.6.4)

क्र. सं.	जिला	देर से बजट प्रेषित करने वाले उप-विकास आयुक्त	देर से बजट प्रेषित करने वाले जिला पंचायती राज अधिकारी	प्रखंड विकास पदाधिकारी				प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिन्होंने समय पर बजट भेजा
				जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	देर से बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की देरी (दिनों में)	जिला पंचायती राज अधिकारी को बजट नहीं प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	
1	राँची	प्रेषित नहीं	28 दिन	18	11	5 to 32 दिन	7	0
2	गुमला	प्रेषित नहीं	33 दिन	12	1	30 दिन	11	0
3	हजारीबाग	प्रेषित नहीं	28 दिन	16	1	36 दिन	15	0
4	बोकारो	प्रेषित नहीं	26 दिन	9	8	1 to 5 दिन	0	1
5	धनबाद	प्रेषित नहीं	25 दिन	10	9	12 to 34 दिन	1	0
6	पूर्वी सिंहभूम	प्रेषित नहीं	63 दिन	11	10	9 to 37 दिन	1	0
7	सराईकेला खरसावाँ	प्रेषित नहीं	47 दिन	09	07	23 to 46 दिन	2	0
8	पश्चिमी सिंहभूम	04 दिन	04 दिन	18	10	01 to 04 दिन	5	3
	कुल			103	57		42	4

परिशिष्ट 3.11
बजट प्रावधान एवं इसकी उपयोगिता की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 3.6.5)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	शीर्ष	बजट प्रावधान /आबंटन	व्यय (प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)	अव्ययित शेष
			1	2	(1-2)
1	राँची	14 ^{वें} वित्त आयोग	150.72	89.1	61.62
		आदिवासी विकास समिति	8.50	1.01	7.49
2	गुमला	14 ^{वें} वित्त आयोग	88.99	48.2	40.79
		आदिवासी विकास समिति	1.27	0.46	0.81
3	हज़ारीबाग	14 ^{वें} वित्त आयोग	127.66	62.81	64.85
		आदिवासी विकास समिति	6.70	0	6.7
4	बोकारो	14 ^{वें} वित्त आयोग	118.97	74.01	44.08
5	धनबाद	आदिवासी विकास समिति	3.31	2.41	0.9
6	पूर्वी सिंहभूम	14 ^{वें} वित्त आयोग	113.28	78	35.28
		आदिवासी विकास समिति	4.17	0.3	3.87
7	सराईकेला खरसावाँ	14 ^{वें} वित्त आयोग	70.06	60.41	9.65
		आदिवासी विकास समिति	6.62	0.33	6.29
8	पश्चिमी सिंहभूम	14 ^{वें} वित्त आयोग	121.61	79.15	42.42
		आदिवासी विकास समिति	4.80	0	4.80
कुल			826.66	496.19	329.55

परिशिष्ट 3.12
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता का ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.6.7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	केन्द्रीय/राज्य	प्रावधान (राशि)
1.	2515-00-001-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	30.00
2.	2515-00-001-52	52- पेयजल आपूर्ति की स्थापना, स्वच्छता , जिला परिषद् में शौचालय एवं सड़क प्रकाश प्रबंध (एल.ई.डी) तथा अन्य सूत्रों से आमदनी में बढत	राज्य	1.00
3.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	720.00
4.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	480.00
5.	2515-00-003-03	03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (अ) पंचायत - दलपतियों का प्रशिक्षण	राज्य	1.00
6.	2515-00-101-06	06- पंचायत भवन का रख रखाव	राज्य	500.00
7.	2515-00-196-05	05- जिला बोर्ड के गैर शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों हेतु सहायता	राज्य	26.66
8.	2515-00-198-45	45- 14वे वित्त आयोग की अनुशंषा पर सामान्य निष्पादन अनुदान	केन्द्रीय	19953.00
9.	2515-00-789-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	20.00
10.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	480.00
11.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	320.00
12.	2515-00-796-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	50.00
13.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	1200.00
14.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	800.00
15.	3604-00-198-01	01- झारखण्ड ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के नियत कार्य (6/4% कर)	राज्य	10.00
16.	6515-00-197-01	01- जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को ऋण	राज्य	600.00
कुल				25191.66

परिशिष्ट 3.13
व्यय के वेग को दर्शाती विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1.	20150010904	पंचायती चुनाव	10.00	10.00	100
2.	25150000158	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	139.82	139.82	100
3.	25150078958	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	54.00	54.00	100
4.	25150079658	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	193.06	193.06	100
5.	25150000106	जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबन्धित व्यय	39.83	28.37	71.23
6.	25150078959	कार्यालयों / संस्थाओं का सुदृढीकरण / कार्यालयों/संस्थानों का उन्नयन	48.65	29.96	61.58
7.	25150079657	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपत्तियों का निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण	260.78	95.00	36.43
8.	25150010104	पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान/ दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान	1251.63	423.57	33.84
9.	25150078957	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपत्तियों का निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण	44.46	12.49	28.09
10.	25150079659	कार्यालयों / संस्थाओं का सुदृढीकरण / उन्नयन	92.23	25.47	27.62

परिशिष्ट 3.14
वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन में अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.6.11)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	अभ्यर्पित राशि/ शेष राशि	अभ्यर्पण तिथि	टिपण्णी
1	रांची	जिला पंचायती राज अधिकारी	12.67	31.03.2020	
		डी डी सी - सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	513.09	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	11.53	31.03.2020	
2	गुमला	जिला पंचायती राज अधिकारी	266.85	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	15.61	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	10.51	30.03.2020	
3	हजारीबाग	जिला पंचायती राज अधिकारी	833.91	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	25.94	31.03.2020	
4	बोकारो	जिला पंचायती राज अधिकारी	79.56	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	19.61	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	0.34	31.03.2020	
5	धनबाद	जिला पंचायती राज अधिकारी	37.24	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	2.21	31.03.2020	
6	पूर्वी सिन्धभूम	जिला पंचायती राज अधिकारी	1.56		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	2.16	31.03.2020	
7	सराइकेला खरसावाँ	जिला पंचायती राज अधिकारी	32.70	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	10.55	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	1.11	31.03.2020	
8	पश्चिमी सिन्धभूम	जिला पंचायती राज अधिकारी	34.61		
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	15.37		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
कुल			1927.13		

परिशिष्ट 3.15
आदिवासी विकास समिति की संख्या तथा निधि अंतरण को दर्शाती विवरणी
 (संदर्भ: कंडिका 3.6.13)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	ब्लाक की संख्या	पंचायत की संख्या	गाँव की संख्या	गठित ए वी एस की संख्या	ए वी एस को निधि	अ. अ.	योजना की संख्या	योजना शुरू किया गया	अनुमानित लागत	प्रथम किश्त	दूसरी किश्त	कुल	दूसरी किश्त के लिए योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पश्चिमी सिंहभूम	18	217	1658	1588	216	447.24	408	399	437.54	175.01	0	175.01	0
2	रांची	18	305	1321	1321	172	251.09	402	402	251.09	79.00	21.85	100.85	0
3	सराइकेला-खरसावाँ	9	132	1145	1080	24	273.26	122	57	82.14	32.86	0	32.86	0
4	पूर्वी सिंहभूम	11	231	1620	1513	131	570.87	253	213	451.21	180.48	32.65	213.13	36
5	धनबाद	10	256	1126	1078	194	638.5	538	538	638.5	270.23	58.10	328.33	66
6	बोकारो	9	249	695	673	81	297.62	129	129	297.62	119.05	9.33	128.38	11
7	गुमला	12	159	948	941	55	224.35	81	81	224.35	89.75	0	89.75	0
8	हजारीबाग	16	257	1324	1149	0	153.71	78	0	0	0	0	0	0
	कुल	103	1806	9837	9343	873	2856.64	2011	1819	2382.45	946.38	121.93	1068.31	113

परिशिष्ट 3.16
आठ जिलों में आदिवासी विकास समिति की आबंटन -व्यय को दर्शाती विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 3.6.13.2)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	2018-19				2019-20				जिलेवार निधि			लोक लेखा खाता में	ब्याज सहित बैंक में जमा	टिपण्णी
		आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष			
1	पश्चिमी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	175.01	324.99	10/ 06.06.19	480	0	0	500	175.01	324.99	324.99	0	480 लाख कालातीत
2	रांची	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	850	100.85	239.15	340	100.85	239.15	0	244.28	510 लाख अभ्यर्पित
3	सराइकेला-खरसावाँ	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	661.89	32.86	629.03	661.89	32.86	629.03	629.03	0	
4	पूर्वी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	180.48	319.52	10/ 06.06.19	416.84	29.83	387.01	916.84	210.31	706.53	706.53	0	
5	धनबाद	35/ 25.01.19	328.73	87.58	241.15	10/ 06.06.19	330.7	240.75	89.95	659.43	328.33	331.1	331.1	0	
6	बोकारो	35/ 25.01.19	300	0	300	10/ 06.06.19	125.94	128.38	-2.44	425.94	128.38	297.56	0	297.56	
7	गुमला	30/ 14.12.18	454.14	43.38	410.76	10/ 06.06.19	126.852	46.37	80.482	580.99	89.75	491.242	0	508.84	
8	हजारीबाग	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	670	0	0	0	0	0	0	0	670 लाख कालातीत
कुल			2082.87	486.45	1596.42	कुल	3662.222	579.04	1423.182	4085.09	1065.49	3019.6	1991.65	1050.68	1660 लाख

परिशिष्ट 3.17

चौदहवें वित्त आयोग के बेसिक अनुदान के अंतर्गत जारी निधि

(संदर्भ: कडिका 3.6.14.1)

(₹ लाख में)

जारी वर्ष	स्थानीय निकायों को जारी सं./ तिथि	स्वीकृति पत्र सं. /तिथि	आबंटन पत्र सं. /तिथि	स्थानीय निकायों को स्वीकृत तथा आबंटित राशि	स्थानीय निकायों को अंतरण की तिथि ⁹	अंतरण में देरी (15 दिन से अधिक)	दंडात्मक ब्याज ¹⁰ @ 6 प्रतिशत
2018-19 2 ^{री} किश्त	03/2019-20 तिथि- 26.04.2019	02 गैर-योजना सं. 06/2017-1 (स्वी.), रांची तिथि - 09.05.2019	02 गैर-योजना सं. -06/2017-8 (अ.), रांची तिथि - 10.05.2019	60412.00	12.06.2019	32 दिन	317.78
2019-20 1 ^{ली} किश्त	14/2019-20 तिथि - 30.07.2019	02 गैर-योजना सं. -04/2019-08 (स्वी.), रांची तिथि - 09.08.2019	02 गैर-योजना सं. -04/2019-22 (अ.), रांची तिथि - 09.08.2019	81629.50	27.08.2019	13 दिन	167.58
					05.09.2019	22 दिन	11.60
2019-20 2 ^{री} किश्त	28/2019-20 तिथि - 25.10.2019	02 गैर-योजना सं. -04/2019-09 (स्वी.), रांची तिथि - 01.11.2019	02 गैर-योजना सं. -04/2019-32 (अ.), रांची तिथि - 01.11.2019	81629.50	20.11.2019	11 दिन	147.60
कुल				223671.00			644.56

⁹ रोकड़ पंजी एवं ट्रेजरी सेड्युएल के अनुसार

¹⁰ जून 2019 का बैंक दर

परिशिष्ट 3.18
अवरुद्ध निधि को दर्शाती विवरणी
 (संदर्भ: कंडिका 3.6.16)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राप्त राशि	बी डी ओ/ जिला परिषद् को अंतरित राशि	शेष राशि
1	रांची	34.60	34.10	0.50
2	गुमला	18.80	0.00	18.80
3	हजारीबाग	28.80	0.00	28.80
4	बोकारो	27.20	27.20	0.00
5	धनबाद	28.10	28.10	0.00
6	पूर्वी सिंहभूम	25.80	0.00	25.80
7	सराइकेला खरसावाँ	15.50	3.31	12.19
8	पश्चिमी सिंहभूम	25.80	25.80	0.00
	कुल	204.60	118.51	86.09

परिशिष्ट 3.19
सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.7.6)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	अभ्यर्पित राशि
1	रांची	उप-सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	02	0.53	0.53
		जिला खनन कार्यालय	02	0.43	0.43
		आप्त सचिव, खनन निदेशालय	04	15.00	15.00
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	03	0.43	0.43
		जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.45	0.45
2	रामगढ़	जिला खनन कार्यालय	01	0.20	0.20
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	02	1.06	1.06
		जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.20	0.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	02	7.50	7.50
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.08	1.08
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
		जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.15	0.15
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	02	0.70	0.70
		जिला भूतत्व कार्यालय	02	0.25	0.25
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	03	4.27	4.27
		उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	06	3.10	3.10
		जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.25	0.25
		राज्य भूतत्व प्रयोगशाला	01	0.10	0.10
		अपर निदेशक (भूतत्व)	01	0.30	0.30
कुल			52	37.80	37.80

परिशिष्ट: 3.20
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.7.7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईयों की संख्या जिनमें राशी अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
1	रांची	उप-सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	06	10.28	5.20	5.08(50%)	31.03.20
		जिला खनन कार्यालय	04	1.23	0.24	0.99(81%)	26.03.20
		आप्त सचिव, खान निदेशालय	00	0.00	0.00		अभ्यर्पण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया
		खान निदेशालय	05	87.00	40.63	46.37(53%)	31.03.20
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	08	3.39	1.15	2.24(66%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	08	5.02	1.80	3.22(64%)	31.03.20
2	रामगढ़	जिला खनन कार्यालय	03	1.65	0.21	1.44 (87%)	31.03.20
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	05	3.49	1.53	1.96 (56%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	07	0.95	0.41	0.54(57%)	31.03.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	05	17.30	4.16	13.14 (76%)	31.03.20
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.00	0.90 (100%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	06	1.68	0.20	1.48(88%)	31.03.20
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	06	2.13	0.39	1.74 (82%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	0.65	0.11	0.54(83%)	31.03.20
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	03	3.80	0.58	3.22 (85%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.35	0.42	0.93(69%)	31.03.20
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	04	4.97	0.03	4.94(99%)	31.03.20
		उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	08	4.88	0.42	4.46(91%)	31.03.20
		अपर निदेशक (भूतत्व)	02	2.30	1.09	1.21(51%)	
कुल			94	152.97	58.57	94.40(62%)	

परिशिष्ट 3.21
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.7.8)

(₹ लाख में)

जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
रांची	उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	03	5.49	5.49	100
	भूतत्व निदेशालय	05	495.21	233.96	45 to 93
जमशेदपुर	जिला भूतत्व कार्यालय	02	9.65	5.58	57 to 100
सराइकेला	जिला भूतत्व कार्यालय	04	0.12	0.12	100
गुमला	जिला भूतत्व कार्यालय	06	5.50	3.07	49 to 100
हजारीबाग	उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	02	0.47	0.47	100
कुल		22	516.44	248.69	

परिशिष्ट 3.22
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.7.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	रांची	उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	2.46	0.00	2.46
		जिला खनन कार्यालय	2.74	0.00	2.74
		भूतत्व निदेशालय	8.17	4.30	3.87
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.54	0.41	0.13
2	रामगढ़	जिला खनन कार्यालय	0.37	0.00	0.37
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	0.63	0.00	0.63
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	0.28	0.00	0.28
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	0.67	0.53	0.14
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.10	0.00	0.10
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	0.23	0.00	0.23
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	0.41	0.00	0.41
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	0.24	0.00	0.24
		अपर निदेशक (भूतत्व)	0.58	0.08	0.50
कुल			17.54	5.32	12.22

परिशिष्ट 4.1
खनन एवं भूतत्व विभाग के बकाये डी.सी.विपत्र का ब्यौरा
 (संदर्भ: कंडिका 4.6)

(₹ लाख में)

वर्ष	शीर्ष	ए.सी. विपत्र की राशि	बकाये डी.सी. विपत्र की राशि
2001-02	2853	8.10	8.10
2003-04	2853	1.30	1.30
2004-05	2853	170.48	11.85
2005-06	2853	0.54	0.54
2006-07	2853	0.60	0.60
2007-08	2853	5.00	5.00
2010-11	2853	0.51	0.51
2013-14	2853	0.33	0.33
2018-19	2853	0.25	0.25
2019-20	2853	2.61	2.61
कुल		189.72	31.09

स्रोत: वी एल सी डाटा

परिशिष्ट 4.2

“800 अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों के ब्योरे को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 4.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	"800" के अंतर्गत अंकित राशि	कुल प्राप्तियां	"800" के अंतर्गत अंकित राशि की कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता
1	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
2	0801	शक्ति	83.15	83.15	100.00
3	1075	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	0.00	100.00
4	1054	सड़क एवं पुल	106.49	106.49	99.99
5	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00	99.96
6	0702	लघु सिंचाई	2.42	2.42	99.88
7	1055	सड़क परिवहन	0.00	0.00	99.78
8	0059	लोक निर्माण कार्य	5.76	5.78	99.74
9	0852	उद्योग	1.46	1.47	99.31
10	0220	सूचना और प्रचार	0.01	0.01	95.69
11	0701	मध्यम सिंचाई	28.25	30.52	92.58
12	0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	9.12	11.89	76.67
13	0211	परिवार कल्याण	0.00	0.01	75.32
14	1456	जन आपूर्ति	296.06	419.74	70.53
15	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	54.91	89.28	61.50
16	0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.19	8.75	47.84
17	0071	पेंशन के लिए योगदान और वसूली	2.76	5.99	46.15
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13.52	30.38	44.49
19	0058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	0.00	0.00	34.31
20	0041	वाहनों पर कर	367.45	1128.98	32.55
21	0425	सहकारिता	4.87	16.40	29.71
22	0406	वानिकी और वन्य जीवन	3.67	17.59	20.88
23	0056	जेल	0.55	2.87	19.30
24	0029	भू राजस्व	64.51	337.98	19.09
25	0700	मुख्य सिंचाई	80.29	423.73	18.95
26	0049	ब्याज प्राप्तियां	38.85	309.51	12.55
27	0057	आपूर्ति और निपटान	0.01	0.05	11.93
		कुल	1168.30	3032.99	

नोट: वर्ष के दौरान 46 प्रमुख शीर्षों में "अन्य प्राप्तियों" के तहत ₹ 1,401.43 करोड़ बुक किए गए हैं।

"800 अन्य प्राप्तियों" के तहत बुक की गई कुल प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक को इस अनुबंध में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 4.3

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन
चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 4.18)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16

41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (जेप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं इ-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
62	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68	सूचना एवं जन संपर्क	राज्य प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षा नहीं
76	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षा नहीं

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति
- विविध पूँजीगत प्राप्ति	
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदघाहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मद्दे जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



www.agjh.cag.gov.in